Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Antiquities (Export Control) Act, 1947."

The motion was adopted.

Shri M. C. Chagla: Sir, I introduce the Bill.

12.22 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS*—*contd.*

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 8, 9 and 116 relating to the Ministry of Community Development and Co-operation for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating which of the cut motions they would like to move.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Sir, before you proceed.....

Mr. Speaker: Shri Sinhasan Singh has sent me a letter. I have not been able to read it. I am getting it translated. Let me be familiar with it; then, perhaps. I will give some decision.

Shri Sinhasan Singh: May I know by what time you will be able to read the letter?

Mr. Speaker: I will take it up tomorrow.

DEMAND NO. 8—MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 27,21,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Ministry of Community Development and Co-operation'."

DEMAND NO. 9—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 4,22,94,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of 'Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation'."

DEMAND NO. 116—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

Mr. Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 9,17,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of "Capital Outlay of the Ministry of Community Development and Co-operation'."

श्री तन सिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास के दृष्टिकोण से हमारी सरकार का जो विचार है, वह मूल रूप में त्रुटिपूर्ण है । इसका मुख्य कारण यह है कि हम ग्राम्य संस्थाओं को अपनी आर्थिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये माध्यम मानते हैं । हमारा दावा यह है कि हम इन सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा एक इस प्रकार की समाज व्यवस्था

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री तन सिंह]

की रचना करना चाहते हैं, जिसमें सामाजिक व्यक्तित्व का अभ्युदय हो सके, किन्तु दूसरी ओर अपनी समस्त आर्थिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हम ग्राम्य संस्थाओं को माध्यम ही मानते हैं । योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जो योजना आयोग है, वह हमारे आर्थिक विकास का एक सिरा है और उसका दूसरा सिरा है ग्राम्य संस्थायें और इन दोनों सिरों के बीच में जो तारतम्य बंधना चाहिए था, वह दुर्भाग्य से अब तक नहीं बंध पाया है ।

जितनी भी कृषि योजनायें योजना आयोग द्वारा प्रचालित की जाती हैं, उनके असफल रहने का एक मूल कारण यह है कि हमारी ग्राम्य स्तर की संस्थाओं और योजना आयोग के बीच में पूर्णतः समन्वय नहीं है । योजना आयोग जिन योजनाओं का निर्माण करता है, उन की पृष्ठभूमि में उसका किताबी ज्ञान तो जरूर रहता है, लेकिन गांवों में जो वास्तविकतायें हैं, उनका आधार उसके पास न रहने के कारण योजनायें प्रायः असफल रहती है । दूसरी ओर गांवों की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं, उनकी तरफ़ उसका ध्यान ही नहीं जाता है । इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सारी की सारी कृषि-योजनायें ग्राम्य स्तर पर प्रचालित की जानी चाहिएं और योजना आयोग का काम केवल इतना रहना चाहिए कि वह उन समस्त योजनाओं को एक रूप दे सके और इक्ट्ठा कर सके, जब कि स्थिति वर्तमान रूप में यह है कि योजना आयोग अपने आप को तो एक सुपर कमीशन, एक प्रकार का एक अति आयोग, मान रहा है, जब कि वह ग्राम्य संस्थाओं को कमीशन तक का स्वरूप देने के लिए भी तैयार नहीं है ।

इसके अलावा आर्थिक योजनायें ही काफ़ी नहीं हैं । हम इन आर्थिक विकास योजनाओं को सामुदायिक विकास का रूप देना चाहते हैं, लेकिन अर्थ ही सम्पूर्ण जीवन नहीं है, बल्कि अर्थ जीवन का एक अंग है । जीवन में बहुत सी अन्य समस्यायें भी हैं, जिनका समावेश इन सामुदायिक विकास योजनाओं में किया जाना परमावश्यक है । यदि अर्थ का एकांगी विकास कर भी लिया जाये, तो उससे सामुदायिक व्यक्तित्व का निर्माण सम्भव नहीं हो सकेगा । फिर यदि आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका विकास किया जाये, तो वह भी सम्पूर्ण दृष्टिकोण नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि आज इस देश में हमें इस बात को ध्यान में रख कर योजनायें बनानी पड़ेंगी और सामुदायिक विकास को इस दृष्टि से भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश बड़ी तेजी से औद्योगीकरण की ओर जा रहा है । औद्योगीकरण के फलस्वरूप नैतिक स्वास्थ्य में जो कमी होगी, यद्यपि उस को पूरा करने का काम व्यापक रूप में ग्राम्य संस्थाओं के पास होना चाहिए था, किन्तु उस ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है ।

यही कारण है कि आज व्यक्ति कोई भी अपराध करता है, तो उस का दंड कानून जरूर देता है, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार के सामाजिक और सामुदायिक व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं है । अपने अपराध के फलस्वरूप एक अपराधी के दंडित होने के बाद जो कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके आर्थिक दृष्किोण को ध्यान में रख कर सामदायिक विकास योजनायें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रही हैं । मान लीजिए कि एक आगामी किसी की हत्या करता है । कानून उस को सजा दे कर फांसी पर चढ़ा सकता है या उसे बीस साल तक कैद में रख सकता है । लेकिन यह तो इस तरह का तरीका है कि जिस से हम किसी अपराधी की मनोवृत्ति का बदला लेते हैं । हम सामुदायिक विकास के दृष्टिकोण से समाज में वास्तव में आर्थिक संयोजन करना चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, उसके कारण जो आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, उसके परिवार पर जो आर्थिक

दबाव पड़ता है या आर्थिक असंतुलन पैदा होता है, उस दृष्टिकोण से हम कोई भी योजना या कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठा पाए हैं जिससे उसकी अर्थ व्यवस्था को संतुलित कर पायें ।

किसी पंचायत के क्षेत्र का व्यक्ति कोई भी बुरे से बुरा काम कर लेता है, वह कानून के दृष्टिकोण से भी अपराध कर लेता है, किन्तु ग्राम्य संस्थाओं और पंचायतों के पास अभी तक इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ है, जिसके प्रभाव और भय के कारण वह व्यक्ति उस कार्य से कुछ गुरेज कर सके । इस प्रकार के अपराधों के कारण जो आर्थिक प्रभाव उन कुटुंबों पर पड़ता है, यदि उन कुटुंबों को सहायता दी जाये ग्राम्य संस्थाओं की ओर से, तब निश्चित रूप से ग्राम्य संस्थाओं का व्यक्तित्व इस प्रकार उभरेगा कि एक सामान्य आदमी का यह साहस नहीं हो सकेगा कि वह किसी भी प्रकार के ऐसे अपराध कर सके ।

योजना आयोग आर्थिक योजनाओं के मार्ग दर्शन का जो काम करता है, वह एक तरह से ठीक भी माना जा सकता है, लेकिन दूसरे अर्थों में नियमों, कानूनों या कुछ सीमाओं के अन्दर पंचायतों के ढांचे को इस प्रकार बांध दिया गया है कि उनके पास इसके सिवाये कोई विकल्प नहीं है कि वे अंधे हो कर योजना आयोग का अनुकरण करें । फिर आप जानते हैं कि योजना आयोग भी कोई ऐसी संस्था नहीं है, जिससे कोई ग़लतियां न होती हों । उसके उत्पादन के लक्ष्यों में कमी रहती है, अनुमानों में कमी रहती है और वह उन बातों का पता भी नहीं लगा सकता है, जो कि लगाया जा सकता है । इसलिए ऐसी योजनायें ग्रामों की ओर से भी हो सकती हैं और उन में उतनी ही कमी हो सकती है जितनी कि योजना आयोग की योजनाओं में हो सकती है । लेकिन गांवों को, पंचायतों को इस तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं है, कि वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकें । अगर उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को योजना आयोग कद्र करता तो वे ऐसा भी कर सकती थीं । लेकिन उनकी कद्र आज की स्थिति में कुछ नहीं है । उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन इस काम में नहीं मिलता है । आपने कभी उनसे यह नहीं पूछा है कि उनकी अगले पांच साल की आवश्यकतायें क्या क्या हैं, क्या क्या वे खेती में विशेषतायें करना चाहते हैं या सारे का सारा गांव मिल कर पांच वर्ष में क्या करना चाहता है, गांव में क्या विशेषतायें लाना चाहता है । अगर कोई इस तरह का प्रोत्साहन आपकी तरफ से उनको मिला होता तो काम बहुत अच्छा हो सकता था और ग्राम्य संस्थाओं को प्रोत्साहन मिल सकता था ।

यह कहा जाता है कि हमने सारे गांवों की आवश्यकताओं को कंसालिडेट करने का विचार किया है । एक बात समझ में नहीं आती है । एक तरफ तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनायें लगातार बनाता जा रहा है और उन सब योजनाओं का जो ग्राम्य स्तर पर बनाई जा रही हैं क्या प्रभाव होगा इसका कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है । जो योजना आयोग योजना बनाता है उसी में सारे रिसोर्सिस चले जायेंगे और ग्राम्य स्तर पर बनाई जा रही योजनाओं के लिए कुछ भी तो नहीं बचेगा ।

सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज शहरों और गांवों में भेद किया जा रहा है । यह भेद आज से नहीं बहुत पहले से किया जा रहा है । इसमें किसी भी हालत में कोई कमी नहीं आ रही है । प्रयत्न तो यह किया जा रहा है कि समूचे देश में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिये जायें, समान सुविधायें उपलब्ध की जायें । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शहरों में आज आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं और टैक्नीकल मार्गदर्शन के अवसर उपलब्ध हैं वे अवसर गांवों में उपलब्ध

[श्री तन सिंह]

नहीं हैं । इसीलिए गांव अपने स्थान पर पड़े हैं और शहरों की ओर आकर्षण जो गांवों का हो रहा है, जन समुदाय का हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है । शहरों की आबादी बढ़ रही है और गांवों का जितना धन है वह शहरों की ओर खिंचा हुआ चला आ रहा है । इसका जो मूल कारण है, जो मूल त्रुटि है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां पर जल प्रदाय योजनायें होती हैं जिनमें पांच प्रतिशत हम गांव से लेते हैं । दिल्ली में यदि करोड़ों रुपया भी जल प्रदाय योजनाओं पर खर्च होना हो तो भी यहां के किसी निवासी को पांच प्रतिशत या दो प्रतिशत भी कारपोरेशन के द्वारा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और न ही इसकी आवश्यकता समझी जाती है । यदि दिल्ली के अन्दर एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना है तो यहां के किसी भी नागरिक को एक पैसा भी देना नहीं पड़ता है । इसके विपरीत गांवों में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी अगर खोलना होता है तो उसके लिये भी हमारी सरकार 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में जनता से मांगती है । मैं नहीं जानता हूं कि शहरों और गांवों के बीच इस प्रकार का भेद करके सरकार का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? सरकार स्वयं शायद यह समझती हो कि हम इन्हें जन प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, गांवों की योजनायें बनाना चाहते हैं, तो क्या यही चीज शहरों पर भी लागू नहीं हो सकती है ? यदि सरकार यह कहती है कि हम लोगों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो शहर वालों ने क्या बुराई की है, क्या अपराध किया है कि उन्हें स्वावलम्बी बनाने के पुण्य से वंचित किया जाए ? खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पब्लिक एमेनेटीज की बात का जहां तक सम्बन्ध है, साधारण सुविधाओं का जहां तक सम्बन्ध है, जैसे अस्पताल किसी गांव में बनाना है या स्कूल बनाना है या सड़क बनानी है या इस तरह का कोई और काम है इस साधारण काम में भी हम गांव के लोगों को तेंतीस परसट या तो श्रम के रूप में देने के लिए कहा जाता है या रोकड़ में पैसा देने के लिए कहा जाता है जबकि शहर वालों के ऊपर इस प्रकार की किसी चीज को लागू नहीं किया जाता है । क्यों गांवों पर ही इसको लागू किया जाता है ? कहां तक यह न्यायसंगत है? शहरों और गांवों में मूल रूप में यह मंत्रालय भेद क्यों करता है । जब स्वयं यह मंत्रालय भेद करता है तो गांवों और शहरों में भेद को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है ? वह तो बढ़ेगा ही । इसको मैं तर्कसंगत और युक्ति संगत बिल्कुल नहीं मान सकता हूं । इसको मैं अन्यायपूर्ण मानता हूं ।

जनतंत्र की पद्धति में विकसित होने के जो आसार हैं, जो मंत्रालय की ओर से आशायें दिखाई गई थीं, जो यह कहा गया था कि राजनीतिक सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति का, साधारण से साधारण व्यक्ति का योग रहेगा, उसको अगर देखा जाए तो हकीकत यह मालूम पड़ती है कि आजकल की जो चुनाव पद्धति है, जो अभी अपनाई गई है, उस पद्धति में किसी साधारण आदमी के लिए इस चुनाव में खड़े होना असम्भव सा हो गया है । यह पद्धति बहुत खर्चीली होती है मैं नहीं समझता हूं कि इससे कम खर्चीला विधान सभा का या लोक सभा का चुनाव भी हो सकता है । चुनाव के खर्चीले होने का एक अनिवार्य परिणाम यह होगा कि जिनके पास पैसा है, मात्र वही चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं और जो सामान्य लोग हैं और जिनको गांवों का अनुभव है और जो गांवों का प्रतिनिधित्व करके ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उन लोगों में इस चुनाव में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती है । जो जनतंत्र एक साधारण आदमी को सुलभ हो सकता है, ग्राम पंचायतों के इस खर्चीले चुनाव के कारण वह कठिन होता जा रहा है ।

अभी तक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सतर्कता और लेखा निरीक्षण का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं हो पाया है । ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकता हूं लेकिन उन उदाहरणों को दे कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । पिछले दस वर्षों में सरपंचों आदि पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं । ये आरोप अनिश्चित काल तक सरकारी कागजों में पड़े रहते हैं, उनकी जांच करने का कोई व्यवस्था नहीं है । लोकल फंड आडिट एक्ट जैसी कोई चीज है । एक यूनिट पूरा बनाने के उपरान्त भी बहुत सी पंचायतें हैं जिन के लेखा निरीक्षण का कार्य अभी तक सम्पादित नहीं हुआ है और लेखा निरीक्षण होने के उपरान्त उन में पाई गई अशुद्धियां और दोष जो हैं उनका निराकरण भी नहीं हो सका है । मैं नहीं जानता हूं कि सामुदायिक विकास मंत्रालय इस दिशा में भी कोई ठोस कदम उठा रहा है, कोई सक्रिय कदम उठा रहा है या नहीं । यदि ऐसा न किया गया तो परिणाम यह होगा कि लोग अनापशनाप रुपया खाते जायेंगे । एक ओर तो हम भ्रष्टाचार को प्रशासनिक क्षेत्र से हटाना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर वह ग्राम्य क्षेत्रों में विकसित होता जाएगा, वहां पनपता जाएगा ।

सबसे बड़ा दोषारोपण मैं स्वयं सत्ताधारी दल पर लगाता हूं । इन पंचायतों के चुनावों में जहां कहीं भी गुंजाइश हो सकती है, वह किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति का या अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हिचकता नहीं है । मैं नहीं जानता हूं कि इस सब का, इस प्रकार के आचरण का क्या प्रभाव जन समुदाय पर पड़ेगा । अभी कुछ अर्सा हुआ राजस्थान में चुनाव हुए थे । उस में कुछ लोगों को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । मुझे मालूम हुआ है और मैंने खुद देखा है कि गिरफ्तार लोगों की जीपें सत्ताधारी दल की ओर से चुनाव में काम में लाई गई हैं । यदि वे लोग अब बहुत जल्दी छूट जायें जिनको सरकार ने स्वयं भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था और इस दृष्टिकोण से किया था कि वे खतरनाक आदमी हैं, और उनकी जीपों का प्रयोग कर लेने के बाद यदि वे तत्काल छूटते हैं तो इसका सीधा सादा अर्थ मुझ जैसा एक साधारण आदमी यही लगा सकता है कि सरकार उन जीपों का प्रयोग करके, अपने प्रभाव को काम में ला कर भारत रक्षा कानून का दुरुपयोग कर रही है । यदि इस तरह से दुरुपयोग स्वयं सत्ताधारी दल करता है तब ऐसा ही दुरुपयोग यदि पंचायतें करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिये ।

जितनी भी इलैक्शन पेटीशंज होती हैं, चुनाव याचिकायें होती हैं उन पर जब निर्णय मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा दे दिया जाता है उसमें ऐसा प्रायः देखा गया है कि जो याचिका पेश करने वाला होता है उसका फैसला तो हो जाता है, इंसाफ तो उसको मिल जाता है लेकिन उसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति पर या किसी भी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप के आधार पर उसको सजा देने की कोई व्यवस्था हो ऐसी चीज मेरे ख्याल से मंत्रालय के सामने नहीं है । इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको मिल सकते हैं जिनमें कर्मचारियों पर लगाये गये आरोप सिद्ध होने पर भी याचिका में आरोप सिद्ध होने पर भी उसको कोई सजा नहीं दी गई है । मेरा निवेदन यह है कि राजकीय सेवाओं पर पंचायतों की इलैक्शन के सम्बन्ध में पक्षपात के लगाये गये समस्त आरोपों की जांच होनी चाहिये और उनसे सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिये । अन्यथा जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, सत्ताधारी दल के प्रति वफादारी बताना चाहते हैं उनको अपनी भक्ति जतलाने में पक्षपात करना पड़ता है, रूल्ज के खिलाफ जा कर काम करना पड़ता है और उसका नतीजा गांव के लोगों पर यह होता है, कि वे समझने लग जाते

[श्री तन सिंह]

हैं कि सत्ताधारी दल किसी भी हालत में दूसरे किसी को आने नहीं देना चाहता है और पंचायतों को अपना स्वयं का एक अड्डा, अपनी एजेंसी बनाये रखना चाहता है। इस चीज़ को सामुदायिक विकास के दृष्टिकोण से भी हमें सीरियसली लेना चाहिये। वे पंचायतों को मात्र उसी तरह से बनाना चाहते हैं जिस तरह से ग्राम सेवक दल होते हैं। मैं इस दिशा में बहुत अधिक नहीं जाना चाहता।

मैंने बहुत संक्षेप में तीन चार बातें रखी हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे, वर्ना हम सोचते हैं कि सारे मुल्क के अन्दर साधारण लोगों के सत्ता में आने का, और निष्पक्षता से आने का, जो मार्ग है, सामाजिक व्यक्तित्व का जो निर्माण है, लोगों को उस के द्वारा शासन में हाथ बटाने का और सहयोग देने का जो अवसर है, उस सब से हम लोग वंचित रहेंगे। मैं समझता हूं कि खर्च बहुत किया गया है, पैसा बहुत लगाया गया है, लेकिन यदि यही हालत रही तो मैं यह कहूंगा कि ज्यादातर कागजी कार्य हो रहा है, वास्तविकता की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।

Shrimati Vimla Devi (Eluru): Mr. Speaker, community development, panchayati raj and co-operation began 13 years ago in our country. The entire country is now covered by panchayati raj institutions. I do not disagree with the objects of it, but 13 years experience shows that we are not travelling on the right road.

One of the aims of panchayati raj and co-operation is to check corruption and wastage and give help to villagers in all aspects as quickly as possible. But after 13 years, now we see exactly the reverse picture.

Let me first take the question of elections to panchayati raj institutions. These elections are not of a uniform pattern in all states. In one states, it is almost like direct elections; in some other states, it is indirect elections. In my state, it is indirect election. Once the people elect the panchayat members, then panchayati raj business is finished there. The spectators then begin to witness a huge drama which is enacted. Immediately after election, the members of the panchayat boards are purchased or kidnapped for elections to the next body. The board presidents in turn are purchased or kidnapped, taken away to some place, for election of the samiti presidents. These samiti presidents like cattle are herded to some remote place and then there is the farce of elections to the zila parishad. Police force is drafted and then they go through the farce of elections to the zila parishad.

Mr. Speaker: The Minister ought to be careful because there is so much of kidnapping!

Shrimati Vimla Devi: Men are kidnapped, not women.

Mr. Speaker: I am not talking of women. I am talking of men being kidnapped.

Shrimati Vimla Devi: Women are not there. Only men are kidnapped or purchased for the purpose of these elections.

Then on these indirect elections, s much money is spent. After the election of these presidents, panchayats and samities, the people who are elected do not feel any sense of direct obligation to the people because they have not got themselves directly elected by the people. If they had come through direct elections, at least they would be afraid of the people and be mindful of their responsibilities to them. But here votes are purchased and a few members come through. After these indirect elections, the people who are elected feel that they have a legitimate right to be corrupt, because they have pur-

chased people by spending money and so they should make up the money spent from the funds set apart for community development.

I understand in Maharashtra the election pattern is very good. I want that the election pattern should be uniform throughout the country, direct elections of the samiti presidents and zila parishad members. We find that 90 per cent of the panchayats are corrupt and misuse the funds. I entirely agree with the Auditor General's Committee in this respect. Misuse of the panchayat board funds should be brought to Government's notice for stringent action. But we find that if the panchayats are controlled by members belonging to the ruling party, their misdeeds are overlooked; but if they are controlled by any opposition party, immediately action is taken. I want that there should be. . . .

Shri Ranga (Chittoor): An Independent Commission.

Shrimati Vimla Devi: .....an independent Commission which will go into these matters.

Another thing I would like to bring to the notice of Government is the lack of co-ordination between the departments. The poor uneducated farmers want help in the form of assistance for procurement of fertilisers, credit, better seeds etc. They go to the taluk office. Then they are told to go to the panchayat office, then to the samiti office or zila parishad or district marketing society or co-operative society. This shows that there is no co-ordination between the concerned agencies. The result is that these poor people are cheated by some people who pose as 'agents' and promise to get them what they want. In the end, they are cheated. Corrupt people take advantage of their helpless position.

Paper work in these blocks is so much that no officer is able to give any technical advice to the cultivators or other craftsmen. Paper work should be minimised so that they will be available for technical advice. Technical advice to the cultivators should be increased.

Huge amounts are spent on various items like poultry, piggery, fishery etc. Instead of spending huge amounts on a multiplicity of items and getting no results in any one of them, top priority may be given to agriculture, drainage, irrigation and protection of cattle.

I need not go into details of how much wastage is there in all these items. I would mention in passing the matter concerning jeeps. This scandal is rocking the whole country. If this cannot catch the ears of the Minister, I am afraid my repeating it is of no use.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): The old jeep scandal or the new one?

Shrimati Vimla Devi: In sum, community development has least benefited the weaker sections of the community.

Shri Ranga: That is true.

Shrimati Vimla Devi: Most of the land in India is cultivated by the tenants. After the wonderful tenancy Acts of the various states, now they are unregistered tenants. They are not even registered. When they want to do better cultivation by getting better seeds, manure, fertilisers, credit and all these things, because they do not own land even after the so-called land reforms, these facilities are not provided, because only on individual production plan these loans are given from the societies to the farmers and tenants. The absentee land-owners are not interested in providing manure or anything else because they are not interested in actual cultivation. The tenants who cultivate the land cannot get these facilities to produce more because there are so many objections raised.

[Shrimati Vimla Devi]

I do not know what hinders the Government from giving them loans if they pledge the crop.

Shri Ranga: That is supposed to be their present scheme, which does not work.

Shrimati Vimla Devi: The community development projects boast so much about co-operative farms. The Deputy Minister who is sitting over there had come from my state. He knows all the farce about this co-operative farms. These are advocated to benefit the weaker sections, that is the scheduled castes and others. 13 years ago, these backward classes were not doing well; I would ask the Minister to say whether they are better now. I have no doubt his answer will be in the negative. In the report itself, there is a special chapter which says that this is meant for benefiting the weaker sections. But the fact remains that Government has not done anything to better the conditions of these people in these 13 years.

As I said, these co-operative farms are a big farce. For example, in my district, in West Godavari and Krishna District there is a huge lake called Kolleru, by utilising which it is possible to raise a second crop in the area. Government wanted field labour societies mainly intended for the backward classes. What happened. I tried to register so many co-operative societies for the labour people, but they are not registered. They are not even given a hearing. But there are some other people called Kolleru kings. They are big landlords who own 500, 400 acres. In their own villages they can form co-operatives. The moment they ask for it, immediately it is granted. These people are the pillars of th Congress raj whenever elecions come. So Government agree to do what these people say. The labour people are not able to get any benefit from the co-operative societies. The Ministry should make proper arrangements for the real, not benami, co-operative farms to be registered.

Shri Ranga: They are helpless.

Shrimati Vimla Devi: The small land holders are finding it very difficult to cultivate the land. It is becoming very unprofitable for them. I do not plead for Shri Ranga's rich peasantry. I speak for my peasantry, the small landholders.

Shri Ranga: They are also mine.

Mr. Speaker: So long she has been agreeing with Prof. Ranga; now she disagrees.

Shri Alvares (Panjim): No, Sir, he has been agreeing with her.

Shrimati Vimla Devi: I am not speaking about the rich peasantry coming into the co-operatives. Small land holders are feeling it very difficult to cultivate their lands on their own and some tenants are seriously thinking of coming into co-operatives. They are scared away by the big people because this Government does not give them any facilities. They go to the money-lenders to loan money at 30 or 40 per cent interest. Without taking away the rights of the lands from them, Government should make serious efforts to bring all of them together and give them credit facilities, seeds, implements and other things. There should be some model farms to show how the co-operative farms will be beneficial to the small holders.

Now, I come to the co-operative societies at all levels. These are the biggest black marketeers in India; I do not think that the other black marketeers are making so much profit. I can speak for hours how they swindle government's money. For instance, a report was received from a co-operative marketing society that they had lost 250 bags of fertilisers. The police went there to enquire but the capacity of the storing space in that society was only for 150 bags; they could not at all hold more than 150 bags. But the society reported a loss of 250 bags. The police wanted to

take further action but big people interfered; State Ministers also; and finally the whole case was hushed up. Fertilisers are given to the marketing society and the district marketing societies are selling them. They get Rs. 31 or 32 for ammonium nitrate or ammonium sulphate, and are selling it at Rs. 72 or Rs. 80. They have been given the facility to mix the manures, all kinds of manures, urea, ammonium sulphate, etc. and pass it over to the farmers. They are doing an excellent job of it; they are selling ammonium sulphate for illicit liquor distillation and they are mixing mud and other things and inferior quality things and pass it on to the farmers as though it is very good fertiliser.

Shri P. R. Patel (Patan): If that is the fate of the co-operative societies, what about the co-operative farms?.. *(Interruptions)*.

Mr. Speaker: The hon. Member should conclude.

Shrimati Vimla Devi: I am speaking in a foreign language, Sir; and I should be given five more minutes. These fertilisers should be given to the samitis. At least the samiti offices are near about the villages so that the villagers will be knowing what is going on in the societies. I am suggesting this method. Try this method and it it fails give it direct to the farmers. That is the only method.

The credit institutions which are intended to increase rural credit facilities are in the hands of a few influential groups. These paralyse the credit societies because they take all the loans in benami transactions and they could not repay it. When this comes to light, it is hushed up again with the help of high-ups in the department and the Ministry. The honest man who wants to take a loan and repay it back also is not able to get credit because credit is not given to the societies on the basis of individuals but on the basis of societies and the capacity of the society. If these things are brought to the notice of the Government, then immedately that person who does so finds himself in great diffculties. I will tell you one instance in Kakinada from where our hon. Deputy Minister is elected to the Lok Sabha. Here is a bank and one sub registrar named Venkatasubbaiah, brought to light so many swindling and other irregularities. Now that P. Venktasubbaiah is missing: he has disappeared. It is not this P. Venkatasubbaiah M.P. He has totally disappeared. The question was raised in the State Assembly and they said that he had gone to join a Sadhu Samaj or something like that. He has not been found in the Home Ministers' Sadhu Samaj also. It is suspected that he had been deliberately murdered at the instance of the persons who are connected with the bank, so that the things that he brought to light could be hushed up. This is the stage of affairs. If anybody brings them to light, they are not not well protected.

I will conclude by saying this. While bringing all these things, I do not mean to say that this department should be handed over to the Food and Agriculture Ministry because I do not think that Ministry is more efficient. I know that the Minister is a very good man. He has come to my part of the country; he has seen a samiti where a doctor had been elected as a panchayat samiti president and good work is done there. Because the Government depends only on bureaucratic officials and their own partymen to run the panchayati raj institutions, they are not able to implement the good intentions of the panchayat raj. They will get theco-operation of the villagers only if they are able to put the interests of the nation above their party's interests and all are ready to co-operate in this. But we are not prepared to co-operate with all this swindling and hanky-panky things going on in the department. I ask the Ministry to take this up very earnestly and they will get all the co-operation of

[Shrimati Vimla Devi]

the good elements in the villages and make real panchayat raj to come into being.

श्री बजबिहारी महरोत्रा (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, इस सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० नेहरू का एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

"I should like to say a few words about Community Dedelopment. I have attached great importance to it and often praised it. I have no doubt that in spite of all that has happened, and our numerous slips, the Community Development scheme has changed and is changing the face of rural India....More particularly, recent development in the direction of giving more powers to the panchayats—what is called panchayati raj—I feel, is going to make a revolutionary change."

जहां प्रधान मंत्री जी ने इस विभाग के लिए बहुत उत्साहवर्धक शब्द कहे हैं वहीं कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों में इस विभाग को टारपीडो मारने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। इस विभाग के खिलाफ इस तरीके का प्रचार किया, गया है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें महज रुपये की बरबादी है और यह विभाग दरअसल एक ऐश व आराम करने का विभाग है। इन थपेडा का मुकाबला निहायत मर्दानगी के साथ हमारे विकास मंत्री जी ने किया है और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विभाग है जिसने अनेक मंत्रालयों का सहयोग लेकर देहात के रहने वाले लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इस विभाग ने यह सोचा है कि इस देश के 2 करोड़ 20 लाखखानदानों को जोकि देहात में बसते हैं कैसे उन्हें उनकी जरूरत की चीजें मुहय्या की जा सकें, कैसे उनकी बेकारी दूर की ज सके, कैसे उनकी सुख, सुविधा का सामान पैदा किया जा सके, कैसे उनकी उपज बढ़ाई जा सके और कैसे उन में फैली हुई अविद्या, रोग और दूसरे प्रकार की जो आपदायें हैं उनका मुकाबला किया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। इन प्रसार सेवा क्षेत्रों के जरिए से इन गांवों में क़रीब क़रीब 70 से 80 हजार की आबादी में यह विकास क्षेत्र बने और ग्राम सेवकों की एक टोली बना कर इन गांवों का पहले निरीक्षण हुआ और फिर उन गांवों में जो बीमारी फैली हुई है जो गरीबी फैली हुई है उसको कैसे दूर किया जाय इसका प्रयास हुआ। इन प्रसार सेवा क्षेत्रों का संगठन करके सरकार ने एक ऐसी मशीनरी तैयार की है जोकि देहात के रहने बाले लोगों के लिए उपयोगी योजनाओं में सहयोग करती है और उनको सफल बनाने का प्रयास करती है। जो थोड़ी सी रक़म इन विकास क्षेत्रों को दी गई उससे अधिक रक़म देहात के लोगों ने अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन में देकर इन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया। इस रुपये से यह पानी पीने के कुएं, गलियों में खरंजे, सोकिंग पिट्स और नालियां आदि गांवों में बनाई गई हैं। लेकिन जितना काम इस सम्बन्ध में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। वैसे यह जरूर है कि इन राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों ने गांवों में बच्चों के खेलने के लिए बालबाड़ी केन्द्र बनाये हैं, बाल क्रीड़ा केन्द्र बुनाये हैं, तथा युवक मंगल दल संगठित किये हैं तथा प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाओं की स्थापना की है। जब यह प्रसार सेवा विभाग इस तरह के उपयोगी काम कर रहा था तो उसके यह सब काम देख कर विरोधी लोगों को डाह हो रही थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट देहात के लोगों के लिए यह सब काम कर रही है और उनको उन्नत कर रही है। विरोधी लोगों ने सबसे पहले जीप्स हटा लेने के लिए जोर लगाया ताकि यह काम चल न सके। उनकी ओर से यह कहा गया कि यह विभाग में जो जीपें दी गई हैं उनका गांवों में दुरुपयोग होता है। जहां तक

उनके दुरुपयोग होने का सवाल है, हो सकता है कि जीपों का कहीं कुछ परसेंट दुरुपयोग होता हो लेकिन आमतौर पर जीपों का सदुपयोग ही हुआ है । यह जीपें अभी तक सम्बद्ध कर्मचारियों के सुदूर गांवों में विकास कार्य करने के हेतु पहुंचाने का साधन रही हैं । हो सकता है कि कुछ प्रतिशत: उसका दुरुपयोग हुआ हो लेकिन सदुपयोग उनका अधिक होता है ।

13 hrs.

जहां तक कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का सवाल है उस दिशा में भी इस विभाग ने अच्छा कार्य किया है । वहां जापानी ढंग से धान की खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया । इसके अलावा गेहूं की खेती लाइन सोइंग और डिबलिंग से किये जाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया गया । फलस्वरूप उपज बढ़ी है ।

गोबर से अभी भी बराबर आग जलाई जाती है और इस दिशा में गोबर का ठीक प्रयोग करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास इस विभाग की तरफ़ से नहीं हुआ है । मैंने सुना तो है कि गोबर का गैस प्लांट नमूने के तौर पर बना है लेकिन उसका प्रचार नहीं हो सका है । गोबर का गैस प्लांट बनाने की बात की शुरुआत तो हुई लेकिन देहातों में प्रचुर मात्रा में उसका प्रचार नहीं किया गया । नतीजा यह हो रहा है कि देहातों में आज भी गोबर जलाने के काम में लाया जाता है । गोबर गैस प्लांट में काम आने के बाद भी बतौर खाद के उसका इस्तेमाल हो सकता है वह आज भी नहीं हो पा रहा है । इस को रोकना चाहिए और आवश्यकता हो तो कानून बना कर के भी गोबर का उपयोग खाद के रूप में होना चाहिए । गांवों में इन गैस प्लांटों का प्रचार होना चाहिए । यह इस मंत्रालय का कर्तव्य है कि देहात के लोगों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई अच्छे बीज, वैज्ञानिक खाद तथा अन्य आवश्यक चीजों को सुलभ कराये । देहातों में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चल रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय और उन्हें पनपाया जाय । ऐसा होने से जहां वे स्वयं उन्नत होंगे वहां राष्ट्र भी सबल होगा और देश खाद्यान्न के मामले में शीघ्र स्वावलम्बी बन जायेगा ।

गांवों के किसान चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का समुचित प्रबन्ध हो । आज उनको अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देने के लिए दूर शहरों में भेजना पड़ता है । उनको इस बारे में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है । मैं चाहूंगा कि यह मंत्रालय जहां स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध करने, उनकी चिकित्सा व्यवस्था आदि करने की तरफ़ दिलाये वहां शिक्षा मंत्री जी का ध्यान भी इस बात की ओर दिलायें कि देहातों में ही जहां पर प्राइमरी पाठशालाएं और मिडिल स्कूल हैं वहीं पर उन के लिए इंटरमीजिएट कालिज और डिग्री कालिज बनाये । इसी तरह से रूरल युनिवरसिटीज भी शहरों में न बना कर देहातों में बनाने का प्रयास करें ताकि देहात के रहने वाले विद्यार्थियों को, युवकों को सस्ती शिक्षा सुलभ हो सके । इसी तरह से टैकनिकल शिक्षण देने की भी गांवों में व्यवस्था की जाय । नमूने के तौर पर आप देखिये कि पिलानी में श्री बिड़ला ने एक टेकनिकल इंस्टीच्यूट स्थापित किया है । वह जगह बिलकुल देहात है । वहीं देहात में उन्होंने छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा देने का इंतज़ाम किया है । वहां का, अर्थात् देहातों का वातावरण, शहरों की अपेक्षा जहां कि सिनेमा आदि का शोरशराबा होता है, अधिक उत्तम होता है और विद्यार्थी दत्तचित्त होकर अध्ययन कर सकते हैं । वे अपना सम्पूर्ण समय व्यर्थ की सिनेमा आदि के चक्कर में न पड़ कर अध्ययन में खर्च करते हैं ।

किसानों के छोटे, मोटे उद्योगों की तरफ़ जोकि गांवों में चलते हैं जितनी तवज्जह देनी

[श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा]

चाहिए थी उतनी तवज्जह नहीं दी जा सकी है। किसान का सबसे उपयोगी साधन गऊ पालन है और यह खेद का विषय है कि उस ओर जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। अन्यथा खेती के लिये अच्छे बैलों की कमी न होती। इसी तरह से इस विभाग को गांवों में जो पिगरी, पोल्टरी, मत्स्यपालन और मधुमक्खी पालन के धंधे हैं उनकी तरफ़ देखना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देकर उन्नत करना चाहिए। इसके अलावा देहात के कच्चे माल का उपयोग करने के लिए तेलघानी का प्रसार किया जाय। अगर उनको इन धंधों के लिए सहायता नहीं दी जा सकती, अनुदान नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें कर्ज ही दे दिया जाय ताकि वे उनको अच्छी तरह से चला सकें। आप उन से कहते हैं कि कोआपरेटिव बना कर लाइये। कोआपरेटिव मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी चीज है लेकिन कोआपरेटिव तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। रजिस्ट्रेशन आदि के झमेले में पड़कर आदमी हिम्मत हार जाता है। यह मांग काफ़ी वर्षों से की जाती रही है कि देहातों में जो कच्चा माल तैयार होता है उसका प्रयोग देहातों में ही हो जाय और इसके लिए आप उनकी सहायता करें। आज गांवों में काम, धंधा न मिलने की वजह से ग्रामीण शहरों की ओर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, उद्योगों का प्रबन्ध होने से शहरों की तरफ़ उनका रुझान कम हो जायेगा और उसमें रोकथाम हो सकेगी।

13.05 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

यह जो छोटे छोटे किसान हैं उन के सामने बड़ी कठिनाई यह है कि यह अनुदान और कर्जा दिया तो जाता है लेकिन वह छोटे काश्तकारों को नहीं पहुंच पाता है। उनको पानी मिलाने की सुविधा नहीं होती है। जरूरत इस बात की है सिंचाई, बीज और खाद आदि की सुविधाएं छोटे काश्तकारों तक पहुंचायी जायें।

कल बिजली के बारे में सदन में बहस हुई थी। इस बारे में मेरा यही कहना है कि अगर देहातों के लिए सस्ती दर पर हम बिजली मुहैय्या नहीं कर सकते हैं तो शहरों को खाली बिजली देकर आप इस देश का उद्धार नहीं कर सकते हैं। आखिर शहर के लोगों के लिए अन्न चाहिए और वह अन्न शहर की सीमेंट की पक्की सड़कों पर तो पैदा हो नहीं सकता है, वह तो देहातों में ही पैदा होने वाला है इसलिए जब तक आप सस्ती दर पर उन्हें बिजली सुलभ नहीं करेंगे तब तक देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। शहरों में और सिनेमाओं आदि को, मिल मालिकों को तो सस्ती दर पर बिजली मिलती है लेकिन सिंचाई के लिए गांवों में छोटे काश्तकारों को सस्ते दर पर बिजली देने में आनाकानी होती है। जब इस बारे में सिंचाई-बिजली मंत्री से कंसलटेटिव कमेटी में कहा गया कि देहातों में बिजली चाहिए तो उन्होंने कहा कि देहातों को बिजली देने के लिए वहां के निवासियों को कुछ कर देने के लिए तैयार होना पड़ेगा लेकिन मेरा कहना है कि शहर के लोगों को बिजली देने में तो यह टैक्स की कोई बात नहीं की जाती है। लेकिन जब देहात में बिजली लगाने की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि किसानों पर पहले टैक्स लगा दिया जाय तब उन्हें बिजली दी जाय। मुझे खेद के साथ यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि जो दृष्टिकोण देहातों की तरफ़ होना चाहिए, इस देश के सात लाख देहातों की तरफ़ जो दृष्टिकोण होना चाहिए वह दृष्टिकोण हमारे इस मंत्रालय का नहीं है। मैं आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूं कि वैसा दृष्टिकोण उनके प्रति अपनाया जाय। अगर इस देश के सात लाख गांवों की ओर आपका ध्यान नहीं गया तो यह आप की सारी योजनाएं धरी रह जायेंगी। आप अधिक अन्न उपजाना चाहते हैं

तो किसानों को उसके लिए अधिक प्रोत्साहन दें। आज वह किसान दिन, रात क्या जाड़ा, क्या गरमी और क्या बरसात, कड़कती धूप में या ओले पड़ते रहने पर भी खेत में काम करता है, वर्षा में भीगता रहता है लेकिन उसे उसकी उपज के उचित दाम नहीं मिलते हैं और उसकी उपज को मनमाने दामों पर खरीद लिया जाता है। उसे कभी भी यह कहने का मौक़ा नहीं मिलता है कि मैं अपने अन्न को इस भाव पर बेचूंगा। पिछले वर्ष एक ऐसा मौक़ा ज़रूर आया था जबकि काश्तकारों ने कहा कि हम अपना अन्न अपने भाव पर बेचेंगे जिस को लेना हो लें लेकिन नतीजा क्या हुआ ? उनकी उपज की आरबिट्रेरली प्राइस फिक्स कर दी गई। कहा यह गया कि वह रैगुलेटरी प्राइस कही जायगी लेकिन जो प्राइस उनकी उपज की फिक्स की गई वह दरअसल किसानों का खून चूसने वाली प्राइस थी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे क्योंकि अन्यथा किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए उत्साह नहीं रह जायेगा और अगर ऐसा होता है तो यह देश के लिए कल्याण-प्रद नहीं होगा। रैगुलेटरी प्राइस फिक्स करने का मतलब किसानों का खून चूसने वाली प्राइस तो नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि यह मंत्रालय खाद्य मंत्रालय का इस बारे में अवश्य ध्यान आकृष्ट करेगा। श्री सुब्रह्मण्यम खाद्य तथा कृषि मंत्री हैं, पुराणों के अनुसार वह नाम देवताओं के सेनानायक का है। मुझे पूरी आशा है कि इस बारे में सेनानायक का आप को सहयोग मिल सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आप देहात सुधार और अधिक अन्न उपजाओ की योजनाओं पर ध्यान देंगे और अभी जो उनमें कमियां हैं उन्हें अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अक्सर यह कहा जाता है कि वे काम नहीं करते हैं और वे काग़ज़ी काम में लगे रहते हैं। लेकिन एक तरफ़ तो यह कहा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में लाल-फ़ीताशाही कम हो और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि हर तरह की रिपोर्ट आती रहें। इस अवस्था में सरकार को यह निर्णय करना पड़ेगा कि देहात में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाल-फ़ीताशाही में न फंसना पड़े और उन को ठीक तरह से काम करने का मौका दिया जाये।

सरकार ने पंचायती राज की स्थापना की, लेकिन आज पंचायतों के पास कितना पैसा है ? जब इन संस्थाओं को अधिकार दिये गये हैं, तो उन की आमदनी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि प्रदेशीय सरकारों के पास जो रेवेन्यू की रकम आती है, उस का एक बड़ा हिस्सा पंचायतों के हाथ में देना चाहिए। अगर सरकार पंचायतों को ब्लाक समितियों, क्षेत्र समितियों और ज़िला परिषदों को साधन नहीं देती है, उनको पैसा नहीं देती है, तो वे कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को निभा सकेंगे ? जब सरकार अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर रही है, तो उस के साथ साथ वह इन संस्थाओं के लिए वित्त की भी व्यवस्था करे।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विभाग के अनुदानों का समर्थन करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Members may now move the cut motions to Demands for Grants relating to the Ministry of Community Development and Co-operation, subject to their being otherwise admissible.

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Community Development and Co-operation be reduced by Rs. 100"

[*Need to supply fertilisers to agriculturists as loan* (3)].

Shri Tan Singh: I beg to move:

"That the demand under the head Ministry of Community Development and Co-operation be reduced by Rs. 100"

[*Need to supply fertilisers to agriculturists as loan* (3)].

Shri Tan Singh: I beg to move:—

"That the demand under the head Ministry of Community Development and co-operation be reduced by Rs. 100".

[*Need to check increasing expenses on Panchayat elections* (4)].

Shri Yashpal Singh: I beg to move:

(i) "That the demand under the head Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[*Failure to withdraw the jeeps from the Community Blocks* (9)].

(ii) "That the demand under the head Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[*Slow progress of the development in the Blocks* (10)].

(iii) "That the demand under the head Community Development Projects, National Extension Service and Cooperation be reduced by Rs. 100."

[*Failure to provide adequate credit facilities to farmers* (11)].

(iv) "That the demand under the head Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[*Failure to reduce the number of Committees and Conferences* (12)].

(v) "That the demand under the head Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation be reduced by Rs. 100."

[*Failure to avoid red-tapism in granting loans to farmers* (13)].

(vi) "That the demand under the head Community Development Projects, National Extension Service and Co-opertion be reduced by Rs. 100."

[*Failure to remove favouritism in the matter of allotment of fertilizers and funds to Community Blocks* (14)].

Mr. Deputy-Speaker: These cut motions are now before the House.

श्री बसवन्त (थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकार और सामुदायिक विकास मंत्रालय इस देश के 35,38 लाख लोगों के हितों के लिए काम करता है और यह मंत्रालय इस देश में सब से ज्यादा जनतंत्र का कार्य चलाने वाला विभाग है । इतना ही नहीं, लोगों को ऋण दे कर उपज बढ़ाने का काम जिन सहकारी संस्थाओं से किया जाता है, उन की सम्भाल भी इस मंत्रालय के पास है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मंत्रालय को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा देना जरूरी है । जब कृषि मंत्रालय के द्वारा कोई नियम या कानून बनाया जाता है, तो उस का आखिरी अमल देहात में पंचायत समिति या ब्लाक समिति के द्वारा किया जाता है । इस लिए कृषि-कार्य को बढ़ावा देने के लिए भी यह जरूरी है कि यह मंत्रालय एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के अधीन होना चाहिए । हमारा यह सौभाग्य है कि इस मंत्रालय के मंत्री, श्री डे और उन के साथियों, ने सहकार के क्षेत्र में काफी कार्य किया हुआ है और उन्होंने खुद इस विषय में अनुभव प्राप्त किया हुआ है ।

हमारे देश में सहकार से ही समाजवाद आ सकता है और इस लिए समाजवाद को लाने के लिए सहकार को मजबूत करना जरूरी है । अगर मैं महाराष्ट्र का उल्लेख करते हुए यह कहूं कि चीनी की सहकारी मिलों ने इस देश में चीनी के उत्पादन को सब से ज्यादा बढ़ावा दिया है, तो उस में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । इसलिए इस मंत्रालय की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ।

एग्रीकल्चरल प्राडक्शन (कृषि की उपज) को बढ़ाने के लिए कृषि सेवक नियुक्त किये जाते हैं, लेकिन कृषि सेवक की ट्रेनिंग की अवधि केवल दो साल की रहती है और दो सालों में वह सब बातें नहीं सीख सकता है । चूंकि किसान दस, बीस, तीस साल तक कृषि का काम करते रहते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ये छोकरे हैं, इन्होंने अभी पढ़ाई की है और अब मुझे पढ़ाने के लिए आये हैं । इसका नतीजा यह होता है कि कृषक लोग कृषि सेवक की बातों की तरफ़ कम ध्यान देते हैं । इस लिए कृषि को आगे बढ़ाने का इलाज यह होगा कि हमारे देश में, राज्य में और ज़िले में प्रगतिशील किसानों की सहायता ली जाये और अगर ज़रूरत पड़े, तो प्रचार के सम्बन्ध में उन की सहायता ले कर कृषि-उत्पादन में वृद्धि की जाये ।

मैं ने एक रिपोर्ट में देखा है कि हमारे देश में 45 करोड़ पशु हैं और 1964 में किसानों को सुधारी हुई नस्ल के 3,04,124 पशु दिये गये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसानों को इतनी थोड़ी संख्या में सुधारी हुई नस्ल के पशु दिये जायेंगे, तो आखिर कितने सालों में हमारे देश में पशुओं की नस्ल में सुधार हो सकेगा । जब तक हमारे पशुओं की नस्ल में सुधार नहीं होता है, तब तक हम को पर्याप्त दूध नहीं मिल सकता है । पार्लियामेंट में दिल्ली में दूध की कमी के बारे में सवाल उठाये जाते हैं । लेकिन पार्लियामेंट तो दूध नहीं दे सकती है, दूध तो पशु देते हैं । इसलिए पशुओं की नस्ल में सुधार और प्रगति करने के लिए हमारे ढांचे में मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए ।

हमारे देश में कलकत्ते में हरीनघाट और बम्बई के नज़दीक आरे कालोनी में दूध देने वाले पशुओं की बस्तियां बनाई गई हैं, जहां से जनता को दूध सप्लाई किया जाता है । लेकिन पशुओं के लिए चारा नहीं है और कृषि के लिए खाद का इन्तज़ाम नहीं है । अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है कि देहातों से दूध ला कर शहरों में रहने वालों को दिया जाये, तो इस के लिए ज़रूरी है कि सहकारी संस्थाओं को अच्छे ढंग से मज़बूत किया जाये, दो तीन साल तक उन के काम की देख-भाल की जाये और उन को पर्याप्त अनुदान दिया जाये ।

हम देखते हैं कि चालीस, पचास, सौ मील दूर देहातों में पशुओं से दूध निकाला जाता है और फिर उस को शहरों में लाया जाता है । बम्बई से आनन्द 260 किलोमीटर दूर है, जहां से बम्बई के लिए दूध सहकारिता के आधार पर लाया जाता है । इसी प्रकार दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए भी सहकारिता के हिसाब से गांवों में दूध इकट्ठा कर के उन शहरों के लोगों को उपलब्ध किया जाना चाहिए ।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है, आज उर्वरक सस्ते नहीं मिलते हैं, जिस का परिणाम यह है कि काश्तकार खेतों में खाद दे कर ज्यादा अनाज नहीं पैदा कर सकते हैं । इस अवस्था में कूड़े से बनाई हुई खाद का इस्तेमाल करना ज़रूरी है । हम देखते हैं कि 1964 में कूड़े की खाद के लिए 80,20,200 खाइयां खोदी गई । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सात लाख गांव हैं, जिन में रहने वाले परिवारों की संख्या बहुत अधिक है । इस दृष्टि से सिर्फ़ अस्सी लाख कूड़े की खाद की खाइयां पर्याप्त नहीं हैं और उन में वृद्धि की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे जंगलों और पहाड़ों में कूड़े-कचर की खाद बनाई जाये और उस का उत्पादन बढ़ाया जाये । अगर कूड़े की खाद के साथ साथ उर्वरक का इस्तेमाल भी किया जाये, तो कृषि का उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा ।

पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए किसानों को अच्छा घास देने की बहुत आवश्यकता है । लेकिन हमारे यहां जो घास मिलता है, वह जानवरों के कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि गर्मियों में वह सूख जाता है और उस में

[श्री बसवन्त]

सिर्फ़ बीस परसेंट कैलोरीज़ बाकी रहती हैं। इसलिए साइलोपिड बनाना जरूरी होगा, जिस से हमारे पशुओं को अच्छी घास दी जा सके और उनकी नस्ल सुधारी जा सके।

जहां तक गोबर का सम्बन्ध है, वह खाना बनाने के लिए जलाने के काम भी आता है, अर्थात उस की गोबर-गैस बनाई जाती है और उस से खाद भी बनती है। इस सम्बन्ध में जो अनुदान दिया जाता है, वह बहुत कम है और उस को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

मैं ने पढ़ा है कि 1962 तक 105 करोड़ रुपये का श्रमदान देहाती लोगों ने किया। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं कि जो लोग शहरों में रहते हैं, उन्होंने अपनी उन्नति के लिए कितना श्रमदान किया है। उन के लिए तो जहां जरूरत हो, वहां करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं। उनके लिए पानी, मकानों, रोडज़ और सैनीटेशन की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि नगर निगमों ने श्रमदान के द्वारा कितना योगदान किया है। केवल देहात के लिए श्रमदान का नियम रखना ठीक बात नहीं है।

देहातों का आप को हमेशा खयाल रखना चाहिए, उनकी भलाई किस में है, यह भी आप को देखना चाहिये। हम देखते हैं कि ब्लाक डिवेलपमेंट एरिया में जहां साठ प्रतिशत आदिवासी होते हैं या हरिजन रहते हैं वहां आठवां हिस्सा श्रमदान के रूप में लिया जाता है लेकिन जहां पर पचास प्रतिशत आदिवासी रहते हैं और पचास प्रतिशत गैर-आदिवासी रहते हैं वहां पर ज्यादा अनुदान में लिया जाता है। आप देखें कि जो आदिवासी नहीं भी हैं उन में भी ऐसे अधिकांश आदमी होते हैं जोकि आयकर देने की स्थिति में नहीं होते हैं, जोकि आयकर नहीं देते हैं। इस वास्ते उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक हालत को देखते हुए अगर अनुदान की मांग उन से की जाये तो यह वाजिब होगा। इस आधार पर कि वे आदिवासी नहीं हैं कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। यह देखा जाना चाहिये कि क्या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उनकी भी जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सहकारिता समिति से उनको मदद मिलनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शंकर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको अमल में नहीं लाया जाना चाहिये। शंकर कमेटी ने कोओप्रेटिव्ज़ और कम्युनिटी डिवेलपमेंट के बारे में बहुत से अच्छे अच्छे सुझाव नहीं दिये हैं। इस वास्ते उन सुझावों को अमल में नहीं लाया जाना चाहिये। सारे देश में पंचायती राज शुरू किया जाना चाहिये।

अभी माननीय सदस्या विमला देवी जी ने दो तीन बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सदस्यों को खरीद लिया जाता है। इस तरह की जो बात है यह उनके भाग में होती होगी महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर तो काम ठीक ढंग से चलता है। महाराष्ट्र में तो पंचायती राज का काम अच्छी तरह से चल रहा है।

एक और शिकायत उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि कोओप्रेटिव की जो संस्थायें हैं वे उर्वरक के मामले में ब्लैक मार्किट कर रही हैं। 32 रुपये के बजाय 72 रुपये लेती हैं। उन्होंने कहा है कि जब कोओप्रेटिव्ज़ ऐसा करती हैं तो दूसरे जो व्यक्ति हैं वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर कहीं इस तरह की खराबी है तो उसको बन्द करने की कोशिश होनी चाहिये। उन्होंने एक जगह इस तरह की चीज़ देखी और वह समझती हैं कि सारी दुनिया में अंधेरा हो गया है, कहीं उजाला ही नहीं है। लेकिन उजाला है और अंधेरा ही अंधेरा नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि सहकारी क्षेत्र में ब्लैकमार्किट होता है।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Sir, while I was making some observations, on another occasion, about the Ministry of Community Development, I suggested that some persons think it is a myth and an enigma. Maybe, there are some doubts about its purposiveness. Immediately the Minister, in his ebullient enthusiasm and undimmed youthfulness, admitted that it was so. But I am prompted to say that the concept of Panchayati Raj has conveyed a definite challenge, a movement and an urge, a commotion and a convulsion, and it is a vayage: "Are we going to a definite direction?". That is the question that is posed before us.

The new India, there surgent India has to meet the inescapable question: "whither it goes". Then country is seized with enormous problems of seething poverty, of rural backwardness and the weaker section writhing in agony and perpetual destitution, and yoked to perdition and one does not know how to get away from it. Naturally, if this Ministry comes forward to meet the challenge, I would say that this Ministry should be termed as a 'link' ministry. It is a link to the production apparatus. Through different processes of growth India will have a co-ordinated advancement and that has to be carried as a mission by an agency. That agency is the Community Development and Panchayati Raj Ministry.

Sometimes there are misgivings and it is in the fitness of things that people question about it. As you know, having traversed all over the world—you are a widely travelled person and you know about it—that in the different countries of the world varied difficulties are cropping up. In England, the so-called "Angry young men" who come forward challenging the whole norms of social behaviour. Because they are the sons of lower middleclass and working class who came of age with socialism and their minds nourished with government scholarships in Redbrick University, they put the question: whether we go? So also, India is seized with that problem. If some persons come with scepticism and riddled with a form of desparation, we have to put before them the vital question of growth and ask them to study it deeply and see how we can grow. So a definite, essential, inescapable 'must' in this Ministry is a co-ordinating agency to be set up. How to do it is the question that is posed before us.

A great friendly critic, Mr. Selig Harrison, who came here and was study the facets of growth, in his famous book *The most dangerous decades*, says:

> "In the decades between glimpse and fulfilment, development releases a new social awareness that soon becomes in the uniquely compartmentalised India's society, a militant group awareness.
>
> The promise of progress is the signal for a political and economic competition that intensifies as new claims to equally arise and as population growth presses the claimant into closer and closer quarters."

So, in this competition for growth if one comes surcharged with a mission, he finds near fulfilment of his own aspirations and thereby feels a form of belongingness to the development of the society which is craving for participation in the arena where fortunes are made and powers are wielded.

When we find that the Government has to tackle with different problems, we cannot leave it at that. Naturally, if today Panchayati Raj comes forward to tackle these problems, it will find that the same is deeply concerned with different aspects of social growth not only in this Ministry here but also the different ministries in the States.

Here the first suggestion that I would like to put forward, in all humility and with the little experience in my wide travel all over India, is that there must be a calendar for action,

[Shri P. R. Chakraverti].

a review of the same and an assignment of responsibilities. There must be a calendar indicating the various steps which have been taken at the village level, at the panchayat level, at the panchayat samiti level and at the district level. The dates and periods, wherever necessary, have to be fixed. Then there must be a review of the list of actions which have been taken to see that the matter must be capable of quick verification and adaptation to the growing needs of the community. Whenever there is anything going wrong, it has to be rectified.

There must be adequacy of administrative set-up. That is very essential. What is this co-ordinating agency in the centre. From the centre I will go to the bottom. There might be some difficulty in carrying this forward. So far as the question of reorganisation is concerned, an expert Committee headed by Shri V. Shankar has also gone into it. I understand that its findings are already being examined and most probably some action will be taken. I would like the hon. Minister to give us some idea here as to whether really some action is going to be taken on that.

Indeed, the co-ordinative approach has to be made from the top to the bottom, oriented to the task of achieving results in the fields, at the village level, at the block level, at the district level and at the centre. Then we have to link up the activities of the Panchayati Raj with the productive operations, and there must be a regular form of review.

Some hon. friends have been speaking about audit. As you know, the recommendations of the Khanna Committee are already known. Audit is a separate thing. It has to go into the adjustment of accounts and verifying the accounts part of it, so that people's doubts may be set at rest. But this review is certainly apart from the audit. It has to be done. Then we can see that the Panchayati Raj activities are inter-linked. I would suggest a pilot action in each district and each State to know the pattern of the development work which we are taking up and how it is progressing. There must be a phased programme drawn up for improving the quality of the existing village level workers and also for training them effectively, so that the whole thing can be organised effectively to give the village level worker a real grip of the matter. He must think: I am entrusted with a responsible task and I have to do it to the best of my ability; I will be accountable for the discharge of my responsibilities; but, at the same time, I must keep in mind that I am rooted to the soil. I know the problems of the locality and the ways in which I am expected to solve them.

Here I would like to bring in the question of incentives to the farmer. Agricultural development even though now it is progressing, is not an isolated question. It is linked with industrial development. The other day an American expert came here and addressed the Members about the development of electricity in rural areas. As you know, in India we have been given an assurance that we shall shift the population from the rural areas to the urban areas. But even after the operation of the Fourth Plan facts indicate that there is not the least chance of diminishing the proportion or pressure of population who are made to live on agriculture. In America apparently the trend is being reversed. The development of electricity in America in the rural areas has brought up a new phase where people are going back to the rural areas, enjoying all the facilities of electrification and industrial development.

On rural development, the other day I was reading a very nice note, most probably, issued from the Centre, where they say:

"Recent evaluation studies conducted by the Planning Commis-

sion noted an improvement in several directions in the implementation of the programme. In UP and Madhya Pradesh every Rs. 100 spent under the programme resulted in the creation of more than 60 man-days employment."

It is a very remarkable reading of the situation. I come from Bihar. What is the position in North Bihar? In one district, Darbhanga, which has population of 47 lahs the density is immense, as a result, in the whole year, they get employment only for three months. For the rest of the period the people are made to sit idle, absolutely idle, without any source of earning. So, it naturally devolves on this Ministry to find out avenues of employment so that these people might not be made to face starvation or depend on some doles from the Government. Of course, we have not reached that position and our social security scheme is still in its infancy; maybe, it is only a pittance, they may get. That does not carry us anywhere. We must create employment opportunities and we should effectively implement our social security schemes. That can only be possible when we have developed our rural industries to see that the unemployment problem is tackled at least to a certain level.

Here comes the question of the weaker sections. When we study this aspect of the development of co-operation, we find that there are practical difficulties. Suppose a farmer owns only a small plot of three acres of land, since he has no security to offer, he does not get any loan from the co-operative institutions. In fact, he finds that only the rich farmer gets the benefit of the co-operative movement. He finds that he is denied the privilege of tackling his problem with a little money advanced by the co-operative banks.

In that context, comes the question of co-operative farming. Shri Ranga has got a serious grievance on this score because he always confuses the word: "joint farming" with "collective farming" as is practised in the Communist countries of the world. Evidently, this joint co-operative farming concept was brought about, with the object of consolidating the small farms so that they could get the benefits of co-operative loans, marketing and storing facilities provided by co-operatives etc.

Here comes the question of processing, whether the processing industry itself should be limited to the co-operative sector. I am definitely of the opinion, after a careful study of these aspects all over India, that processing must be limited to the co-operative organisation, so that the rural people can have better avenues of employment. That aspect must also be borne in mind while dealing with this problem.

Today the whole tenor of the fight against poverty has changed. Now it is not only a question of social reforms here and there is the name of social justice, but it is rehabilitation. People must be rehabilitated in the changed social set up. People must find a place in social progress and participate in the development of community and that can be brought to the fare only by the co-operatives.

Sir, I come from a very small district of India, *viz.*, Dhanbad. We have started central co-operative store there and I am really proud to say that already we are selling goods worth Rs. 20 lakhs per month in the stores. And, within a few months, I am sure it will go up to Rs. 25 lakhs, which means, Rs. 3 crores per year for a small district with a population of 10 lakhs. It has immense potentialities. The Central Co-operative Stores all over the country are selling Rs. 100 crores worth of consumer goods. It might go up to Rs. 1,000 crores. Why not? If Dhanbad can give this performance by its little effort, why not other parts of India also show a similar, if not better, performance?

[Shri P. R. Chakraverti]

This co-operative movement is a mission, is an urge, provided it is taken up in earnestness. It is not done because there are sceptical people who question the veracity of its purposefulness. So, these conflicts arise. I had occasion to hear a remarkable comment that conflicts will be there at every place and time and 'the only time there will be no conflict is when you are dead'. But this co-operative movement and community development can by no means admit defeat faced with conflicts.

We find from the Report, so many committees are working, like Balwantrai Mehta Committee, Santhanam Committee and others and their findings are being examined. Now I would only like to say that the Fourth Plan now being in the offing, the Government of India have to allocate or earmark sufficient funds to those departments, particularly those dealing with rural areas and development processes, so that they can carry on their work with those funds and function, in spite of the difficulties which they have to face. In that context, the question of resources comes to the forefront, because whenever any local panchayat has to levy a tax, it feels little shy because, being in the immediate neighbourhood of its electorate, it feels that it cannot confront the people with unpopular measures like inflicting additional taxation. Therefore, some maching grants should be provided. Whenever any tax is to be levied on the people to raise resources, they must be supplied with maching grants so that they will serve as an incentive, and will be persuaded to come forward and appeal to the electorate; here it is a problem which we have to tackle together, jointly and co-operatively, because we are getting these facilities, in the form of maching grants.

I have got this positive suggestion, that while tackling these problems of planning, the question of employment, social education, housing and the upliftment of the weaker sections, the panchayati raj institutions have to deal directly and effectively and find solution. That can be possible only when a co-ordinated form of work is undertaken. I congratulate the Ministry. It has certainly survived the onslaughts of the sceptics. I came to hear that this Ministry was going to be merged with another Ministry. On the other hand I would say that this Ministry must be raised to the Cabinet rank so that it can deal with the problems that faces the country in different forms. After all, this Ministry has its aspiration to grow and work out its mission. A young man of 65, as I happen to be, I wish this Ministry well in its urge to grow, in its volition to carry the country forward towards a brighter destiny.

श्री धुलेश्वर मीना (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय की मांगों का स्वागत करता हूं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : विकास या विनाश ।

एक माननीय सदस्य : अपने अपने देखने का तरीका है ।

श्री धुलेश्वर मीना : जब से इस मंत्रालय का प्रारम्भ हुआ, देश में धीरे धीरे प्रगति हुई है । लेकिन गत वर्ष माननीय मन्त्री महोदय ने इस डिबेट को समाप्त करते हुए अपने भाषण में बतलाया था कि :

"I have been able to hand over this girl, at the behest of this House and of the people of this country, to a boy belonging to the Agriculture Ministry, none other than the son of the sturdy and stout-hearted Minister, such as my hon. friend, Dr. Ram Subhag Singh."

मैं आपके इस वाक्य के ऊपर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपकी यह मिनिस्ट्री जो कि सामुदायिक विकास का कार्य कर रही है इस काम को पूरा करने के पहले ही एग्री-कल्चर मिनिस्ट्री को दे देगी तो मुझे भय है कि जो कुछ भी विकास कार्य हो रहा है देश के अन्दर वह समाप्त हो सकता है या ढीला हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार यह काम हो रहा है वैसे ही होता रहे। और जैसा कि मिस्टर चक्रवर्ती ने कहा, इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का कैबिनेट रैंक होना चाहिए ताकि इस विभाग के काम में काफी प्रगति हो सके।

अब मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस काम में जो गड़बड़ी चल रही है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आप टी० डी० ब्लाक के लिए जो रुपया देते हैं वह काफी नहीं है और जितने टी० डी० ब्लाक खोले जाने चाहिए उतने नहीं खोले गए हैं। मैं ट्राइबल एरिया में घूमता हूं और मैंने देखा है कि टी० डी० ब्लाक जितने होने चाहिए नहीं है। जिस समय इस सदन में ढेबर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस चल रही थी उस समय भी ट्राइबल एरिया में अधिक से अधिक टी० डी० ब्लाक खोलने की मांग की गयी थी। अभी तक जितने टी० डी० ब्लाक खोले जाने चाहिए थे उतने नहीं खोले गए हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में उदयपुर डिवीजन में ट्राइबल एरिया अधिक है। वहां ट्राइबल ब्लाक्स की बहुत मांग है। चित्तौड़गढ़ की जो प्रतापगढ़ और अचनेरा तहसीलें हैं वहां ट्राइबल ब्लाक्स की बहुत जरूरत है। यहां से असेम्बली के लिए ट्राइबल सीटें भी हैं। इसी के साथ सराड़ा, कोटड़ा, गोंमुन्दा और फलासीया से भी असेम्बली को ट्राइबल सीटें हैं। इन स्थानों में भी जल्दी से जल्दी ट्राइबल ब्लाक दिए जाएं ताकि आदिवासियों को सहायता मिल सके।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जितना एमाउण्ट ट्राइबल ब्लाक्स के लिए मुकर्रर है उसके अलावा भी सरकार को कुछ पैसा सी० डी० ब्लाक्स से इनको देना चाहिए क्योंकि सी० डी० ब्लाक्स में जो पैसा दिया जाता है वह दूसरे लोगों के कामों में लग सकता है। ट्राइबल ब्लाक्स का पैसा तो किसी और काम पर नहीं लग सकता, लेकिन सी० डी० ब्लाक्स का पैसा तो और काम पर लग सकता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि सी० डी० ब्लाक्स से कुछ पैसा ट्राइबल ब्लाक्स को दिया जाए।

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कार्य चलता है उसमें सबसे पहले श्रमदान रखा जाता है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य को श्रमदान पर छोड़ेंगे तो वह काम पूरा नहीं होगा, और जो काम इस प्रकार श्रमदान पर छोड़े गए हैं वे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग श्रमदान करने के लिए तैयार नहीं होते। राजस्थान सरकार ने और खास कर आपने जो ग्रामीण लोगों से इस बारे में सुझाव मांगे थे उन सुझावों में कहा गया है कि जो काम इन क्षत्रों में श्रमदान पर छोड़े गए थे वे अधूरे पड़े हैं, इसलिए श्रमदान को खत्म करना चाहिए और जो काम अधूरे पड़े हैं उनको सरकार पैसा देकर पूरा करावे। इनमें कु काम ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार नहीं करवा सकती। उनको केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से पूरा करावे।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ट्राइबल ब्लाक्स में कुओं के लिए 500 रुपया फी दिया जाता है। लेकिन मन्त्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि एक कुआं दो हजार से कम नहीं बन सकता। जो सरकार पांच सौ रुपया देती है उससे किसान गडढ़ा बना देते हैं और उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। मेरा सुझाव है कि पांच सौ के बजाय इस काम के लिए एक हजार या डेढ़ हजार रुपया दिया

[श्री चुलेश्वर मीना]

जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है है कि किसान इस रुपए को दूसरे काम में लगा देते हैं, अपना कर्जा अदा करने में लगा देते हैं। कल मन्त्री महोदय ने बताया था एक प्रश्न के उत्तर में कि जो कुछ भी किसानों से वसूल करना है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। और जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूल करता है। वह यह नहीं देखता कि वह आदमी किस तरह अपना काम चला रहा है और उस आदमी को पैसा देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में भी लोग इस कुएें के रुपए को उसमें दे देते हैं। तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना काहता हूं कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल चलते हैं। और आशा की जाती है कि इनमें पढ़ कर बच्चे देश के भावी नागरिक बनेंगे। लेकिन ये स्कूल पंचायत के मेम्बर और सरपंच के अधीन होते हैं, वे इनमें मनमाने ढंग के अध्यापक रखते हैं और चाहे जैसे उनको चलाते हैं। इसलिए उनमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और विद्यार्थियों को पढ़ने में अनेक अड़चनें होती हैं। कल सदन में कहा गया शिक्षा मन्त्रालय की ओर से कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पंचायत समितियों के नियन्त्रण में दिए जाने के लिए प्रावीजन किया जा रहा है। अगर ऐसा किया गया तो मुझे डर है कि देश के लिए अच्छे भावी नागरिक तैयार नहीं किए जा सकेंगे और विद्यार्थियों का जीवन बरबाद हो जाएगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन रखे जाने चाहिए।

श्री गोकरन प्रसाद (मिसरिख): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे सामुदायिक विकास योजना के पीछे भावनाएं अच्छी रही हों, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके पीछे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे यहां ब्लाक की स्थापना होती है, और उसके लिए जितना रुपया सरकार की ओर से दिया जाता है, जहां तक मैंने उसका अध्ययन किया है, उसका 70 या 80 फीसदी रुपया कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में चला जाता है। हम देखते हैं कि एक एक ब्लाक में सरकारी कर्मचारियों की एक फौज छोड़ दी गयी है, और सरकार का सारा पैसा इसी फौज पर खर्च होता है। जो पैसा वास्तव में सामुदायिक विकास में खर्च होना चाहिए वह पैसा इन लोगों के ऊपर खर्च हो जाता है और उसका समुचित फायदा यहां की जनता को नहीं हो पाता है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम सेवक रखे गए हैं। इनका मुख्य काम है किसानों को खेती के विषय में, नए नए यन्त्रों के विषय में और नए प्रकार से खेती करने के बारे में सलाह देना, लेकिन ये लोग उनको सलाह नहीं देते बल्कि गांवों में घूम कर पार्टी पालिटिक्स करते हैं।

मैंने देखा है कि यहां के किसान इन लोगों की बातों में फंस जाते हैं। दरअसल इन लोगों को चाहिए कि वे किसानों के अन्दर इतनी योग्यता पैदा करें, खाद, पानी और बीज आदि के महत्व को किसानों को इतना समझायें कि किसान उनके महत्व को ठीक तौर से समझ कर सही और उचित रीति से उनका उपयोग करे। लेकिन होता यह है कि किसान जब कहीं साधन सहकारी समिति से कर्ज लेने के लिए जाता है तो उसको मजबूर किया जाता है कि पहले वह खाद ले फिर उसे रुपया दिया जायेगा अगर किसान केन यूनियन में गन्ने के बीज के लिए जाता है तो वहां पर यह कहा जाता है कि पहले तुम इतनी खाद लो तब तुम्हें इतना बीज दिया जायगा। इसी तरह से जब वह सीड स्टोर में बीज लेने जाता है तो उसे खाद लेने को कहा जाता है। साधन सहकारी समिति में रुपया लेने जाता है तब उसे कहा जाता है कि खाद लो। किसान अपनी जरूरत

पूरी करने के लिए खाद ले तो लेता है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। खाद कागज में तो बट जाती है लेकिन खेती में उसका अच्छे तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार की कार्यवाहियां हों उनको रोकने की ओर सरकार विशेष ध्यान दे। राम राज्य की भावना से प्रभावित होकर गांवों में पंचायतों की स्थापना की गई है। जहां तक न्याय पंचायतों की बात है इन न्याय पंचायतों के सरपंच प्रायः वही लोग हैं जो कि या तो उस इलाके के गुंडे हैं या उस इलाके के बदमाश हैं। इस बात का प्रमाण आपको इस बात से मिल जायेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कोई भी हरिजन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि न्याय पंचायतों का सरपंच रहा हो। अगर कोई भी हरिजन इन न्याय पंचायतों का सरपंच नहीं है तो इस का मतलब यह नहीं हो जाता है कि हरिजनों में इतनी योग्यता नहीं है या हरिजनों के अन्दर पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि वह न्याय पंचायत का काम चला सकें। लेकिन जैसा मैंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी न्याय पंचायत का सरपंच हरिजन न होना इस बात का प्रमाण है कि लोग जिनसे दबे हुए होते हैं या जिनसे आतंकित रहते हैं उन्हीं को वे इसके लिए चुनते हैं। अब जो आतंक के बल पर या जो पैसे के बल पर चुन कर उन न्याय पंचायतों में जाते हैं उनसे न्याय की क्या आशा की जा सकती है? क्या वह वास्तव में एक दूसरे के साथ न्याय कर सकते हैं? आज हम तो यहां तक देखते हैं कि पंचायतों के चुनाव में हजारों रुपये खर्च करके लोग इनके चुनाव लड़ते हैं और जिसका कि नतीजा यह हो रहा है कि वे वहां पर पहुंच कर धपलेबाजी और अनेकों प्रकार की बेईमानियां करते हैं। वे यह समझते हैं कि अगर कहीं हम चुनाव में हार गये तो हो सकता है कि हमारी सारी बेईमानी खुल कर जनता के सामने आ जाय इसलिए अपनी पिछली बुराइयों को छिपाने के लिए वे हजारों रुपया खर्च कर डालते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, अपने पक्ष में वोट देने के लिए दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि उनके द्वारा वोटर्स को अपने मकानों में बन्द कर लेते हैं और उनको अपनेपक्ष में वोट डालने के लिए अनेक प्रकार का ललच देते हैं तो आप ही बतलाइये कि क्या इस प्रकार के चुने हुए व्यक्ति जनता का कल्याण कर सकते हैं? क्या उनसे कोई भी आदमी न्याय पाने की आशा कर सकता है?

अब मैं आपको बतलाऊं कि हमारे उत्तर प्रदेश में साघन सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। साघन सहकारी समितियों से लोगों को कर्जा दिया जाता है। उनको यह कहा जाता है कि इतना रुपया तुम्हें अपने हिस्से का जमा करना पड़ेगा, इतने रुपये की खाद लेनी पड़ेगी। उतना रुपया काट कर उस किसान को दे दिया जाता है। किसान उस उस रुपये को ले जाता है। अब इन सघन सहकारी समितियों में होता यह है कि एक मर्त्तबा किसान ने कर्जा लिया तो जब पहले वह कर्जा लेता है तो उसे कहते हैं कि इतना रुपया तुम मैम्बरी का, अपने शेयर का जमा करो अपने हिस्से का और इतनी तुमको खाद लेनी पड़ेगी।

रुपया जो उसको मिलता है उस रुपये को वसूल करने के साल के बाद जब किश्त आती है तब कहते हैं कि रुपया लाओ। तब उसके पास रुपया नहीं होता है और महाजन से एकाउन्टेंट और सरपंच से (जो यह तीसरा आदमी होता है) इससे रुपया लेकर उसकी वसूली दिखाता है। जब एकाउण्ट साफ़ हो गया तब फिर उसी काश्तकार से दरख्वास्त बनवाता है और दरख्वास्त बनवाने के बाद उसके नाम से फिर बैंक से कर्जा लिया। अब उसके नाम से जो रुपया कर्जा मिला उसमें से जिस महाजन से रुपया लेकर जमा करता है उसको कुछ परसेंटेज देता है बाकी कुछ उसमें एकाउन्टेंट के खाते के लिए कुछ सरपंच के खाने के लिए जाता है। इस तरीके से जितना किसान कर्जा लेता है, मान लो कि

[श्री गोकरन प्रसाद]

इस साल उसने 100 रुपया लिया तो अगले साल 150 रुपया हो जाता है । और कागज़ में रिन्यु हो जाता है इसलिए यह कागज में रिन्यु होने की स्कीम नहीं होनी चाहिए क्योंकि रुपया तो उसे मिलता नहीं है । आज सरपंच एकाउन्टेंटों की बेईमानी के कारण किसान का कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । खेती की तरक्की के लिए जो रुपया उधार लिया जाता है, ट्यूबवैल आदि बनाने के लिए होता यह है उसका मिस्यूज होता है और उसका सही उपयोग नहीं होता है । जब वसूली का नम्बर आता है तब नेता लोग पहुंच जाते हैं कि यह मेरा आदमी है इसका मुल्तवी कर दो तो वह मुल्तवी भी हो जाता है ।

हमारा देश एक खेतिहर देश है । हमारे देश की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जबकि हमारे देश की खेती की उन्नति हो । आज सरकार की ओर से खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की सहायता की जाती है लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि यह है कि यह सहायता उन्हीं लोगों को सुलभ हो पाती है जो कि सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित होते हैं । मेरे जिले में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे कि लोगों को 10, 10 और 15,15 हजार रुपये ट्यूबवैल लगाने के लिए कर्जा दिये 5, 5 और 10,10 साल हो गये हैं या अन्य साधनों के नाम पर उनको यह कर्जे दिये गये थे लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की कि उस रुपये का उन्होंने सदुपयोग किया है अथवा दुरुपयोग किया है ? जिस समय उनकी वसूली की किश्त वगैरह की बात आती है वह नेताओं को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं और अधिकारियों पर किसी तरीके से दबाव डालकर पैसा वसूल करना मुल्तवी करा लेते हैं । इस तरह का एक केस तो मैंने स्वयं डी० एम० को लेकर दिया । मैंने उनसे कहा कि साहब गरीब लोगों को तो थोड़े थोड़े पैसे के लिए परेशान किया जाता है लेकिन जिन लोगों के ऊपर 10,10 और 15,-15 हजार रुपये का कर्जा कई कई सालों से है उनके साथ भी वही सख्ती क्यों नहीं की जाती है ? उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वे इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करेंगे लेकिन बाद में इनके ऊपर दबाव पड़ा और वह कोई भी ऐक्शन न लेने पर मजबूर हो गये । फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें कुछ और मामला है और आप तो उनसे नाराज हैं इसलिए यह ऐक्शन आप चाहते हैं ।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास योजना एक बहुत अच्छी चीज है लेकिन जिस पद्धति से इस विभाग का कार्य चल रहा है उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जहां तक मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जो कायपद्धति चल रही है अगर यह कार्य पद्धति इसी प्रकार से चलती रहेगी तो देश का विकास नहीं अपितु विनाश अवश्य हो जायेगा । अनेक प्रकार के उदाहरण इस बारे में हम लोगों के सामने आते रहते हैं क्योंकि हम लोग रोज देहातों में घूमा करते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही मैंने इसके पहले भी कहा था कि खेती की वास्तविक तरक्की ही हमारे देश की तरक्की है । इसके साथ ही आज हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि इस समय यहां का चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, हर व्यक्ति के ऊपर इतना टैक्स लाद दिया है कि उसका जीना दूभर हो रहा है । ऐसी स्थिति में जबकि यहां का किसान या व्यापारी, हर व्यक्ति अधिक से अधिक टैक्स दे रहा है तो उसके साथ ही सामुदायिक विकास के नाम पर जो टैक्स लगा है या लगने जा रहा है वह कर नहीं लगाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री समनानी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाबवाला, मैं जहां से मि० चक्रवर्ती ने मि० डै० को मुबारकवाद देते हुए अपनी तक़रीर को खत्म किया था कि वह तमाम तूफ़ानों से बच निकले हैं, जहां उन्होंने तक़रीर खत्म की थी, वहीं से मैं अपनी तक़रीर शुरू करता हूं। डे० साहब के नाम के साथ जो कम्यूनिटी डेवैलपमेंट और कोआपरेशन का लफ्ज आ गया उसी दिन से मैं समझता हूं कि यह तूफ़ान और मुश्किलात उनसे चिमट गईं और चिमटी रहेंगी जब तक कि वह इस मिनिस्टरी में हैं। वह इन तूफ़ानों का मुकाबला करते चले आ रहे हैं। मैं इस मौक़े पर उनको मुबारक़बाद देने के बजाय हुकूमत को मुबारक़बाद देना चाहता हूं कि जिसने इन अफवाहों का खात्मा कर दिया कि यह मिनिस्टरी किसी और मिनिस्टरी के साथ जा रही है या यह खत्म हो रही है। यह खबर उन लोगों के लिए जो कि कोआपरेशन और कम्यूनिटी डेवलपमेंट के खिलाफ़ हैं उन के लिए खुशी की बायस थी। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि न सिर्फ़ मरकज़ में, बल्कि मुस्तलिफ रियासतों में भी इस खबर से एक किस्म का जमूद, एक किस्म का तातुल सा पैदा हो गया था और कुछ लोग सोचने लगे थे कि अगर यह बला टल रही है तो टल जाये। यह सिर्फ श्री डे का सवाल ही नहीं था, बल्कि यह एक मूवमेंट का सवाल था। वह एक मिनिस्ट्री का सवाल नहीं था, बल्कि तमाम मुल्क की तरक्की का सवाल था, जिसको हमने तीन, चार, पांच महीने के लिए बिल्कुल स्टडस्टिल कर दिया। जब यह फ़ैसला हुआ, तो उसके बाद मुस्तलिफ स्टेट्स में हरकत आई और लोगों ने यह महसूस किया कि यह मिनिस्ट्री रहेगी।

14 hrs.

जैसा कि यहां पर दूसरे दोस्तों ने भी कहा है, कम्यनिटी डेवेलपमेंट और को-आपरेशन उन लोगों के लिए है, जिनके लिए बड़े बड़े प्राजैक्ट नहीं बनते हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी हैवी मैशीनज़ इम्पोर्ट नहीं होती हैं, जिनके लिए बिजलीघर और बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बनती हैं, जिनके लिए सैनीटेशन के लिए अण्डर ग्राउण्ड चीज़ें नहीं बनती हैं, बल्कि वह उन लोगों के लिए है, जो सही हिन्दुस्तान हैं, लेकिन जो इन तमाम रियायात और मुराआत से दूर रहते हैं। इस मिनिस्ट्री और इस प्रोग्राम के ज़रिये हम उन लोगों तक पहुंचना है, जिसके बारे में हमारे स्वर्गवासी प्राइम मिनिस्टर ने एक मौके पर नहीं, कई मौकों पर, ऐलान किया था और खुद कांस्टीट्यूशन के डाय-रेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ में हमने जिसको खास जगह दी है।

मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं कि बरसों को-आपरेटिव्ज़ में काम करते हुए, देहाती दुनिया के नज़दीक रहते हुए और उसके साथ बड़ा लगाव रखते हुए मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूं। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम को-आपरेटिव मूवमेंट में कुछ लैक करते हैं, अगर इसमें कुछ कमी या खामी है, तो वह इस महकमें के मुताल्लिक को-आपरेशन की है।

एक माननीय सदस्य : किसकी ?

श्री समनानी : को-आपरेशन मरकज़ी सतह पर, को-आपरेशन स्टेट की सतह पर, को-आपरेशन आफ़िशलडम की सतह पर, को-आपरेशन हर लैवल पर। को-आपरेटिव मूवमेंट का नाम सुनते ही कुछ लोगों में नान-कोआपरेशन का जनून चल पड़ता है। हम हर दफ़ा कहते हैं कि इसमें यह खामी है, वह खामी है। अगर हम यहां पर मिनिस्टर साहब से पूछते हैं कि फ़लां काम नहीं होता है, तो वह कहते हैं कि यह स्टेट सबजैक्ट है, हमने चीफ़ मिनिस्टर को लिख दिया है। चीफ़ मिनिस्टर जवाब दे देता है कि हो रहा है। अगर यहां पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, स्टेट नहीं करती है। यह है पहली को-आपरेशन, जो सेंटर को स्टेट्स से मिलती है।

अगर आप उसकी सतह से नीचे चले जाइये, तो वह कहेगा कि आर्डर्ज इश्यू हो गए

[श्री समनानो]

हैं, लेकिन रजिस्ट्रार के पास स्टाफ़ की कमी है । रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, तो वह कहता है है कि स्टाफ़ का इन्तज़ाम हो गया है, लेकिन वह अनट्रेन्ड है, वह ट्रेनिंग के लिए जायेगा, ट्रेनिंग लेकर आयेगा और उसके बाद काम करेगा ।

इसका नतीजा यह होता है कि जिन लोगों को हमने बड़े बड़े भाषणों और लम्बी चौड़ी बातों से जगा दिया था कि यह मूवमेंट तुम्हारे लिए है, ग़रीबों के लिए है, वे परेशान होकर इधर-उधर देखते हैं और उनको कहीं सहारा नहीं मिलता है ।

मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात न करते हुए सिर्फ़ इतना कहूंगा कि एक तरफ़ तो नान-कोआपरेशन का आलम है और दूसरी तरफ़ स्टेट्स के लेबल पर—मैं किसी एक स्टेट का नामन हीं लेना चाहता हूं—इस को एक फ़ालतू सा महकमा समझ लिया गया है । अगर किसी आफ़िसर की मुलाज़िमत दूसरे डिपार्टमेंट में काफ़ी लम्बी हो जाये या किसी को किसी जगह प्रोवाइड करना हो, तो उसको इस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, हालांकि स्टेट्स और मरकज़ भी यह जानते हैं और इस मूवमेंट को चलाने वाले भी जानते हैं कि जिस आफ़िसर ने यहां पर आकर काम करना है, पहले तो बुनियादी तौर पर को-आपरेटिव तहरीक से खुद उसकी हमदर्दी होनी चाहिए और दूसरे, वह इसके टैकनिकल पहलुओं को समझे । स्टेट मिनिस्टर्ज़, को-आपरेटिव मिनिस्टर्ज़, डेवेलपमेंट कमिश्नर्ज़ वग़ैरह की कांफरेंसिज में, सट्रल मिनिस्ट्री की तरफ़ से, रिज़र्व बैंक की तरफ से और हर एक रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वे लोग रजिस्ट्रार और दूसरे आफ़िसर लगाए जायें, जो ट्रेंड हों, जो इस महकमे को जानते हों, और सबसे जरूरी बात यह है कि इस मूवमेंट पर जिन का अकीदा, ईमान और यकीन हो ।

लेकिन आप चाहे नार्थ में जाइये या साउथ में जाइये, देखने में यह आता है कि बहुत कम स्टेट्स ऐसी होंगी, जिनमें को-आपरेटिव के आफ़िसर्ज़ खुद को-आपरेटिव पर यकीन रखने वाले मिलें या ट्रेंड मिलें । ज्यों ही एक आदमी थोड़ा सा ट्रेंड होता है, उसका तबादला करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है है और अगर किसी को अच्छी पोस्ट पर प्रोवाइड करना है, तो उसको यहां भेज दिया जाता है । मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो नान-कोआपरेशन की लहर चल रही है, उसको दूर करने में उन्हें किस हद तक कामयाबी हुई है और वह इस सिलसिले में सेंटर और स्टेट्स के लैबल पर क्या कर रहे हैं ।

ये छोटी बातें हैं कि किसी स्टेट में कम तरक्की हुई है और किसी में ज्यादा तरक्की हुई है । मेरे फ़ाज़िल दोस्त ने कहा है कि इस में को-आर्डिनेशन आना चाहिए । मैंने यह देखा है कि कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवेलपमेंट के लिए आफ़िशल लेबल पर को-आर्डिनेशन की बात कही जाती है, तो उसका मतलब दूसरे आफ़िसर और मिनिस्टर यह समझते हैं कि उनके अख्तयारात छीन कर किसी को-आपरेटिव मिनिस्टर या को आपरेटिव आफ़िसर या को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को दिये जा रहे हैं । को-आर्डिनेशन का मतलब यह नहीं है । उसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर या एनीमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट के जो आफ़िसर हैं, उनकी अपनी अफ़सरी कायम है, लेकिन उन्होंने जो काम को-आपरेटिव या पंचायतों के ज़रिये कराना है, वे उसमें अपनी तरफ़ से मदद दें । मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस सिलसिले में में जो लम्बी चौड़ी चिट्ठियां लिखी हैं, तारें दी हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स को और वह जो छोटे और बड़े लेबल पर कन्फ़रेंस करते रहते हैं, क्या उनमें कुछ कामयाबी हुई है और थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान के ख़त्म होने के बाद जब हम फ़ोर्थ फाइव यीअर प्लान में जायेंगे, तो क्या यह नान-कोआपरेशन चलती रहेगी या

उसमें कुछ कमी हो जायेगी और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ़ से और ख़ास तौर पर स्टेट्स की तरफ़ से वह को-आपरेशन आयेगी या नहीं ।

यही हालत कम्युनिटी डेवेलपमेंट में है । मुझे माफ़ किया जाये, मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था कि कम्युनिटी डेवेलपमेंट से कम्युनिटी की डेवेलपमेंट के बजाये आफिशलडम की डेवेलपमेंट ज्यादा होती है । अगर आप स्टेट्स के बजट्स पर नज़र डालें, तो आप देखेंगे कि वी० डी० ओ०, सोशल आफ़िसर, एक्सटेंशन आफ़िसर और व्हाट नाट वग़ैरह का इतना लम्बा-चौड़ा अमला है कि उनकी तनख्वाहों से बच कर चन्द परसेंटेज ही कम्युनिटी डेवेलपमेंट के लिए जा सकता है । यह ठीक है कि उन आफ़िसर्ज़ की, उस अमले की और काग़ज़ी कारोबार की ज़रूरत है और एक प्लाण्ड सोसायटी में इन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ ही इस बात का पूरा ख्याल किया जाना चाहिए कि अगर हम सही डेवेलपमेंट की तरफ़ जाना चाहते हैं, तो हम को इस ख़र्च में कमी करनी होगी ।

जैसा कि अभी कहा गया है, जब शहरों में सड़क बनती हो, नल लगने हो, या बिजली लगनी हो, तो किसी कांट्रीब्यूशन या मैनपावर की जरूरत नहीं होती है, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है, बल्कि गवर्नमेंट पूरे का पूरा ख़र्च खुद करती है । लेकिन गांवों के लिए एक दूसरी थ्योरी है, जिसको मैं आज तक डाइजैस्ट नहीं कर सका हूं, जिसका मैं कायल नहीं हूं । यह ठीक है कि वहां के लोगों की मदद और को-आपरेशन आनी चाहिए । इसमें कोई शक नहीं है । लेकिन यह थ्योरी बिल्कुल काबिले-अमल नहीं है कि वहां पर हम काम इस लिए नहीं करते हैं, वहां पर हम कुएं इसलिए नहीं बना कर देते हैं कि किसान लेथार्जिक हो जायेंगे और कहेंगे कि जब कुआं सरकार ने बना दिया है, तो सड़क भी सरकार बना देगी ।

मिनिस्टर साहब और इस मिनिस्ट्री को उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा, जिनकी तरफ़ इशारा किया गया है, यानी आदिवासी और ट्राइबल्ज़, जिनके पास ज़मीन है, जो छोटे किसान हैं, जो ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन जिनको उसे प्लैज करने का हक़ नहीं है । उनके लिए लोन की कोई सहूलियत नहीं है सिवा इसके कि वे साहूकार के पास जायें, जिससे उनकी सारी प्रोड्यूस साहूकार के पास रहन हो जाये । मिनिस्टर साहब को देखना पड़ेगा कि उन लोगों के लिए आल्टरनेटिव क्रेडिट की क्या सूरत हो सकती है और उनको ज़रूरी राइट्स किस तरह से दिये जा सकते हैं । कोआप्रेटिव्ज़ और पंचायतों में आपस में पूरा कोआर्डिनेशन होना चाहिये । निचली सतह से लेकर ऊपर तक कोआर्डिनेशन होना चाहिये । इस मामले में मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब हमें बतलायें कि उन्हें कितनी कामयाबी हासिल हुई है । है । अगर इस चीज़ को कर दिया जाए तभी स्पीचीज करने का फायदा होगा वर्ना नहीं । वर्ना नकायस निकालना या तारीफ करना बेकार है । जहां जहां खराबियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिये । अगर यह कहा जाए कि बहुत कुछ हुआ है और साथ ही यह कहा जाए कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह गलत हैं । काम हुआ है और हो रहा है । काम तसल्लीबख्श भी हो रहा है । लेकिन इनमें आपस में सबसे बड़ी बात जो है वह कोआर्डिनेशन की है, म्युचुअल कोओपरेशन की है । इस पर मैं जोर दूंगा और चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इसके मुताल्लिक हमें कुछ बतायें ।

[شری سمدانی (جموں اور کشمیر)- جناب والا - میں جہاں سے مسٹر چکرورتی نے مسٹر ڈے کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کیا تھا کہ وہ تمام طوفانوں سے بچ نکلے ہیں جہاں انہوں نے تقریر ختم کی تھی وہیں سے میں

[شری سیلانی]

بعد مختلف سٹیٹس میں حرکت آئی اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ منسٹری رہیگی -

جیسا کہ یہاں پر دوسرے دوستوں نے بھی کہا ہے - کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور کوآپریشن ان لوگوں کے لئے ہے جن کے لئے بڑے بڑے پراجیکٹ نہیں بنتے ہیں - جن کے لئے بڑی بڑی ہیوی مشینز امپورٹ نہیں ہوتی ہیں - جن کے لئے بجلی گھر اور بڑی بڑی سڑکیں نہیں بنتی ہیں - جن کے لئے سیلیکشن کے لئے انکر گراؤنڈ چیزیں نہیں بنتی ہیں - بلکہ وہ ان لوگوں کے لئے ہے - جو صحیح ہندوستان ہیں - لیکن جو ان تمام رعایات اور مراعات سے دور رہتے ہیں - اس منسٹری اور اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا ہے جس کے بارے میں ہمارے سورگ واسی پرائم منسٹر نے ایک موقعہ پر نہیں - کئی موقعوں پر اعلان کیا تھا اور خود کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹو پرنسپلز میں ہم نے جس کو خاص جگہہ دی ہے -

میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برسوں کوآپریٹوز میں کام کرتے ہوئے - دیہاتی دنیا کے نزدیک رہتے ہوئے اور اس کے ساتھہ ہوا لگاؤ رکھتے ہوئے میں کسی نتیجے پر پہنچا ہوں - مجھے افسوس کے اپنی تقریر شروع کرتا ہوں - قبے صاحب کے نام کے ساتھہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور کوآپریشن کا لفظ آگیا اُس دن سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ طوفان اور مشکلات ان سے چمٹ گئیں اور چمٹی رہینگی جب تک کہ وہ اس منسٹری میں ہیں - وہ ان طوفانوں کا مقابلہ کرتے چلے آرہے ہیں - میں اس موقعہ پر ان کو مبارکباد دینے کے بجائے حکومت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس نے ان افواہوں کا خاتمہ کر دیا کہ یہ منسٹری کسی اور منسٹری کے ساتھہ جا رہی ہے یا یہ ختم ہو رہی ہے - یہ خبر ان لوگوں کے لئے جو کہ کوآپریشن اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں ان کے لئے خوشی کی باعث تھی - میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ نہ صرف مرکز میں بلکہ مختلف ریاستوں میں بھی اس خبر سے ایک قسم کا جمود - ایک قسم کا تعطل سا پیدا ہو گیا تھا اور کچھہ لوگ سوچنے لگے تھے کہ اگر یہ بل ٹل رہی ہے تو ٹل جائے - یہ صرف شری دے کا سوال ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک موومینٹ کا سوال تھا - یہ ایک منسٹری کا سوال نہیں تھا - بلکہ تمام ملک کی ترقی کا سوال تھا - جس کو ہم نے تین - چار - پانچ مہینے کے لئے بالکل سٹیٹک سٹل کر دیا - جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے

ہے - وہ ٹریننگ کے لئے جائیگا - ٹریننگ لے کر آئیگا اور اسکے بعد کام کریگا -

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بڑے بڑے بھاشنوں اور لمبی چوڑی باتوں سے جگا دیا تھا کہ یہ موومینٹ تمہارے لئے ہے - غریبوں کے لئے ہے - وہ پریشان ہوکر اِدھر اُدھر دیکھتے ہیں اور ان کو کہیں سہارا نہیں ملتا ہے - میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہونگا کہ ایک طرف تو نان-کوآپریشن کا عالم ہے اور دوسری طرف سٹیٹس کے لیول پر—میں کسی سٹیٹ کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں—اس کو ایک فالتو سا محکمہ سمجھ لیا گیا ہے - اگر کسی افیسر کی ملازمت دوسرے ڈیپارٹمینٹ میں کافی لمبی ہو جائے یا کسی کو کسی جگہہ پرووائڈ کرنا ہو - تو اس کو اس ڈیپارٹمینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے - حالانکہ سٹیٹس اور مرکز بھی یہ جانتے ہیں اور اس موومینٹ کو چلانے والے بھی جانتے ہیں کہ جس افیسر نے یہاں آکر کام کرنا ہے - پہلے تو بنیادی طور پر کوآپریٹو تحریک سے خود اسکی ہمدردی ہونی چاہئے اور دوسرے وہ اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں کو سمجھے - سٹیٹ منسٹرز - کوآپریٹو منسٹرز - ڈیولپمینٹ کمشنرز کی کانفرینسز میں - سینٹرل منسٹری ساتھہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کوآپریٹو موومینٹ میں کچھہ ہمت کرتے ہیں - اگر اس میں کچھہ کمی یا خامی ہے - تو وہ اس محکمہ کے متعلق کوآپریشن کی ہے -

ایک مانیہ سدسیہ : کس کی -

شری سمانی : کوآپریشن مرکزی سطح پر - کوآپریشن سٹیٹ کی سطح پر - کوآپریشن آفیشل قسم کی سطح پر - کوآپریشن ہر لیول پر - کوآپریٹو موومینٹ کا نام سنتے ہی کچھہ لوگوں میں نان-کوآپریشن کا جنون چل پڑتا ہے - ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے - وہ خامی ہے - اگر ہم یہاں پر منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کام کیوں نہیں ہوتا ہے - تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے - ہم نے چیف منسٹر کو لکھہ دیا ہے - چیف منسٹر جواب دے دیتا ہے کہ ہو رہا ہے - اگر یہاں پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے - تو کہا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نہیں کرتا ہے - سٹیٹ نہیں کرتی ہے - یہ ہے یہاں کوآپریشن جو سینٹر کو سٹیٹس سے ملتی ہے - اگر آپ اس کی سطح سے نیچے چلے جائیں تو وہ کہیگا کہ آرڈرز ریسیو ہو گئے ہیں لیکن رجسٹرار کے پاس سٹاف کی کمی ہے - رجسٹرار کے پاس پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ سٹاف کا انتظام ہو گیا ہے - لیکن وہ انکریمنٹ

[شری سلطانی]

میرے فاضل دوست نے کہا ہے کہ اس میں کوآرڈینیشن آنا چاہئے - میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوآپریٹو موومینٹ کے لئے آفیشل لیول پر جب کوآرڈینیشن کی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب دوسرے آفیسر اور منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیارات چھین کر کسی کوآپریٹو منسٹر یا کوآپریٹو آفیسر یا کوآپریٹو ڈیپارٹمینٹ کو دئے جا رہے ہیں - کوآرڈینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے - اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگرکلچر یا اینیمل ہسبینڈری ڈیپارٹمینٹ کے جو آفیسر ہیں - ان کی اپنی افسری قائم رہے - لیکن انہوں نے جو کام کوآپریٹو یا پنچایتوں کے ذریعہ کرانا ہے - وہ اس میں اپنی طرف سے مدد دیں - میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہونگا کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو لمبی چوڑی چٹھیاں لکھی ہیں - تاریں دی ہیں مختلف سٹیٹس کو اور وہ جو چھوٹے اور بڑے لیول پر کانفرینسیں کرتے رہتے ہیں - کیا ان میں کچھ کامیابی ہوئی ہے اور تھرڈ فائر ییر پلان کے ختم ہونے کے بعد جب ہم فورتھ فائر ییر پلان میں جائینگے - تو کیا یہ نان-کوآپریشن چلتی رہیگی یا اس میں کچھ کمی ہو جائیگی اور دوسری منسٹریز کی طرف سے اور خاص طور پر سٹیٹس کی طرف سے - ریزرو بینک کی طرف سے اور ہر ایک رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ لوگ رجسٹرار اور دوسرے آفیسر لگائے جائیں - جو ٹریننڈ ہوں - جو اس محکمہ کو جانتے ہیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس موومینٹ پر جن کا عقیدہ - ایمان اور یقین ہو -

لیکن آپ چاہے نارتھ میں جائیے - یا ساؤتھ میں جائیے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت کم سٹیٹس ایسی ہونگی - جن میں کوآپریٹو کے آفیسرز خود کوآپریٹو پر یقین رکھنے والے ملیں یا ٹریننڈ ملیں - جونہی ایک آدمی تھوڑا سا ٹریننڈ ہوتا ہے - اس کا تبادلہ کرکے دوسرے ڈیپارٹمینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اور اگر کسی کو اچھی پوسٹ پر پروموٹ کرتا ہے تو اس کو یہاں بھیج دیا جاتا ہے - میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نان-کوآپریشن کی لہر چل رہی ہے - اس کو دور کرنے میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے اور وہ اس سلسلے میں سینٹر اور سٹیٹس کے لیول پر کیا کر رہے ہیں -

یہ چھوٹی باتیں ہیں کہ کسی سٹیٹ میں کم ترقی ہوئی ہے اور کسی میں زیادہ ترقی ہوئی ہے -

کی طرف سے وہ کوآپریشن آئیگی یا نہیں -

یہی حالت کمیونٹی ڈیویلوپمنٹ میں ہے - مجھے معاف کیا جائے - میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ کمیونٹی ڈیویلپمینٹ سے کمیونٹی کے ڈیویلپمینٹ کے بجائے آفیشلڈم کی ڈیریلپمینٹ زیادہ ہوتی ہے - اگر آپ سٹیٹس کے بجٹس پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھینگے کہ بی - ڈی - او - سوشل افیسر - ایکسٹینشن آفیسر - اور وہاٹ نات وغیرہ کا اتنا لمبا چوڑا عملہ ہے کہ ان کی تنخواہوں سے بچ کر چلد پرسینٹیج ہی کمیونیٹی ڈیویلپمینٹ کے لئے جا سکتا ہے - یہ ٹھیک ہے کہ ان آفیسرز کی - اس عملے کی اور کاغذی کاروبار کی ضرورت ہے اور ایک پلانڈ سوسائٹی میں ان سب کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھہ ساتھہ ہی اس بات کا پورا خیال کیا جانا چاہئے کہ اگر ہم صحیح ڈیویلپمینٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس خرچ میں کچھہ کمی کرنی ہوگی -

جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے - جب شہروں میں سڑک بنانی ہو - نل لگے ہوں یا بجلی لگی ہو - تو کسی کانٹریبیوشن یا مینپاور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے - کسی سے کچھہ مانگا نہیں جاتا ہے - بلکہ گورنمینٹ پورے کا پورا خرچ خود کرتی ہے - لیکن گاؤں کے لئے ایک دوسری تھیوری ہے - جس کو میں آج تک ڈائجیسٹ نہیں کر سکا ہوں - جس کا میں قائل نہیں ہوں - یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مدد اور کوآپریشن آنی چاہئے - اس میں کوئی شک نہیں ہے - لیکن یہ تھیوری بالکل قابل عمل نہیں ہے کہ وہاں پر ہم کام اس لئے نہیں کرتے ہیں - وہاں پر ہم کوئیں اس لئے نہیں بنا کر دیتے ہیں کہ کسان لیتھارجک ہو جائینگے اور کہینگے کہ جب کنواں سرکار نے بنا دیا ہے تو سڑک بھی سرکار بنا دیگی -

کوپریٹیوز اور پنچایتوں میں بھی میں پورا کورڈینیشن ہونا چاہئے - نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کورڈینیشن ہونا چاہئے - اس معاملے میں میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب ہمیں بتلائیں کہ انہیں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے - اگر اس چیز کو کر دیا جائے تبھی اسپیچز کرنے کا فائدہ ہوگا ورنہ نہیں - ورنہ نقائص نکالنا یا تعریف کرنا بیکار ہے - جہاں جہاں خرابیاں ہیں انہیں دور کیا جانا چاہئے - اگر یہ کہا جائے کہ بہت کچھہ ہوا ہے اور ساتھہ ہی یہ کہا جائے کہ کچھہ بھی نہیں ہوا ہے یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہہ غلط ہیں - کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے - کام تسلی بخش بھی ہو رہا ہے - لیکن ان میں آپس میں سب سے

[شری سلانی]

بڑی بات جو ہے وہ کورڈینیشن کی ہے - میوچول کوپریشن کی ہے - اس پر میں زور دونگا اور چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں -

منسٹر صاحب اور اس منسٹری کو ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا ہوگا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے - یعنی آدمی واسی اور ترائبز - جن کے پاس زمین ہے - جو چھوٹے کسان ہیں - جو زمین کو کلٹیویٹ کرتے ہیں - لیکن جن کو اسے پلیج کرنے کا حق نہیں ہے - ان کے لئے لون کی کوئی سہولیت نہیں ہے سوا اس کے کہ وہ ساہوکار کے پاس جائیں - جس میں ان کی ساری پروپرٹی ساہوکار کے پاس رہن ہو جائے - منسٹر صاحب کو دیکھنا پڑیگا کہ ان لوگوں کے لئے آلٹرنیٹو کریڈٹ کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور ان کو ضروری رانٹس کس طرح سے دئے جا سکتے ہیں -

Shri Sonavane (Pandharpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to support the Demands for Grants relating to the Ministry of Community Development and Cooperation. At the outset, let me compliment the Minister in-charge of this Ministry, the Deputy Minister and the Parliamentary Secretary who are capable and sincere persons and who know their subjects very well.

Having said this, I have to say that at one stage the existence of this Ministry was at stake. The Shankar Committee Report had stated that it should be amalgamated with the Food and Agriculture Ministry. But the necessity of this Ministry was felt by our late revered Prime Minister and whatever the nefarious recommendation of that Shankar Committee, that was turned down. However, the present position has not been stated on the floor of this House. So, we would like to know what is the exact and correct position now and I would be happy if the hon. Minister says something on that.

I would now come to another point which was raised by my other friends who preceded me and that is regarding coordination. Coordination is essential. He has to coordinate his work with other Ministries such as Health, Agriculture and Education. He has to do all this and this Ministry is headed not by a Minister of Cabinet rank. I have no doubt that there is no inferiority complex on that score. But it stands to reason that this Ministry should be headed by a Cabinet Minister and the present Minister in-charge should be elevated to the rank of Cabinet Minister. That is my humble appeal. The Prime Minister is not here and I would have made that appeal even in his presence. This is absolutely essential in the interest of effective coordination of the activities of this Ministry.

Then there is another important point, that is, regarding the welfare of weaker sections. As you know, the work of this Ministry particularly pervades in the rural areas and, as is very well known, the rural sector, the rural society, is poor and mostly illiterate and they have no control either on press or purse and their voice is weak. Government should not succumb to the pressures from the town people. It is very necessary that this Ministry should be of a Cabinet rank and they should see that all these pressures are brushed aside and due consideration is given to the rural areas who stand neglected so far in the matter of development. The ques-

tion of weaker sections is much talked of but it is not solved by lip-sympathy. In Maharashtra, particularly, the work was being done very well for the upliftment of these weaker sections. But since this decentralisation has come in—the welfare of the scheduled castes and tribes has been transferred as well—There is paucity of funds. These persons who apprehend the weaker sections are the very persons who control the panchayat bodies. It is an irony of fate that these are the persons who are coming forward for their upliftment. So, there is some sort of a prejudice and all that. Therefore, my humble submission is that this is the constitutional obligation and the unliftment, economically, socially and educationally, of these weaker sections should be taken over by the Government and it should not, in any case, be transferred to the local bodies for various reasons, namely, the paucity of funds, the past prejudices and all that. I would request that this work should be transferred back either to the Central Government or to the State Government.

My next point is about the construction of village approach roads. As I said in the beginning, the rural people are neglected. All attention is being paid to cities. There are underground roads, roads in the air, gardens and everything and there are green tubes, mercury tube lights and all that. But in villages there is not even an approach road to enable the poor farmer to carry his produce from one village to another, from his village to the station or to the bazar—there is all dust and mud. There is so much of neglect by the States and the Centre. The three Plans are nearly over and still the condition is the same and yet we expect a lot of things from the rural people. This must end and it is the job of this Ministry to fight very hard against all those pressures, as stated by me earlier.

Let me come to a very important problem, the problem of family planing . . .

An Hon. Member: How is he concerned?

Shri Sonavane: That is with the Health Ministry. But my hon. Minister is also concerned with it. The field workers, particularly the women workers, are treated as step children of the primary health centres. They are not given any lift in the jeep even. They have got to move from village to village, from door to door, to do the work of propaganda. Whenever there is the question of promotion, they are brushed aside and the promotions are given to some other persons who are male workers. The higher jobs should also be given to the lady field workers who are doing good work and who are educated and well-qualified.

As regards cooperative societies, there is no doubt that the cooperative societies are doing good work. But the only thing there is this. Wherever there are good workers, honest workers, the work is done exceedingly well but it is stinking where dishonest workers are at the heads of the institutions, particularly, the panchayats. In my own village, I have said several times that the work done there is very bad. We want to form another consumers cooperative society. But they say there is one unit and we join that. We do not want to join that. In such cases, another cooperative society should be allowed wherever there is a population of more than 3000 in a village.

Sir, the Santhanam Committee was appointed and it has submitted its report to the Government and it has made certain recommendations. I happened to be a member of that Committee.

An Hon. Member: Hear, hear.

Shri Sonavane: The Committee's Report will be placed on the Table of the House and there will be a discussion. I will not go into those recommendations.

[Shri Sonavane]

However, I would say that there should be uniform approach in the formation, powers, functions and resources of all these Panchayati Raj institutions. When we see a picture in one place and another picture somewhere else, something here and something there, somewhere three-tiers, somewhere two-tiers, somewhere advisory committees, we are disheartened. On the last page of the Annual Report of the Ministry, it is stated as follows:

> "With the coverage of the entire country by C. D. Blocks, the first phase was completed. With the introduction of the three-tier Panchayati Raj system, the second phase is nearing completion. The stage is now set for the next phase...."

When it is stated that the second phase is nearing completion, we have to see whether the second phase has actually been completed or not.

> "The major tasks of Community Development and Panchayati Raj in the Fourth Plan have to be defined in this context."

This is a very good-reading Report. But, let us see whether all the States in practice have taken to it and conform to our wishes. Therefore, uniformity should be our watch-word.

Coming to the question of food production, unless incentive prices to the farmers are given—those prices should be base on the cost of production—our dream of achieving self-sufficiency in food production will ever remain a dream and we will have to depend all the tine on PL 480. All the processing factories in agricultural produce should be entirely reserved for the rural co-operatives.

With these remarks, I once again say that the heretofore neglected area of rural society should be our watch-word now and their interests should never be neglected. That is the responsibility of this Ministry and if this Ministry fail then the Shankar Committee's Report, I would say, would prove to be correct.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय का मुख्य काम पंचायतों को शासन की एक प्रमुख इकाई बनाना है। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर इस मंत्रालय का गठन किया गया, और अगर दरअसल देखा जाये तो संविधान की ४०वीं धारा के जो निर्देशन हैं उन के माहतहत यह मंत्रालय काम करता है और इस का गठन हुआ है। अगर हम देखें कि पंचायतें सही मानों में शासन की प्रमुख इकाई बन पाई हैं तब तो इस मंत्रालय का कोई काम तारीफ के योग्य है, लेकिन अगर हम देखें कि यह पंचायतें वास्तव में शासन की प्रमुख इकाई नहीं बन पाई हैं तो फिर इस मंत्रालय का अस्तित्व बेमतलब है। मैं इसी लिये कहता हूं कि इस मंत्रालय ने, जो उस के ऊपर भारी जिम्मेदारी थी पंचायतों को शासन की प्रमुख इकाई बनाने की, उस को पूरा नहीं किया। वह इस काम में बिल्कुल असफल रहा और इस लिये उस के अस्तित्व का कोई कारण नहीं रह जाता।

जहां तक एक तरफ पचायतों को शासन की प्रमुख इकाई बनाने का प्रयास नहीं किया गया, वहां दूसरी तरह गांवों को मिलने वाले जो थोड़े बहुत अधिकार थे, उन अधिकारों को पंचायत समिति, विकास समिति या जिला परिषद के गठन के द्वारा छीन लिया गया। आज जो पंचायत समिति या विकास समिति हैं वे केवल सरकारी अफसरों के बोझे से बोझिल हो गई हैं और वास्तव में जो गांव के निर्माण का काम होना चाहिये, विकास का काम होना चाहिये वह हो नहीं रहा है।

जब मैं यह कहता हूं कि गांव पंचायतों को वास्तव में शासन की प्रमुख इकाई नहीं

बनाया गया तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी गांव पंचायत को, चाहें वह आंध्र प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो बिहार में हो या मध्य प्रदेश में हो, कोई अधिकार दिया गया है। क्या किसी गांव पंचायत के नीचे गांव का जो सब से छोटा कर्मचारी चौकीदार है, वह है। क्या गांव पंजायत को इन छोटे से छोट कर्मचारियों को मुअत्तल करने का अधिकार है, क्या उस की शिकायत करने का या अगर कोई पंचायत से उस की शिकायत करे तो उस को उसे हटाने का अधिकार है। अगर हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि दिल्कुल नहीं है।

अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो क्या गांवों की तरक्की के लिये, गांवों की सफाई, गांवों की रोशनी और गांवों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था है। गांवों में कोई रोजगार फैले, गांवों के लोगों की तन्दुरुस्ती ठीक हो, इस के लिये क्या उन के पास कोई साधन हैं या क्या उन के पास कोई धन है जिस में से गांवों के इन कामों पर खर्च किया जा सके। अगर हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि इधर उधर कहीं लगान पर एक पैसा या दो पैसा कर की बात पाते हैं। अगर गांवों में कोई रोजगार करता है, कोई कोल्हू गाड़ कर या कपड़ा धो कर भाड़ जला कर अपनी रोटी कमाता है तो उस पर टैक्स बांधने या कर लगाने का न उन्हें कोई अधिकार है और उन की कोई आमदनी होती है।

जहां तक उन को साधन सुलभ करने का सवाल था कहा गया था कि उन को लगान में हिस्सा दिया जायेगा, लेकिन वह बात भी केवल अखबार तक, किताबों तक अथवा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की बहस तक ही सीमित रही। वह अधिकार उन्हें कभी नहीं मिल पाये। न तो उन के पास पैसा है न उन के पास कोई प्रान्तीय सरकार की नौकरियों पर कोई नियंत्रण है, और न ही गांव समिति के अन्तर्गत कायदे कानून बनाने का कोई अधिकार है। यह तीन प्रमुख अंग होते हैं किसी भी संस्था को शासन की प्रमुख इकाई बनाने के लिये। लेकिन इन तीनों की कसौटी पर जब हम इन को कसते हैं तो यह पंचायतें बिल्कुल देखने भर की हैं। उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। कहा जाता है कि पंचायत के अन्दर रहने वाले अनपढ़ हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन को कोई तमीज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिये उन के हाथ में कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन के पास ज्ञान हो सकता हो या नहीं, लेकिन जिन के पास हो सकता है उन के बारे में भी सदन में और बाहर काफी चर्चायें उठी हैं और इस सदन के काफी रेकार्ड भरे पड़े हैं बीजू पटनायक, वीरेन मित्र, और टी० टी० कृष्णमाचारी के सवाल को ले कर। इसलिये इन पंचायतों पर अविश्वास करना, उन्हें अधिकार न देना, यह उन के साथ अन्याय है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह पंचायत के मेम्बर हैं।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): They are members of the greater Panchayat of the country.

श्री रामसेवक यादव : यह बड़ी पंचायत है। लोक सभा बहुत बड़ी पंचायत है और इस बहुत बड़ी पंचायत ने बड़े लोगों के खिलाफ आरोप लगाये हैं इस तरह के तो उन लोगों पर इस तरह से अविश्वास करना कि अगर उन्हें अधिकार दिये जायेंगे तो वे उन का ठीक से उपयोग नहीं कर सकेंगे, यह अनावश्यक चीज है। मैं समझता हूं कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात थी कि वे शासन की प्रमुख इकाई बनें, लेकिन बाद के शासकों ने सोचा कि उन को शासन की प्रमुख इकाई न बनने दिया जाये, कुछ ऐसा उन का गठन किया जाये जिस से उन के सब अधिकार समाप्त हो जायें। मैं इस के सम्बन्ध में आप को मिसाल देना चाहता हूं अपने पड़ौसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के

[श्री रामसेवक यादव]

लिये लोग कहते हैं कि वहां बुनियादी जम्हूरियत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिमाण्ड कम्यूनिटी डवलपमेंट के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में नहीं है ।

Shri Gauri Shankar Kakkar: It has reluevance to that.

श्री रामसेवक यादव : मैं उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं । वहां पर बुनियादी जम्हूरियत है । अगर कहीं पर बुनियादी प्रजातन्त्र है तो उस का मतलब यह होता है कि किस तरह से जनता के ज्यादा से ज्यादा वोटों को चुनाव की पगडंडियों से गुजार दिया जाये कि उन्हीं शासकों को वहां बैठने का मौका मिले । लोगों में ज्यादा से ज्यादा मतभेद लाये जायें, ताकि उन को प्रभाव के जरिये , या प्रलोभन के जरिये दबा कर उन के मतों को ले कर हम लोग गद्दी पर बैठ जायें । वही इस पंचायत राज में होता है । असली अधिकार गांव पंचायत को नहीं हैं । उन की जगह विकास समिति है, पंचायत समिति बनाई गई है । उन के गठन का और जिला परिषदों के गठन का जब प्रश्न आता है तो वही 100, 50 वोट रह जाते हैं । उन को प्रलोभन दे कर उन के वोटों के जरिये कुछ बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, आ कर बैठ जाते हैं और गांवों को गरीब लोगों का उन्नति का सवाल, जिन के लिए कहा जाता है कि वे दबे पिसे लोग हैं, गांवों के सही निर्माण का सवाल खत्म हो जाता है और वह काम विकासखंडों तक ही सीमित रह जाता है, जिन के लिए साढ़े बारह लाख रुपया पांच साल के काम के लिए दिये जाते हैं । वह साढ़े बारह लाख रुपया पेट्रोल, और सरकारी नौकरों के भत्ते और तन्ख्वाहों में चला जाता है । इस से जो भ्रष्टाचार होता है उस का मैं इस समय जिक्र नहीं करना चाहता ।

मैं आप को एक मिसाल दे दूं कि इस तरह से टेढ़े चुनाव करा कर, परोक्ष रूप में चुनाव करा कर काम करने का नतीजा यह होता है कि कुछ काम नहीं हो पाता है । इस से मुझे डर लगता है । इन पंचायत समितियों को अधिकार न दिये जायें । उत्तर प्रदेश में 51 जिले हैं । उन में से केवल एक जिला ऐसा है जहां जिला परिषद के अन्दर एक विरोधी का कब्जा है और वह भी कांग्रस की मदद से है । उत्तर प्रदेश विधान सभा में करीब 150 से ज्यादा मेम्बर विरोधियों के हैं, लेकिन जिला परिषद में एक के अलावा कहीं पर भी वे नहीं आ पाये हैं । और यह ग्राम किस का है । उन वोटरों का ह जिन को दबा कर या प्रलोभन के जरिये वह वहां पर अपना कब्जा करना चाहते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पंचायतें शासन की प्रमुख इकाई बनें, तो यह जो बीच के विनाश खंड हैं इनको आप समाप्त करें : लोगों ने इन को विनाश खंड कहना शुरू किया है, विकास खंड कहते हैं । इन बीच के बिनाशखंडों का अन्त कर के जो अधिकार विकास खंडों को हैं व पंचायतों को प्रदान करें और उन को खजाने का अच्छा खासा हिस्सा दें और कम से कम जो कर्मचारी उन विकास खंडों के अधीन हैं उन को आप इन पंचायतों के मातहत में उनकी नियुक्ति और बरख्वास्ती का अधिकार उनको मिले और गांवों के बारे में कायदे कानून बनाने का अधिकार उनको मिले तब जा कर देश के सारे गांव एक साथ उठेंगे, इस तरह नहीं कि जिस गांव को विकास मंत्रलय ने चाहा स्कूल दे दिया, या जिस गांव को विकास प्रमुख ने चाहा अस्पताल दे दिया । मैंने जो प्रक्रिया बतलायी है अगर उस पर चला जाएगा तो देश के सारे गांव एक साथ उठेंगे और उनका निर्माण और विकास

होता जाएगा । अगर यह चीज नहीं होती है तो मैं कहूंगा कि इस मंत्रालय ने अपना कोई काम नहीं किया है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस मंत्रालय की आवश्यकता नहीं रह गई है । जिस उद्देश्य से पंचायतें कायम हुई वह यह था कि उनको शासन का अधिकार मिले । लेकिन वह तो उनसे उल्टा छीन लिया गया है । इसलिये मैं मंत्रालय से निवदन करना चाहता यदि अब भी यह मंत्रालय कुछ करना चाहता है तो यह करे कि ग्राम पंचायतों को पूरे अधिकार दे ।

इस सदन में जीपों की चर्चा चली थी और प्रधान मंत्री ने कहा भी था कि ये वापस ले ली जाएंगी । लेकिन बाद को सरकारी अधिकारियों का ऐसा दबाव पड़ा और उसका इतनी असर हुआ कि यह सरकार जो जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार है यह सरकार अपने अधिकारियों की राय के खिलाफ एक कदम भी नहीं चल सकी और जीपें वहां अभी भी वैसे ही चल रही हैं और उनका मुख्य उपयोग विकास अधिकारियों, विकास प्रमुख तथा बड़े अफसरों को सिनेमा दिखाने मात्र के लिए होता है, इसके अलावा उनका कुछ उपयोग नहीं होता । सरकार ने अभी तक इन जीपों को नहीं हटाया क्योंकि यह सरकार बड़े अफसरों के हाथ की कठपुतली है और उनकी कैद में है और अपने ओर से कुछ नहीं कर सकती ।

इस विभाग ने और कोई काम तो नहीं किया है, हां प्रत्येक क्षेत्र में एक एक दलाल सत्तारूढ़ दल के लिए पैदा कर दिया है और इस विकास योजना के द्वारा भ्रष्टाचार का प्रसार ही हो रहा है । इसलिये अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है और मैं चाहता हूं कि इस मंत्रालय को एक पैसा नहीं दिया जाना चाहिये ।

Shri Man Sinh P. Patel (Mehsana): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to share with this House my feelings of congratulation on the splendid performance by this Ministry as a whole.

When I look back to the thirteen or fourteen years of my previous association with the community development blocks from 2nd October, 1952, much of the present size as envisaged by the Balwantray Mehta Committee, not for a 66,000 population but of a larger size involving a sum of about Rs. 65 lakhs to be spent for three years for a population of about 2½ lakhs, I feel it is a matter for congratulation.

The special feature of the community development block, as I understand, was to infuse the spirit of self-sufficiency, self-inspiration and a direct idea of self-government. As I have understood, what my hon. friend the previous speaker said in his speech was that he was not satisfied with the panchayati raj or the way the panchayats are acting in the country, that they are not acting as units of administration. I would have appreciated him if he had said that this Ministry should ultimately do that. Instead of saying that, he has said that the Ministry should be abolished because the ultimate goal as envisaged under the Constitution is still not achieved. I fully appreciate his views; I stand by his views, that as understood by the Constitution the panchayati raj as administered in the country through the State legislative Acts has not come to the standard of village panchayats functioning as units of the administration at the village level.

My first appeal to the Ministry is this. Where is the hitch, or what comes in the way of the Minister, or who is not supporting his hands to see that a comprehensive, common and uniform enactment be made throughout all the States?

When I go through the report I find it is a misfortune of this country that even at this stage, in a very big State, namely Bihar, even though the legislature has passed an enactment in 1962, panchayat raj has hardly begun in that State. About ten or

[Shri Man Sinh P. Patel]

twelve States have started panchayat raj, that too with different approaches. Somewhere the powers are not given to the zila parishads, somewhere the powers are not given to the block samitis; and in all the States, at least so far as the village panchayat is concerned, very little power is given to the village panchayats.

So my first humble and earnest appeal will be that if the panchayat raj is to be made successful in this country, there should be a common, definite, emphatic approach that the zila parishad at the district level and the panchayat at the village level should be the direct administering units at those levels, and a block samiti may be the intermediary or the co-ordinating factor in between the two.

I come from the State of Gujarat. In my State, the head or rather a senior officer at the district level is the district development officer of the panchayat raj. I appreciate it that a good beginning is being made. But the powers, as contemplated under the Panchayati Raj Act itself, are still not fully transferred to them. Even though the same Shri Balwantray Mehta, who is a protagonist of this panchayati raj, is Chief Minister there, he has not been able to do this.

There may be some genuine fears, because it is a new beginning, and as my learned friend says, there will be faltering at evey step and there will be mistakes at so many steps. But we have to begin, and all land revenue powers, even those under the Land Revenue Code, should necessarily be transferred to the panchayat raj. Unless our zila parishad or our panchtyat is above the district-collector level or an impact is not created in the people, nobody will ever feel that it is a unit of administration directly under the Government. What I desire is that there should be a direct feeling amongst the people that whether it is in respect of planning or for development of any other manner except police administration, the zila parishad—is going to function under the Government, and accordingly the village panchayat.

I am also worried regarding the after-work of the community development block. There are about six hundred blocks now which are in the post stage period now. I come from a particular area where the block has finished the work by 1962. But the development work has not continued at the same pace or in the same continuing manner.

There may be a difficulty in finding out the resources, because no powers are given to the taluk panchayats as a whole to put in levies or to go in for taxation. The zila parishad can do it; the village panchayat also can do it. But very little scope is given to them for taxation. Therefore, the question of resources is a material question if we want to make these institutions self-sufficient or to have a direct role over the people. Therefore, sufficient funds should be earmarked by the Central Government, through the State Governments, to see that these institutions do function with a little further viability for development and planning. Now, let me give one example. Let us take the case of primary health centres. The whole country is covered by community development blocks. The number of community development blocks is likely to be about 5200. But the number of primary health centres which have been started is only about 4100. So, we find that even after seven or eight years when the whole country is going to be covered by community development blocks, all the primary health centres have not been initiated or started. I know of some cases where the primary health centre has been sanctioned at the tag end of the block period. I would like to know why there should be so much

of delay. Perhaps, it is due to the fact that either the Planning Commission or the Central Government have not been in a position to give the amounts which were envisaged originally. The result is that they have been delaying the functioning of different aspects of the block pattern.

Not merely has there been delay, but there has also not been any uniformity in the pattern in the country as a whole. Let us see whether the block pattern as a unit of planning and development has been uniform throughout the country. I would like to submit that it has not been uniform. For instance, in Maharashtra and Gujarat, they have not accepted the block pattern, and they are still going on with the Taluka unit revenue pattern. I come from an area where there are three blocks in one Taluka. The same block pattern was envisaged for the future process of planning and development, but some States in the country have not accepted the block pattern yet. I do know that there are revenue talukas which have a population of less than 50,000. The total number of blocks in Gujarat and the total number of taluks are nearly equal in number. But there are about 40 talukas which have got half-blocks and there are about 40 to 50 talukas which have got more than one block. According to the report of the Ministry of Community Development and Co-operation, it has been stated that in future, planning and development should be coterminous with the block, or in other words, the block pattern should be foliowed throughout in a uniform way. This commonness in pattern should be evolved and followed throughout the country.

It has been also said that departmental committees are being set up to avoid paper work in blocks. Suppose a taluk of three blocks has the same pattern as the one block pattern for all the three blocks, and this paper work is to be done by the gramsevaks or the other officers attached to the panchayati raj institution how is it ever possible that they will attend to the other part of their work, which is an important part, namely intensive agricultural work or intensive co-operative work etc. which are the fundamental items of work to be done by them? Therefore, it is high time for us to see that much of the paper work suh as the preparation of charts, the preparation of common figures bimonthly or tri-monthly etc. should be reduced.

Now, I come to the second report of this Ministry, namely the report of the Department of Co-operation. I am very happy to find from the report that normal development has been undertaken. When I say 'normal development' what I mean is this. We have accepted the socialist pattern of society, and normally in that context we talk of only two sectors, namely the public sector and the private sector. But I am a firm believer in the theory or principle that there is a third sector in between, namely the co-operative sector. Unless greater assistance is given by this Department than is normally given by them to this sector, this sector cannot expand its activities to the desired extent, because this is the only sector which will be appreciated by both. There are possibilities of major failures in public undertakings. There is a feeling in the mind of my hon. friend Shri Ranga and others that the State machinery will gradually spill over from joint co-operative farming into collective co-operative farming. If the co-operative sector could be encouraged, then it would be a good thing, and that would be appreciated by people of both ways of thinking. Of course, this Ministry is encouraging the co-operative sector, but I think this Ministry finds it difficult to have proper co-ordination in regard to its activities, with the other concerned Ministries such as the Ministry of Industry etc.

I shall give just one example. At page 37 of the report of the Depart-

[Shri Man Sinh P. Patel]

ment of Co-operation, it has been said:

> "Of the 55 milk supply schemes envisaged in the Third Plan, 31 are to be taken up in the co-operative sector.".

We are now in the fifth year of the Third Plan, but we find that only 9 have already been commissioned and 13 are under various stages of implimentation. I do not know when the remaining would be set up.

Then, there was a working group report. I happened to be a member of that group. That report is still under consideration. These working groups for the creation of different types of co-operative thinking in the different Ministries were appointed towards the latter half of 1962. We are now in the first half of 1965, and in a year's time we shall be ending the Third Plan period. Therefore, I would submit that the consideration of the report of the working groups should not be delayed on the ground that other Ministries are putting obstacles in the way. If the consideration is delayed, then whatever is legitimately to be given to the co-operative sector will in the meantime be diverted to the private sector by the other Ministries, and, thereby the co-operative sector will suffer.

Much has been said about jeeps. I would submit that I am not in favour of any type of misuse of a jeep. But it is not possible nowadays to function at different levels, such as the taluka level, the village level, etc. without these jeeps. They cannot do without jeeps. For instance, take my own taluka, where there are three blocks in one taluka. If there is no jeep, and about six officers are to cover 108 villages with a population of about 2,35,000, then how is it possible for them to function without a jeep? But I would submit that I am definitely against the jeep mentality. As has been stated, strict circulars have been issued for the proper use of jeeps and for the allotment of jeeps and for proper achievements with the aid of these jeeps. But I would submit that in the case of the new blocks, the Ministry should not feel shy of allotting jeeps. It seems that there are orders that when new blocks are coming up, jeeps should not be allotted. That would mean that the new blocks would be put at a disadvantage as compared with the old blocks. So, I submit that jeeps should be allotted also to the new blocks. We must, however, see that there is no misuse of jeeps anywhere.

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास मंत्रालय की मांगों के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने इस मंत्रालय के बारे में तरह तरह के विचार प्रकट किये हैं । कुछ ने इसको अच्छा बताया है और कुछ ने केवल इसकी आलोचना के सिवा और कुछ काम नहीं किया है । चूंकि मैं इस सारे कार्यक्रम से बहुत नज़दीक से सम्बन्धित हूं, इसलिए मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस सारे कार्यक्रम के जरिये से ग्रामीण क्षेत्रों में कितना अधिक काम किया जा रहा है ।

यदि हम इस सारे कार्यक्रम के इतिहास में जाने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि आजादी के बाद से स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को सोचा था कि आज जो हिन्दुस्तान के छः लाख गांव हैं उनका चतुर्मुखी विकास करने के लिए ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है जिससे कि देश की सुप्त प्रतिशत जनता ऊपर उठे और उठने के साथ देश की दौलत बढ़े और देश आगे बढ़े । उन्होंने सबसे पहले इस बात को सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजना के जरिये से गांवों के सर्वांगीण विकास के बारे में कोशिश की जाए और सन् 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई । सम्भवतः एक साथ सारे देश में इस कार्यक्रम को हाथ

में लेना मुश्किल था, इसलिए सारे कार्यक्रम को देश के सभी हिस्सों में लागू करने के लिए फेंजिंग किया गया और प्रसन्नता की बात यह है कि आज देश के सारे देहाती इलाके इसके अन्तर्गत आ गये हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि राजस्थान इस कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले इस देश में पंचायती राज कायम करने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई। कम्युनिटी डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को देखने से आपको मालूम होगा कि इस में साफ तौर से लिखा हुआ है कि जहां गांवों के विकास के लिए यह कार्यक्रम एक तरफ किया जाना है वहां जैसा कि मेरे मित्र श्री यादव ने अभी कहा है पंचायती राज की जो संस्थायें हैं वे अलग अलग स्तरों पर अलग अलग से बनें, गांवों के स्तर पर गांव की एक पंचायत हो, तहसील के स्तर पर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद्, यह वहां के शासन की एक अच्छी और सक्षम इकाई बने। इस बात की कोशिश करना भी इस मंत्रालय का काम था। जहां तक इस काम का सवाल है, यह कहने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हिन्दुस्तान के प्रायः सभी राज्यों में आज इस पंचायत राज के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और राजस्थान को श्रेय प्राप्त है इस काम को सब से पहले करने का। 2 अक्तूबर, 1959 को सबसे पहले पंचायत राज की राजस्थान में शुरुआत हुई और वहां तीन स्तरों पर, गांव में ग्राम पंचायत, तहसील या ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का निमाण किया गया। इन अलग अलग संस्थाओं को वहां स्थानीय विकास के लिये काफी सत्ता सौंपी गई। लेकिन यदि इसके इतिहास में हम जाने की कोशिश करें तो दरअस्ल एक बात बहुत साफ मालूम पड़ेगी कि यह जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम देश में चल रहा था उसके पीछे केवल एक भावना काम कर रही थी, और वह यह थी कि जो कुछ भी ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ापन है, उसे मिटाने के लिये हमें जन सहयोग की आवश्यकता है। सरकार के साधन इतने सीमित हैं जिसका ठिकाना नहीं। यदि सरकार के सीमित साधनों के आधार पर ही हम ग्रामीण विकास के करने की बात सोचें तो हो सकता है कि इसमें सैकड़ों साल लग जायें। इसलिये इस विकास की गति को तीव्र करने के लिये आवश्यकता इस बात की थी कि देश का जो अतुल जनसमूह है, जो 44 करोड़ आदमी रहते हैं, उनके सहयोग से जिस काम को हम पचास सालों में करना चाहते हैं उसको पांच या दस सालों में कर लें।

पहले सन् 1952 से सामुदायिक विकास ब्लाक जो चलते थे उन्होंने कोशिश की। मुझे मालूम है कि जब सन् 1952 में यह काम शुरू किया गया, उस वक्त ब्लाक्स 25 या 26 लाख रु० खर्च करते थे। चूंकि इतना पैसा सरकार की ओर से लगाया जाता था इसलिये गांव वालों को भी कुछ उत्साह था। यदि कुछ काम उन के गांव के लिये होता था तो वे गांव वाले भी निश्चित रूप से कुछ मेहनत करने के लिये तैयार हो जाते थे। लेकिन जैसे धीरे-धीरे स्थिति बदलती गई, रुपये की कमी आती गयी और आज जो हमारी सामुदायिक विकास योजनायें हैं उनमें रुपये के अभाव के कारण एक ऐसी स्थिति आ गई है जिनके कारण एक तरह से गांव के विकास का काम ग्रामीण क्षेत्रों में ठप्प पड़ गया है।

सरकारी अधिकारियों ने इस बात को सोचा कि सन 1959 के पहले जो कमी आने लगी थी स्थानीय विकास में उसका दोष किस पर मढ़ा जाये और किस प्रकार से जिम्मेदारी दूसरों पर डाली जाये। इस बात को सोच कर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैं दावे से कह सकता हूं मैं यहां के माननीय सदस्यों को दावत देना चाहता हूं अपनी

[श्री शिव चरण माथुर]

रियासत में आने की, और खास तौर से मेरे जिले भीलवाड़ा में आने की । वह लोग आयें और आ कर देखें कि पंचायत राज में 2 अक्तूबर, 1959 आने के बाद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने क्या काम किया है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं वहां पर जरूर आऊंगा ।

श्री शिव चरण माथुर: मैं आप को दावत देता हूं और न केवल आप को बल्कि इस सदन के अन्य सदस्यों को भी कि वे आयें और वहां के काम को देखें ।

संसद् के माननीय सदस्यों की तरफ से पंचायतों की शिकायतें सुनी जाती हैं । तरह-तरह की भ्रांतियां उन लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हम ने हाथ में लिया है, और बहुत बड़ी जमात ने, बहुत बड़े देश के समूह ने इस काम को करने का बीड़ा उठाया है, उसकी सराहना करनी चाहिये । हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ शिकायतें हों, कुछ कठिनाइयां हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज लोगों की भावनायें हैं अलग अलग स्तर पर, उन की हम कहां तक कद्र करते हैं । मुझे याद है, हालांकि मैं उसका उदाहरण नहीं देना चाहता था, जब सन् 1882 में लार्ड रिपन हिन्दुस्तान के वाइसराय थे, उन्होंने जब सबसे पहले देश में स्वायत्त शासन सुधार किये थे, तो इस बात को साफ कहा था कि शुरू-शुरू में कुछ गल्तियां जरूर की जायेंगी, लेकिन भूलों को देख कर हमें इस कार्यक्रम से मुंह नहीं मोड़ना है । आज जो शासन की विषमतायें हैं, शासन का काम जो इतना जटिल होता जा रहा है, उसे देखते हुए, आवश्यक है कि वहां के लोगों की भावनाओं को देख कर स्थानीय शासन की इकाई को वहां बढ़ाने के लिये, लोग सामने आयें । उन के जरिये से जो काम चलाया जायेगा, निश्चित रूप से उसके पीछे भावना होगी ।

अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने तरह-तरह की बातें कहीं । मैं मानता हूं कि हम कुछ आशायें इस पंचायत राज से करनी चाहियें । सबसे पहली बात तो यह है कि कौन सी आशायें हैं जिन्हें ले कर हम पंचायत राज को चलाते हैं । आम तौर से कहा जाता है कि बौद्धिक उपलब्धियां इस पंचायत राज के आने के बाद कम हो गई, पीपल्स पार्टिसपेशन, जन सहयोग और खेती के उत्पादन की वृद्धि और दूसरी बौद्धिक उपलब्धियां, जब से पंचायत राज आया है, काफी कम हो गई हैं । मैं मानता हूं कि यह दोष को दूसरों पर थोपने की बात है । दरअस्ल में सारे देश में यह फीचर है कि खेती कम हुई है । इस के लिये जनता के जो चुने हुए लोग आज पंचायत राज में काम कर रहे हैं, उन पर यह दोष मढ़ना ठीक नहीं है । अगर यह बात हम मान भी लें कि हां बौद्धिक उपलब्धियां कम हुई हैं, तो उनके कम होने का कारण यह है कि देश में ऐसे बहुत से कारण बन सकते हैं जिनकी वजह से बौद्धिक उपलब्धियां कम होती हैं ।

आज आप खेती को ले लीजिये । खेती के लिये हमारे माननीय रंगा साहब कई बार कहा करते हैं, और हमारे कई अन्य मित्रों ने भी कहा कि कलेक्टिव फार्मिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग के स्वतंत्र पार्टी विरुद्ध है । खेती के मामले में जो आज उत्पादन में कमी हो रही है, यदि आप उसकी गहराई में जायें तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में अनएकानमिक होल्डिंग्स हैं, फ्रैगमेंटेशन आफ लैंड होल्डिंग्स है, छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन के हिस्से हो गये हैं । उनके कारण से जमीन में उत्पादन नहीं होने पाता है । यही कारण है कि हमारे देश में आज लोग अधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं । फ्रैगमेंटेशन आफ लैंड होल्डिंग्स, जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को रोकने के लिये आखिर हम करें

क्या । हम नहीं चाहते कि देश में किसी की जमीन को छीन कर हम जबर्दस्ती उनको ज्वायेंट कोआपरेटिव फार्म्स में इक्ट्ठा कर दें और उनकी मिलकियत को हटा लें । सरकार की कभी यह मंशा नहीं थी । इसलिये बीच का तरीका निकाला गया । जब सोचा गया कि लैंड होल्डिंग्स के फ्रैगमेंटेशन को मिटाने के लिये कौन सा तरीका निकाला जायें तो उसको निकालने का एक ही तरीका था और वह यह था कि ज्वायेंट कोआपरेटिव फार्मिंग की जाये । इसके जरिये से किसान अपनी जमीन का मालिक रहते हुए काम कर सके । उसकी मिलकियत उससे नहीं छीनी जाती । केवल उस के साधनों को इक्ट्ठा कर लिया जाता है । दस, बीस, पच्चीस या पचास किसान मिलकर एक साथ अपनी जमीन को इक्ट्ठा कर लेते हैं, अपने साधनों को इक्ट्ठा कर लेते हैं और सामूहिक रूप से खेती के काम को करते हैं । मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे जिले में ज्वायेंट कोआपरेटिव फार्मिंग से किसानों को बड़ा लाभ हुआ है । कई और गांव मैं बतला सकता हूं जहां पर किसानों ने अपने खेतों को ज्वायेंट कोआपरेटिव फार्मिंग में पूल कर लिया । उनको पूल अप करने के बाद वहां उससे बहुत लाभ हुआ । उससे उन्होंने एंजिन खरीदे, हार्टिकल्चर का काम किया, पोल्ट्री का काम किया और साल में बीस या पच्चीस हजार रुपये का फायदा किया । इसके अलावा वहां जो किसान थे उनके घर की औरतों को, जो खेतों पर काम करती थी, अलग मजदूरी मिलती थी । मजदूरी से आम तौर से उनका काम चलता था । साल भर में कोआपरेटिव फार्मिंग से जो लाभ होता था उससे उनकी हैसियत बनती थी और उन के घर में दौलत आती थी ।

जब इस तरह की योजनायें आती हैं तो उनका आम तौर से विरोध किया जाता है । मैं यह मानता हूं कि योजनाओं में कोई कमी नहीं है, योजनाओं में कोई दोष नहीं है । दोष है व्यक्तियों में । जो हमारी सारी योजना है वह व्यक्तिप्रधान है । जहां व्यक्ति अच्छे हैं जिन्होंने योजनाओं को अपने हाथ में लिया है, वहां योजनाओं में चार चांद लग गये हैं । यह बात ठीक है कि जिन योजनाओं में बुराइयां हों उनको ठीक करना चाहिये । यदि विरोधी पार्टियों के लोग या दूसरे लोग हम में से जो इस पंचायत राज के विरुद्ध हैं इस बात को कहें कि इस में यह खराबियां हैं, वह खराबियां हैं और उनको मिटाने का सामूहिक रूप से प्रयत्न करें, तब तो बात समझ में आ सकती है । लेकिन सारी योजना को बुरा कहना, उसमें गलतियां निकालना, मैं समझता हूं कि सारी बात के मूल में जाना नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि अगर योजनाओं में हमारे यहां कुछ कम काम हुआ है तो उस में सुधार होना चाहिये ।

एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे कहनी है यह है कि आज सामुदायिक विकास योजना की जो महत्वपूर्ण कड़ी है वह है ग्राम सेवक । आज आम तौर से यह किया जाता है कि गांवों के विकास का सारा काम ग्राम सेवक पर ही छोड़ दिया जाता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस ग्राम सेवक के लिये आगें बढ़ने का जरिया क्या है । जिस जगह से वह कायम होता है, जहां से नौकरी पर आता है, सारी जिन्दगी वह वहीं पर बना रहे, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना हमारे दिमाग में है सामदायिक विकास के सम्बन्ध में । आज ग्राम सेवक हमारी सामुदायिक विकास योजना की सब से पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है । यदि आप उसको महत्व देना चाहते हैं और उसके जरिये से इस काम को करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इस मंत्रालय से और मंत्री महोदय से कि वे ग्राम सेवकों की दिक्कतों को सुनें । आगे उसका किस प्रकार से विकास हो, अगर इसके बारे में योजनायें बनायें और उसके विकास के पूरे साधन प्रदान करें, तब तो मैं समझता हूं कि जो कुछ हमने सोचा है उसे हम बढ़ा सकेंगे ।

[श्री शिव चरण माथुर]

मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन समय के अभाव से नहीं कह रहा हूं।

15 hrs.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सामुदायिक विकास और पंचायती राज का जो मंत्रालय है, मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता के जो ऊंचे आदर्श हम ने अपने सामने रखे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का एक बहुत भारी साधन है।

प्रजातंत्र हम ने कायम किया और हमने तमाम बालिगों को वोट का अधिकार दिया जिस के जरिये से विधान सभा और संसद् में वे अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। यह तो सही बात है। लेकिन जब तक प्रजातंत्र का विकेन्द्रीकरण न किया जाए तब तक सही मानों में, प्रजातंत्र की जड़ नहीं जम सकती और प्रजातंत्र स्थायी नहीं रह सकता। इस काम के लिए इस मंत्रालय की स्थापना की गयी है, और सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता की जो तीन धाराएं इस मंत्रालय ने चलायी हैं, मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, ये धारायें इस देश में प्रजातंत्र को बहुत जबरदस्त सहायता देंगी और इन के जरिये से जनता प्रजातंत्र के सुख को भोग सकेगी और उसे प्रजातंत्र के द्वारा जो अधिकार मिला है उसका उपयोग कर सकेगी। हो सकता है कि आज इस विभाग में कुछ कमियां हों। हो सकता है कि आज यह विभाग के इसके संचालन का काम ठीक तरह से न कर पा रहा हो। हो सकता है कि जनता को इस में जितना सहयोग देना चाहिय और जितना दिलचस्पी लेनी चाहिए, वह जनता न कर रही हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस बीज का आरोपण किया गया है, है, वह यथा समय उगेगा और वह समय आवेगा जब कि यह प्रजातंत्र का वृक्ष भारत वर्ष में एक-एक गांव में फैल जाएगा और उसकी छाया के नीचे हिन्दुस्तान की जनता समृद्ध होगी, सुखी होगी और अपने अधिकारों का पालन करेगी।

जहां मैं ने इन सब बातों का जिक्र किया, वहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास का काम इस आशा से शुरू किया गया था कि इस में जनता सरकार की सहायता पा कर सामुदायिक विकास के काम को स्वयं अपने ऊपर ले लेगी। जब उस में कमी देखी गयी तब फिर बलवन्त राय मेहता कमेटी की स्थापना हुई और उस ने कहा कि जब तक गांव के स्तर पर, ब्लाक के स्तर पर और जिला के स्तर पर जनता द्वारा संस्थाओं का संचालन नहीं होगा तब तक सामुदायिक विकास का काम ठीक से नहीं चल सकता। इसलिए ग्राम पंचायत, विकास मंडल समिति और जिला परिषद् की स्थापना हुई है। यह सही है कि अभी सभी प्रान्तों में इन तीनों संस्थाओं की और पंचायती राज की स्थापना नहीं हो पायी है, लेकिन उम्मीद की जाती है है कि जिन प्रान्तों में अभी पंचायती राज की स्थापना नहीं हुई है उन में इसकी स्थापना हो जाएगी, और सामुदायिक विकास का जो कार्य आरम्भ किया गया है उसको मूर्त रूप दिया जाएगा और आर्थिक विकास का काम, सामाजिक उन्नति का काम, पंचायती राज, विकास मंडल समिति और जिला परिषद् के स्तर पर ठीक तरह से किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में जो चीजें देखने में आती हैं उनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं; सब से पहली बात यह देखी गयी है कि जो चुनाव की प्रणाली हम ने विभिन्न राज्यों में कायम की है वह प्रणाली ठीक नहीं है। जो सरकारी अफसर चुनाव कराने जाते हैं वे चुनाव निष्पक्ष ढंग से नहीं करा पाते। इसी लिए मैं यहां सुझाव रखना चाहता

हूं कि जिस तरह से लोक-सभा, राज्य सभा, विधान परिषदों और विधान-सभाओं के चुनाव के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन, उसी तरह पंचायतों के चुनाव के लिए भी इलेक्शन कमीशन भार लेना स्वीकार करे, और अगर वे यह अधिकार कबूल करें तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए, ताकि उनकी देख रेख में पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव हो सकें। अगर यह सम्भव न हो तो राज्य के स्तर पर एक चुनाव आयोग कायम किया जाए जिसके जरिये से चुनाव कराया जाए, इस से बहुत सी बुराइयों दूर हो सकती हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पंचायती राज संस्थाएं बनी हैं उनको कार्य संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है उतनी नहीं दी जाती है। इसके लिए कुछ प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कर लगाना एक अलोकप्रिय काम है। कर लगाने से जनता असंतुष्ट हो जाती है। इस लिए बहुत सी पंचायती राज्य संस्थाएं कर नहीं लगा पातीं और इससे उनका काम ठीक से नहीं चलता। मैं यह मानता हूं कि पंचायत राज्य संस्था को कर के लगाने का अधिकार होना चाहिये। और ऐसा करना उन के लिए जरूरी कर दिया जाए, लेकिन आरम्भ में इस में कुछ कठिनाई होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को चाहिए कि जो टैक्स से वे रुपया वसूल करती हैं, उसका कुछ हिस्सा पंचायती राज्य के संचालन के लिए दें। आरम्भ में इसकी जरूरत होगी, बाद में तो पंचायती राज्य की संस्थाएं पैसा उगाह सकेंगी और उनको आमदनी होने लगेगी, जिससे वे अपना का चला सकेंगी।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जहां पंचायती राज की संस्थाओं को चलाने की कोशिश की गई है वहां तमाम आर्थिक विकास के काम, खेती के उद्योग के विकास के काम सब इन पंचायती राज्य संस्थाओं से ही कराने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन राज्य सरकारें अपनी आमदनी का बहुत कम हिस्सा इन पंचायती राज्य संस्थाओं को देती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो भी पैसा राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा खर्च करतीं है वह सारा पैसा विकास समिति और पंचायती राज्य संस्थाओं को दें और फिर इनके द्वारा यह काम कराया जाये तो मैं समझता हूं कि विकास समिति और पंचायती राज्य का काम सुचारु रूप से चल सकेगा।

एक कमेटी इस विषय पर विचार करने के लिए बिठाई गई थी, उसने कर लगाने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को देने की सिफारिश की है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की है जिसके जरिये पंचायत राज्य और पंचायत समिति स्वावलम्बी बन सकते हैं। उसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है कि वे संस्थाएं अपना कुछ ऐसा काम करें जिससे उनको अपनी आमदनी हो सके। और इसके लिए कहा गया है कि पंचायत राज फ़ाइनेन्स कारपोरेशन की स्थापना होनी चाहिये जो कि इन पंचायत राज्य संस्थाओं को आर्थिक विकास के कामों में सहायता दे सके जिससे वे अपनी आमदनी कर सकें। ऐसी संस्था का निर्माण रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, एल० आई० सी० कारपोरेशन और जो पंचायत राज्य संस्थाएं हैं और जो कोआपरेटिव सोसाइटियों हैं उन के जरिये से किया जाना चाहिये। मैं

[श्री श्रीनारायण दास]

समझता हूं कि अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो पंचायती राज्य संस्थाओं से जो आशा की जाती है और जो सम्भावनाएं हैं उनको ये संस्थाएं पूरा कर सकेंगी।

इसके बाद मैं सहकारिता के ऊपर आता हूं। सहकारिता कोई विभाग से चलाया जाने वाला काम नहीं है। पंचायती राज, सामदायिक विकास और सहकारिता एक आन्दोलन है। इसको पुराने सरकारी ढांचे के द्वारा और जो सरकारी नौकरान हैं उनके द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इस काम के लिए मिशनरी स्पिरिट से आम करने वाले चाहिये, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में हों, अगर ऐसे कार्यकर्त्ता इस काम में जुट जाएं तो इसमें सफलता मिल सकती है। सरकारी विभाग का इस काम के लिए विस्तार हो चुका है, लेकिन इस विस्तार के बावजूद भी सरकारी विभाग में अधिकांश कार्यकर्त्ता ऐसे नहीं हैं जिनमें मिशनरी स्पिरिट हो। कुछ में हो सकती हैं, लेकिन बहुतों में नहीं है। इसी लिए अभी सहकारिता के आन्दोलन में उतनी मजबूती नहीं आ सकी है जितनी कि आनी चाहिये थी।

मेरा सब से पहला सजेशन यह है कि सहकारिता के क्षेत्र में और खेती के लिए, वित्त की व्यवस्था के लिए एग्रीकल्चुरल कोआपरेटिव फाइनेन्स कारपोरेशन की स्थापना होनी चाहिये। अभी इास आन्दोलन को स्टेट बैंक आफ इंडिया, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कोआपरेटिव डेवेलपमेंट कारपो रेशन कुछ सहायता करते हैं लेकिन उनकी यह सहायता समुद्र में बूंद के बराबर है। अभी तक जो सहायता खेती के क्षेत्रक में, कोआपरेशन के क्षेत्र में मिली है वह बहुत कम है। इसलिये इसके लिए एक विशेष कारपो रेशन की स्थापना की जरूरत है।

दूसरा सजेशन मेरा यह है कि अमर सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्वतंत्र आडिट विभाग की स्थापना होनी चाहिये। अभी जो आडिट विभाग है वह सरकार के मातहत है, रजिस्ट्रार के मातहत है। इस कारण कोआप रेटिव का आडिट ठीक से नहीं हो पाता और इस कारण से यह आन्दोलन आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए इसके लिए इन्तिजाम होना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन संस्थाओं, कोआप रेटिव संस्थाओं के लिए अभी जो चुनाव विभाग के जरिये होता है उसमें बहुत गड़बड़ी होत है और काफ़ी गटबन्दी और वैमनस्य पैदा हो जाता है। मैं कह नहीं सकता कि यह कहां तक संभव होगा कि कोआपरेटिव संस्थाओं का जो चुनाव होता है कोआपरेटिव सीसाइटी से ले कर स्टेट कोआपरेटिव बैंक तक के लिए, उसके लिए एक अलग संस्था का निर्माण हो ताकि वह चुनाव ठीक से कराया जाए। ऐसा होगा तो इस आन्दोलन की अच्छी प्रगति हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट में अपनी बात समाप्त किये दे रहा हूं। अभी तीन चार राज्यों में पंचायती राज्य की स्थापना पूर्ण रूप से नहीं हो सकी है। केरल, काश्मीर, बिहार तथा तथा मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि पंचायती राज्य का कानून बन चुका है और मैं चाहूंगा कि जिन जिन जगहों में भी अभी तक यह पंचायती राज्य की स्थापना नहीं हुई है वहां भी उस को जल्द से जल्द लागू करेने के लिए मंत्री महोदय को प्रयत्न करना चाहिये। इस बारे में मैं मंत्री महोदय को वहां की सरकारों से लिखा पढ़ी कर के या उन को समझा बुझा कर इस के लिए राजी करना चाहिए ताकि पंचायती राज्य का जो

कानून बना है उन को वे अपने यहां ठीक प्रकार से लागू कर सकें । इस के लिए उन्हें प्रयत्न करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

श्री श्रीनारायण दास : मुझे केवल एक बात और बहुत संक्षेप में कहने के लिए क्षमा किया जाये । सहकारिता के क्षेत्र में एक एग्रीकलचरल क्रेडिट स्टैबलाइजेशन फंड बना है, दूसरा रिलीफ एड गारन्टी फंड बना है और तीसरा एग्रीकलचरल रीफ़ाईनेन्स-कारपोरेशन फंड बना है । यह तीनों संस्थाएं इस वास्ते बनाई गई हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में वित्त का निर्माण करें लेकिन जैसा कि रिपोर्ट से मालूम होता है इन तीनों ही संस्थाओं का काम पूरा पूरा संतोषजनक नहीं है । इन सारी संथाओं के काम को संतोषजनक बनाने के लिये जिन प्रयत्नों के करने की जरूरत है वह प्रयत्न उन्हें करने चाहिएं ।

प्राकृतिक प्रकोप के कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, या ओला पड़ जाने के कारण जब फसल बरबाद हो जाया करती है तो किसानों को कर्ज लेकर उपज उपजानी पड़ती है । उन्हें उस हालत में लाचार होकर कोआप-रेटिव सोसाइटीज से कर्ज लेना पड़ता है लेकिन अपनी शोचनीय आर्थिक अवस्था के कारण वह उस कर्ज को अदा नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाये और यह मंत्रालय इस बारे में वित्त मंत्रालय से भी विचार विमर्श करे और अगर एक बड़े पैमाने पर किसानों की उपज का बीमा करने के लिए, क्रौप इंश्योरेंस के लिए अगर प्रयत्न किया जाये तो मैं समझता हूं इस से किसानों के कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी और वह विश्वास के साथ कर्ज लेकर अपने काम में जुट सकेंगे और ग्राम विकास के काम में लगा सकेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की खर्च की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतें बहुत पुराने समय से इस देश में काम करती रही हैं । एक समय था जब कि हिन्दू काल में, मुग़ल काल में, मुस्लिम काल में जो उपज होती थी उस का एक दसवां भाग सरकार ले लिया करती थी बाकी क्षेत्र में पंचायतें खुद कार्य किया करती थीं । उस के बाद ब्रिटिश पीरियड में थोड़े से सीमित क्षेत्रों में पंचायतों काम होता रहा लेकिन हर राज्य चाहे वह हिन्दू राज्य हो चाहे मुगल-मुस्लिम राज्य हो और चाहे वह ब्रिटिश राज्य हो, पांच आदमियों की पंचायत हुआ करती थी जो कि निर्णय लेती थी, मुकद्मे करती थी और सारी व्यवस्था किया करती थी । लेकिन आजादी हासिल करने के बाद, स्वराज्य प्राप्ति के बाद सब से पहले भारतीय संविधान की धारा ४० में इसका उल्लेख आता है । उस में यह लिखा हुआ है :

"The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as units of government."

उस के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मसविदा तैयार हुआ है उस में इस का उल्लेख इस तरह से किया गया है :

"Indeed, rural programme depends entirely on the existence of an active organisation in the village which can bring all the people—including the weaker sections—into common programme to be carried out with the assistance of the administration."

इसी के साथ साथ सेंट्रल कौंसिल औफ़ लोकल सैल्फ़ गवर्नमेंट की हैदराबाद में जो

[श्री मोहन स्वरूप]

पांचवीं मीटिंग हुई थी उस में भी उन्होंने यह सिफारिश की थी ।

"What is most important is the genuine transfer of power to the people"

बड़े जोर से इस बात को इम्फेसाईज किया गया कि लोगों को जैनुविन पावर ट्रान्सफर की जाय । इससके लिए पंचायतों के प्रोग्राम को कार्यान्वित करने की तरफ़ तवज्जह दी गई । 3 टाईर सिस्टम पर पंचायत लेबिल पर, ब्लाक लेबिल पर और जिला स्तर पर उन का निर्माण हुआ । साथ ही साथ यह कहा गया कि गांव वालों को जिम्मेदारी दी जायेगी, उन को अधिकार दिया जायेगा और कार्य करने का अवसर दिया जायेगा । साथ ही साथ यह कहा गिया कि काफ़ी धन की व्यवस्था की जायेगी ताकि काम अच्छे तरीके से चल सके लेकिन यह देख कर खेद होता है कि इस दिशा में सफलता नहीं मिल सकी है । कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि गांव में काम करने की प्रेरणा गांव वालों को मिले । साथ ही साथ गांव का विकास हो, लेकिन विकास की बात तो अलग रही, गांव की शक्ल बदलना तो अलग रहा, गांव वालों को शिक्षित करने की बात तो अलग रही, हमारे पुराने फटे आवरण जो कि गांव में थे उनको भी न बदल सके । हां केवल यह हुआ है कि गांव की गन्दगी व कुरुप पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया गया है ।

देश की 2 लाख 14 हजार 848 पंचायतें इस देश में हैं, 3155 पंचायत समितियां हैं, ब्लाक्स हैं और 280 जिला परिषदें हैं लेकिन गांव की उन्नति की तरफ कोई भी किसी तरीके से कोई कदम हम आगे नहीं बढ़ा सक हैं । भले ही थोड़े से गांवों की उन्नति हुई हो, कुछ इने गिने लोगों की जोकि प्रभावशाली हैं, असर रखते हैं हो सकता है कि उनको ट्रैक्टर मिल गया हो और उनके जमीन जूत गयी हो लेकिन आमतौर पर जो गांव के कामन-मैन हैं, गरीब किसान हैं उन की उन्नति का जिक्र करना एक बेकार सी बात है । मैंने इससे पहले भी कई बार मांग की है और पिछले सैशन में दो बार एक प्रस्ताव रख कर यह मांग की थी कि इस मंत्रालय को खत्म कर दिया जाये । अब मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहता हूं क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है । करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं लिहाज़ा यह बात सोचना कि इसको खत्म कर दिया जाय कोई एक अच्छी बात नहीं होगी लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन गल-तियों को सुधार लें, उन कमियों को दूर कर द, जिनके कि कारण उन्नति नहीं हो रही है । इस काम पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लाखों आदमी इस प्रोग्राम के अन्तंगत कार्य कर रहे हैं लेकिन वह सम्भव नहीं हो सका है और कामनमैन की उन्नति नहीं होती है । इसके लिए मंत्री महोदय की गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा और उसमें जो कमियां और खराबियां हैं उनको दूर करने की तरफ़ तव-ज्जह देनी होगी । समय समय पर कमे-टियां बनती हैं और उन कमेटियों के आधार पर सिफारिशें शाया होती हैं और छपती हैं और उसके बाद समझ लेते हैं कि कर्त्तव्य खत्म हो गया । उस को इम्लीमेंट करने की तरफ़, कार्यान्वित करने की तरफ कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता है । श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी का जिक्र किया गया लेकिन उस की बहुत सी सिफारिश कार्या-न्वित नहीं की गई और वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है । मैं चाहता हूं कि यह मंत्रालय इस ओर सक्रिय हो ।

यह कहना मजाक की बात नहीं होगी कि आज लोग यह कहते हैं कि प्लानिंग के तीन काम रह गये हैं, मीटिंग, नक्शा और सलाम ।

एक माननीय सदस्य : मीटिंग, भत्ता और सलाम ।

श्री मोहन स्वरूप : यह भी ठीक है । मीटिंग्स होती हैं, नक्शे तैयार होते हैं ।

मुर्गियों के नक्शे तैयार होते हैं, बत्तखें कितनी हैं, कुत्ते कितने हैं, और बैल कितने हैं यह सब फीगर्स तैयार होती हैं । इस के अलावा मीटिंग्स होती हैं । मिठाई चाय पी, काफ़ी पी गये और उठ गये । इस के अलावा सलाम आदाबअर्ज चलता है । दूसरा और कोई काम वहां पर नहीं रह गया है । लोगों की यह धारणा बन गई है कि इस तरीके से जनता के रुपयों का दुरूपयोग हो रहा है । कोई ठोस काम नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि या तो जो वर्कस लगे हुए हैं वे सही तौर से प्रशिक्षित नहीं हैं या उनमें काम करने की क्षमता नहीं है या काम करने को दिल नहीं चाहता है । उन में काम करने का जोश नहीं है। गांवों में जब वे कर्मचारी जाते हैं तो हाकिम होकर जाते हैं, गरीब काश्तकारों से इस तरह से बात करते हैं मानों वह कोई आसमान से उतरे देवता हों । जब यह लोग गांवों के लोगों के दिलों में बैठकर कार्य करने नहीं जायेंगे तब तक प्रतिष्ठित व्यक्ति और वे व्यक्ति जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है वह किसानों के दिलों में बैठकर उनकी सही समस्या समझाने और उन्हें सही और सच्ची बात नहीं बतलायेंगे तब तक यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकेगा ।

अभी विलैज लेबिल वर्कर्स का जिक्र किया गया कि हर एक ब्लाक में 8 ए० डी० ओज० होते हैं जबकि वहां पर विलैज लेबिल वर्कर केवल एक ही होता है। हर एक ब्लाक में ए० डी० ओज० तो आठ होते हैं । एक खेती का ए० डी ओज० होता है । एक कोआपरेटिव का ए० डी० ओ० होता है और एक हैल्थ का ए० डी० ओ० होता है इस तरीके से वे आठ होते हैं । वे आठों ए० डी० ओज० अकेले ग्राम सेवक को निर्देश देते हैं । एक हफ्ते का कार्यक्रम बनाते हैं और उसे निर्देश देत हैं कि उसे यह यह काम इस तरीके से करने चाहिएं । परिणाम यह होता है कि ग्राम सेवक जो आठों ए० डी० ओ० उसे निर्देश देते हैं उनको सयम पर पुरा नहीं कर पाता है । इसीलिए मैं ने सुझाव दिया है कि एक एक ए० डी० ओ० के नीचे एक एक ग्राम सेवक होना चाहिए ।

मुझे एक चीज़ यह भी निवेदन करनी है कि ग्रम सेवक के रहने के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है । वह कभी किसी झोंपड़े में रहता है तो कभी किसी दूसरे में । अगर गांव वाले नाराज़ हो गये तो उसे निकाल कर बाहर कर देते हैं और उस हालत में वह बेचारा इधर, उधर समान लिये घुमता फिरता है । इसलिए जहां ब्लाक लेविल पर आप ए० डी० ओज० के लिए शानदार इमारत तैयार करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं वहां विलैज लेविल वर्कर के लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए अन्यथा वह अपना कार्य नहीं कर सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है । आपकी पार्टी का टाईम आठ मिनट था और वह समय खत्म हो गया है ।

श्री मोहन स्वरूप : ठीक है मैं और आगे नहीं कहूंगा हांलाकि अभी मुझे बहुत कुछ कहना था । आज सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह आमदनी की दिक्कत है । आय का साधन पंचायत के पास नहीं है । टैक्सेज़ से उसे काम करने को कहा जाता है ।

बहुत से दोस्तों ने कहा है कि गांवों के लोगों के लिए श्रमदान होता है, लेकिन शहरों पर वह लागु नहीं होता है । गांवों में जो लोग श्रमदान के अन्तर्गत कार्य करते हैं, उन को कोई एनकरेजमट नहीं मिलता है । मेरी कांसस्टीटयुएन्सी में करीब तेरह मील लम्बी सड़क श्रमदान से बनाई गई । उसको देखने के लिए डेवलपमेट के बहुत से लोग आए और फोटो वगैरह खींचे गए । उसके बाद यह सजेस्टियन दिया गया कि उस सड़क को पक्का कर दिया जाये ।

[श्री मोहन स्वरूप]

लेकिन आज दो बरस के बाद भी उस को पक्का कराने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

मैनपावर युटिलाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जो काम श्रमदान से होता है, उस में सरकार सहायता देती है और उस काम को करने के लिए कुछ धन का इन्तजाम करती है । लेकिन वह प्रोग्राम सिर्फ हिल्ली एरियाज, पहाड़ी इलाकों या कुछ और इलाकों में सीमित है । जिस प्रोग्राम के अन्तर्गत पुलियां बनाने और दूसरे काम करने की सुविधा दी जाती है, वह सारे देश में लागू की जाये ।

मैं चाहता हूं कि गांवों के लिए धन की माकुल तरीके से व्यवस्था की जाये । बहुत सी बातें हमारे दोस्तों ने कहीं हैं । मैं चाहता हूं कि देश को चार भागों या क्षेत्रों में विभाजित किया जाये—एक गांवों का क्षेत्र दूसरा जिलों का क्षेत्र, तीसरा सुबों का क्षेत्र, और चौथा केन्द्र और इस तरह एक चौखम्भा राज की स्थापना हो । सब आय को इन चार भागों में बांट दिया जाना चाहिये । मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी कदम है और सरकार को आज नहीं , तो कल यह काम करना ही होगा । इस तरह गांवों को आय का चौथा भाग देना चाहिए । गांवों की डेवलपमेंट का काम बातों से या श्रमदान से नहीं चल सकता है ।

मैं बहुत सी बात कहना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है । मैं मंत्री महोदय और सत्ताधारी ग्रुप के लोगोंसे निवेदन करूंगा कि वे इन सब बातों पर विचार करें, क्योंकि सारे देश का भविष्य इस पर निर्भर है । इस बारे में जो गलतियां है, उन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए । आखिर यह देश सब लोगों का है—सिर्फ इधर या उधर के लोगों का नहीं है । इस देश की सब से पहली इकाई गांव हैं और इस लिए गांवों की उन्नति के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि गांवों की उन्नति पर ही इस देश की उन्नति निर्भर है । इस लिए इस कार्यक्रम में जो कमियां हैं, उन को दूर करके इस को प्रभावशाली और ज्यादा लाभदायक बनाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री अ० सि० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, सहकारिता और पंचायती राज के मंत्रालय की रिमांडज के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अभी जो दान्तवाला कमेटी इस बात पर विचार करने के लिए बनी थी कि सहकारी मार्केटिंग किस तरह से कार्य में लाई जाये, उस ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, बल्कि वह अभी कार्यवाही कर रही है । जो मिरधा कमेटी बनाई गई है, उस ने भी अभी तक अपनी कोई राय नहीं दी है । इस कमेटी की रिपोर्ट आने पर हम अपने काम में अग्रसर हो सकेंगे । इस लिए मैं मंत्रालय से यह कहना चाहूंगा कि वह कमेटी को कहे कि जब तक उस की रिपोर्ट नहीं आयेगी, तब तक हमारा काम पीछे रहेगा । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जितनी जल्दी कमेटी की रिपोर्ट पेश करा सकते हैं, उतनी जल्दी उस को पेश कराने की कृपा करें ।

कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमेटियां बनाई गई है, जो बहुत से प्रान्तों में कार्य कर रही हैं । लेकिन भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कितना कार्य इस सम्बन्ध में हुआ है, इस का उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि इस तरफ हम ने कितना काम किया है, वह जनता के सामने आना चाहिए ।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ़ मैनेजमेंट आफ़ कन्जयमर्स बिजिनेस की तरफ से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हम किस तरह

से हर एक प्रान्त में शिक्षा के जरिये कन्ज्यूमर्स के व्यापार को लागू कर सकते हैं। मुझे यह बहुत जरूरी मालूम होता है कि हर एक प्रान्त में इस तरह की संस्था कायम की जाये । अभी थोड़े से प्रान्तों में इस को हाथ में लिया गया है

को–आपरेटिव फार्मिन्ग्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि पायलेट और नान–पायलेट प्राजेक्ट्स में किस तरह से कार्य किया जा रहा है । गए साल भी मैं ने इस मंत्रालय की डिमांड्ज पर बोलते हुए कहा था कि जहां पर फार्मिन्ग सोसाई–टीज वर्क कर रही हैं, वहां खुद जा कर देखा जाये या वहां से रिपोर्ट प्राप्त की जाये कि क्या वहां पर काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं । हमारे यहां जितनी फार्मिंग सोसाई–टीज काम कर रही हैं, उन का एक अलग सैक्टर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है ।

कमजोर सेक्शन्ज के लिए जो हमारे सह–कारी प्रोग्राम हैं, उन को किस तरह से लागू करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, इस बारे में मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए । सरकार की ओर से खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जो अरनेस्ट मनी और सिक्यूरिटी डिपाजिट के बारे में व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं । इन लोगों की ज्यादा से ज्यादा को–आपरेटिव सोसाईटीज बनाने से सहकारिता की मूवमेंट को ज्यादा फायदा होगा । जिस तरह से मनुष्य की पीठ में रीड़ होती है, उसी तरह से हमारी ये संस्थाये इस सहका–रिता की रीड़ हैं और हमें इस को मज़–बूत बनाना चाहिए । इस लिए यह आ–वश्यक है कि धोबियों, रिक्शावालों, वर्तन बेचने वालों और मजदूरों वगैरह की छोटी छोटी संस्थायें बनाकर उनको हर सम्भव सहायता दी जाये, पैसा दिया जाये, सब–सिडी दी जाये । इन के जरिये से हम इस मूवमेंट को नई शक्ति दे सकेंगे ।

जिस तरह से चेन एक दूसरे से मिली रहती है, उस तरह का सम्बन्ध हमारे इस मंत्रालय और अन्य डिपार्टमेंट्ज में नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बात का क्या कारण है कि हमारे अलग अलग मंत्रालय एक साथ मिल कर काम नहीं करते हैं । अगर सारे मंत्रालय एक साथ मिल कर काम करें, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज और सहकारिता के कार्य में मदद मिल सकती है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं । आज हमारी कमजोरी का कारण विभिन्न मंत्रालयों में सहयोग का अभाव है । हमारे सब मंत्रालयों को एक–राय और एक–दिल हो कर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए ।

बेशक कुछ भाईयों की तरफ़ से जिन की इस बारे में दिलचस्पी थी, बहुत दिनों तक यह चर्चा हुई कि यह मंत्रालय न रहे, लेकिन उन के सपने टूट गए, क्योंकि यह मंत्रालय कायम है और कायम रहेगा । इसको तोड़ने की जो बात चल रही थी, वह कुछ मनचले लोगों की थी, जो आंख से आंख नहीं मिला सकते थे ।

इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि देहात में प्राथमिक शिक्षा का काम भी पंचायतें अपने हाथ में लें । देहात की सब बातों से इस मंत्रालय का वास्ता है और वह वहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायती राज के जरिये से सब काम कर रहा है । शिक्षा को अपने हाथ में लेकर इस मंत्रालय के जरिये काम किया जाना चाहिए । यह कहा जा सकता है कि यह स्टेट का विषय है, स्टेट गवर्नमेंटस के कार्य क्षेत्र में शिक्षा का विषय आता है इस वास्ते इसको आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जब मदद स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं तो आप स्टेट गवर्न–मेंट्स को इस बात के लिए भी तैयार कर

[श्री अ० सिं० सहगल]

सकते हैं कि इस विषय को वे आपके हाथ में दे दें ।

आध्यात्मबाद की शिक्षा बच्चों को देना भी बहुत जरूरी है । जब इस विषय को यह मंत्रालय अपने हाथ में ले लेगा तो आध्यात्मबाद की शिक्षा बच्चों को वह बड़ी आसानी से देने का प्रबन्ध कर सकता है । जो पंचायतों के मैम्बर हैं, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अन्तर्गत लोग हैं उनको भी आध्यात्मबाद की शिक्षा दी जानी चाहिए । उनको यह शिक्षा दे कर आप ईमानदार, कर्मठ, सच्चा दृढ़ता से काम करने वाला और गरीबों की सेवा करने वाला बना सकते हैं, ये सब गुण उनमें आप भर सकते हैं । अगर आपने ऐसा किया तो आप एक बहुत बड़ा उपकार देश के साथ और लोगों के साथ करेंगे । बच्चों को आज अगर आप यह शिक्षा देंगे तो आगे चल कर यह न केवल उनके लिए सहायक सिद्ध होगी बल्कि देश के लिए भी बहुत उपयोगी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय का डिमांड्ज का समर्थन करता हूं ।

श्री दी० सिं० चौधरी (मथुरा) : मैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि इस मंत्रालय के लिये जितनी धनराशि बजट में रखी गई है वह अपर्याप्त है । इस मंत्रालय के कार्यों को देखते हुए जन सम्पर्क को देखते हुए, तथा अन्य दृष्टियों से देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि केवल यही एक मंत्रालय ऐसा है जो कि वीकर सैक्शंज आफ पापुलेशन को नीचे के दर्जे के लोगों को ऊपर उठाने वाला है, उन लोगों को ऊपर उठाने वाला है जो कि गांवों में रहते हैं और यही एक मंत्रालय ऐसा है जो कि साधारण और ग्रामीण को शिक्षण करने वाला, उनमें संगठन की भावना पैदा करने वाला है ।

मुझे यह कहने की आप अनुमति दें कि हमारे इस मंत्रालय को जो अधिकार दिये जाने चाहियें वे अधिकार नहीं दिये गये हैं । अगर वास्तव में इस के पास वे अधिकार होते, अगर वास्तव में यह प्रदेश सरकारों को बाध्य कर पाता ऐसे काम करने के लिए जिन को कि यह आवश्यक समझता है तथा उन सभी मंत्रालयों से सहयोग इस को मिल पाता जिन का सहयोग इस को प्राप्त होना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि यह मंत्रालय और अधिक काम कर सकता था । कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस मंत्रालय का जो मंत्री है वह कैबिनेट रैंक का होना चाहिये । इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल इस बारे में मिला था और उनके सम्मुख भी हमने इस चीज को पेश किया था और उन्होंने कहा था कि इससे कोई कठिनाई नहीं होती है । हमने बताया था कि एक कठिनाई जरूर होती है कि जब कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री किसी प्रदेश में जाता है तो उस वक्त उस को अधिक महत्व दिया जाता है और उतना महत्व जो कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं होता है उस को नहीं दिया जाता है । मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय के अधिकार बढ़ाने के लिए अगर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाना चाहिये । यदि इस के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से विधेयक ला कर अधिकार बढ़ाने की बात हो तो मैं समझता हूं कि विधेयक ला कर इस के अधिकार भी बढ़ाये जा सकते हैं । जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक हमें वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है ।

15·32 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair.*]

मैं ने देखा है कि बहुत से मामलों में इस मंत्रालय के प्रयत्नों के बावजूद भी बहुत सी हमारे सूबों की सरकारें ऐसी हैं कि जो इस के सुझाव होते हैं, जो इस के आग्रह

होते हैं, उन पर विचार नहीं करती है । आजादी मिलने के बाद से अगर सर्वाधिक महत्व का कोई मंत्रालय है तो यही मंत्रालय है जिस ने जनता को अनुभव कराया है कि हमें आजादी मिली है ।

सामुदायिक विकास की तरफ न जा कर सहकारिता के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने आलोचना की है और बहुत बुरा भला कहा है । कुछ ने कहा है कि यह कुछ काम नहीं कर रहा है । मैं थोड़े से आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि कितना काम यह मंत्रालय कर रहा है । रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 1951–52 में किसान कुल ऋण का तीन प्रतिशत ही सहकारी संस्थाओं द्वारा पाता है । इस ऋण की मात्रा 1961–62 में बढ़ कर पच्चीस प्रतिशत हो गई । उस समय कुल ऋण 27 करोड़ रुपये दिया जाता था और उस की मात्रा 1963–64 में बढ़ कर 3 अरब 25 करोड़ हो गई । सहकारी समितियों की सदस्य संख्या को भी आप देखें । जून, 1961 में उन की कुल सदस्य संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, वह जून, 1963 में बढ़ कर 2 करोड़ 17 लाख और जून 1964 में 2 करोड़ 42 लाख हो गई । आप इस से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से इन की सदस्य संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है । अब आप अंश पूंजी पर विचार करें । जून, 1961 में 58 करोड़ वह थी, जून 1963 में वह 80 करोड़ हो गई और जून, 1964 में 90 करोड़ हो गई । इसी तरह से अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण की मात्रा में भी वृद्धि हुई है । 1962–63 में जहां वह 2 अरब 57 करोड़ था वहां वह 1963–64 में जा कर 2 अरब 90 करोड़ हो गया और 1964–65 में 3 अरब 40 करोड़ हो गया । प्रगति की जो गति है इस का मुकाबला अगर आप दूसरे मंत्रालयों से करें तो उन के अनुपात में आप को पता चलेगा कि इस मंत्रालय ने बहुत अधिक प्रगति की है ।

हमारा कृषि मंत्रालय यहां तक कहता है कि इस मंत्रालय को उस के अन्तर्गत कर दिये जाने का विचार था और इस संबंध में उस का कहना था कि अन्न उत्पादन बढ़ सकता है । अगर हम उत्पादन देश में बढ़ाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि कृषि व खाद्य मंत्रालय तो उत्पादन बढ़ाने में सहायक शायद ही होता हो, बाधक जरूर हो जाता है । अगर उत्पादन में कोई मंत्रालय सब से अधिक सहयोग करता है तो यह सहकारिता का ही मंत्रालय है या जो सिंचाई का मंत्रालय है वह है । अगर सहकारिता के मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय हो जाए तो और अधिक उत्पादन हो सकता है । आप देखें कि कृषि उत्पादन में इस मंत्रालय ने कितना सहयोग किया है । रासायनिक खाद इस ने 55 करोड़ 34 लाख का बांटा है । बीज 10 करोड़ 39 लाख का बांटा है । कृषि यंत्र 3 करोड़ 72 लाख के बांटे हैं । उपभोक्ता पदार्थ 67 करोड़ 20 लाख के बांटे हैं । इस से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से सहकारिता का मंत्रालय हमारे कृषि के उत्पादन में काम कर रहा है । इस से भी अधिक जो बात है वह यह है कि साधारण किसान को शिक्षित करने का उस को शिक्षा देने का, जनता के साथ सम्पर्क कायम करने का, साधारण जनता में स्वाभिमान की भावना जागृत करने का, और जनता को उस के अधिकारों का अनुभव कराने का भार सर्वाधिक किसी मंत्रालय पर है तो वह इसी मंत्रालय पर है । आप देखें कि कितनी मिलें चीनी की आज सहकारी ढंग पर चल रही हैं । 1955–56 में केवल तीन मिलें थीं और अब तक 57 मिलों को लाइसेंस मिल चुके हैं । इन मिलों का संचालन करने वाले 99 प्रतिशत कृषक हैं । किसान ही इन तमाम मिलों को चलाते हैं । 1963–64 में 48 एसी मिलें थीं और इन मिलों में देश के कुल उत्पादन का 23 प्रतिशत उत्पादन होता था अर्थात् 6 लाख मीट्रिक टन उत्पादन चीनी का इन के द्वारा हुआ ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : किसान हैं या जमींदार ?

श्री दि० सिं० चौधरी : जमींदार तो खत्म हो गये हैं, अब तो सब किसान हैं।

इस क्षेत्र में भी हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, इस को भी आप देखें। इसी तरह से अगर हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस से हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति हो सकेगी, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में।

कुछ लोगों ने इस मंत्रालय की कमियां बताई हैं, इस की बुराई की है, आलोचना की है। मैं ने देखा है कि अधिकतर दो तरह के लोगों ने ही इस की आलोचना की है, एक तो वे लोग हैं जिन के निहित स्वार्थ में हैं और दूसरे वे लोग हैं जिन को ईर्ष्या होती है, जो ईर्ष्या भाव रखते हैं। निहित स्वार्थ वाले तो पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक संस्थायें हैं जो पूंजीपतियों से व्यापारियों आदि से चन्दे लेती हैं और चूंकि उन लोगों के जो निहित स्वार्थ हैं उन पर इस से चोट लगती है, इसलिये वे इसकी आलोचना करते हैं। इसी तरह की आलोचना उन लोगों द्वारा की जाती है जो कि ईर्ष्या भाव अधिक रखते हैं, बेईमानी जो अधिक करते हैं। वे भी इस की ज्यादा आलोचना करते हैं। एक महिला कम्यूनिस्ट पार्टी की माननीय सदस्या की आलोचना को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। उन्हों ने कहा है कि ब्लैकमार्केटिंग में यह सब से आगे बढ़ा हुआ है। मुझे यह कहने के लिये आप क्षमा कीजिये कि उन्हें इस सम्बन्ध में सही सही जानकारी नहीं है।

राजनीतिक कार्यकर्ताओं या राजनीतिक पार्टियों में भी इस के प्रति ईर्ष्या भाव पाया जाता है और उसका कारण भी यह है कि जनता की उन में श्रद्धा नहीं रह गई है और जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, उन का जनता से सम्पर्क है, लोग उन के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, उन की इज्जत भी अधिक करते हैं और उन के हाथ में कुछ अधिकार भी है इसलिये राजनीतिक पार्टियों के आदमी जो केवल हवाई काम करने वाले हैं, रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं ; वे आलोचना करने में ही विश्वास करते हैं। उन की आलोचना में कोई तर्क नहीं है, उन की आलोचना का कोई महत्व नहीं है। ईर्ष्यावश ही वे आलोचना करते हैं।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी कई बातें कही गई हैं। जहां तक भ्रष्टाचार के अनुपात का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि अपेक्षाकृत दूसरे विभागों के इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत कम है। भ्रष्टाचार इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में दो प्रकार का है और दो ही स्तरों पर होता है, एक उच्च स्तर पर और दूसरा नीचे के स्तर पर। दूसरे विभागों में अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि भ्रष्टाचार नीचे से लगा कर ऊपर तक है। लेकिन इस विभाग में उच्चतर स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है और उस स्तर पर जनता को वास्ता भी नहीं पड़ता है। यह भ्रष्टाचार अगर पाया जाता है तो गांव के स्तर पर, सोसाइटी या सुपरवाइजर के स्तर पर ही पाया जाता है। और यह भ्रष्टाचार आम जनता की निगाह में बहुत आसानी से आ जाता है, इसका आम जनता को बहुत जल्दी पता चल जाता है। इस के बारे में आम जनता में धीरे धीरे जानकरी बढ़ती जा रही है और वह समय अधिक दूर नहीं है जब इस भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर दिया जाएगा। साधारण स्तर पर, छोटे आदमी के स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार को आम आदमी बहुत जल्दी जान जाता है। और जो बड़े बड़े लोगों का भ्रष्टाचार है वह मात्रा में बहुत ज्यादा है चाहे संख्या में कम हो। आम लोगों में जो भ्रष्टाचार देखते हैं, यह बात अवश्य है कि उन की संख्या ज्यादा हो सकती है लेकिन मात्रा बहुत कम है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्रालय द्वारा जो काम हो रहा है वह बड़ा उपयोगी है। देश को आगे बढ़ाने के लिये जो कुछ हो रहा है उस के सम्बन्ध में मैं एक दो सुझाव देना चाहूंगा।

मैं चाहता हूं कि कानून में कुछ संशोधन हो, कानून में कुछ सुधार हो जिन से इस मंत्रालय का कार्य आगे बढ़ सके। आप देखिये कि एक कार्य यह हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि एक ऐग्रिकल्चर क्रेडिट स्टैबिलाइज़ेशन फंड कायम किया गया है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सहकारी बैंक जो हैं अपने ही मुनाफे से उसे कायम करें। वह इस लिये कायम करें कि जो अल्पकालीन ऋण होते हैं, अगर किसान उन को वक्त पर नहीं दे सके, तो उनको मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण में बदला जा सके। लेकिन अगर मुनाफे से उनको कायम किया जायेगा तो शायद इस काम में वर्षों लग जायेंगे, दस पांच वर्ष के अन्दर भी नहीं बन पायेंगे। अगर सरकार इस को चाहती है तो उस को चाहिये कि रिजर्व बैंक से रुपया दिलवा कर इस फंड को कायम करवा दे। एक सबसे जरूरी बात यह है कि आम तौर से लोग वसूली के सम्बन्ध में शिकायत करते हैं। अगर किसानों को यह अधिकार दे दिया जाये कि अगर अल्पकालीन ऋण की वसूली वक्त पर न हो सके, फसल खराब होने से वसूली न हो सके, तो उस को मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण में बदल सके, तो मैं समझता हूं कि सब शिकायतें दूर हो जायेंगी और किसानों की कठिनाई भी दूर हो जायेगी।

बहुत से कानून बने हैं उन में कोई संशोधन बहुत सी जगहों पर नहीं हो रहे हैं। उन में संशोधनकी आवश्यकता है। अगर वह संशोधन कर लिये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि उस से बहुत सी समस्यायें हमारी हल हो जायेंगी। जो सहकार समितियां गड़बड़ करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, बेईमानी करती हैं, उन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार आम जनता को होना चाहिये। इससे जनता उनके खिलाफ कार्य कर सके।

अपनी बात को खत्म करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह विभाग जो गांव के स्तर पर हजारों का, ज़िला स्तर पर करोड़ों का और प्रदेश स्तर पर अरबों का काम करने की क्षमता पैदा कर रहा है उस का होना मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये सब से बड़े भाग्य की बात है। इस मंत्रालय के द्वारा हमारे मंत्री, हमारे उपमंत्री और विभागीय कर्मचारी जो आम का पेड़ लगा कर सोच रहे हैं, उस पेड़ से निकट भविष्य में ऐसे फल मिलने वाले हैं जिस से हमारे देश का आर्थिक विकास होगा और समाजवाद की स्थापना होगी।

Mr. Chairman: Shri Jyotishi.

Shri P. R. Patel: May I know whether the names are submitted by the party whip? Or are we required to catch your eyes? What is the position?

Mr. Chairman: He has caught my eyes.

Shri P. R. Patel: Let us understand the position clearly. After all, this is the Parliament which is functioning.

Mr. Chairman: I would request him to resume his seat. I have already called Shri Jyotishi.

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : सभापति महोदय, हमें, जिन के बाल सफेद हो चले हैं शाम तक बैठे बैठे और जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता, उन के जी में थोड़ी बेचैनी होती है। मुझे विश्वास है कि उस बेचैनी के लिये आप क्षमा करेंगे।

हम ने इस देश में इस विभाग को जो काम सौंपा है वह बड़ी तमन्नाओं के साथ सौंपा है। बड़े जज़बात हमारे दिल में थे बड़ी बड़ी आकांक्षायें हमारे दिलों में थीं बड़े

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

मधुर मधुर सपने हमारे दिलों में थे । 75 या 80 परसेन्ट रियाया इस देश के गांव में रह रही है । आज मेरी नजर के सामने उस गांव की तस्वीर आती है जिस गांव में मेरी मां का जन्म हुआ था, जहां उन की नाल गड़ी हुई है । मैं सोचता हूं कि उस मेरी पड़ोसिन और बनिये की लड़की, मेरी मौसी बिन्दो बाई की लड़की की साड़ी तो अभी भी फटी है, वह रहमत, मेरा भाई, मेरे साथ खेला हुआ, उसके पायजामे में तो अभी भी पैबन्द लगे हुए हैं, और वह जानसन, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, उस के बच्चे की आमदनी अभी नहीं बढ़ सकी । यह क्या है, आखिर । सत्तरह वर्ष इस देश की आजादी के बीत गये और जानसन और रहमत की हालत वही है, बिन्दो मौसी की बच्ची की हालत वैसी ही है । इस नक्शे को तब्दील करने के लिये, इस स्थिति को बदलने के लिये, हम ने कम्युनिटी डेवेलपमेंट को आरम्भ किया था, और अच्छे अनुष्ठान से किया था, लेकिन वह नक्शा अभी तब्दील नहीं हुआ । इसलिये हम, जिन की सांसें शायद थोड़ी रह गई हैं, बेचैन हो रहे हैं कि इतने वर्षों में यह काम नहीं हुआ ।

फिर भी सन्तोष होता है, हम को । सन्तोष इस बात का होता है कि हम ने एक सड़क बनाई है, उस सड़क पर गिडट्टी डाली है, तारकोल डाला है, और वह सड़क हमारी ठीक ठीक दिशा में बनी है, और हमारी गाड़ी जैसी कुछ है उस को उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । हम जानते हैं कि इधर उधर कीचड़ है जो हमारे पहियों को रोकता है, हम जानते हैं कि इधर उधर खन्दक है अब भी जो हमारी गाड़ी को रोकती है । कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि किसी दौलतमन्द ने यह कहा कि जो हम दौलतमन्दों के खिलाफ आवाज उठायेंगे, उन के सर झुड़का दिये जायेंगे, जमीन पर लोट पोट कर दिये जायेंगे । यह चैलेन्ज है इस देश के आदमियों के लिये जो देश की हालत को सुधारना चाहते हैं और गांवों की हालत को सुधारना चाहते हैं । यह कम्युनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट के लिये चैलेन्ज है । दौलतमन्दों का मुकाबला किस तरीके से किया जायेगा । 75 परसेन्ट अवाम, जो गांवों में बसते हैं, इस वक्त इस देश के अन्दर एक क्रान्ति चाह रहे हैं, एक बौद्धिक क्रान्ति चाहते हैं, एक धार्मिक क्रान्ति चाहते हैं, एक आर्थिक क्रान्ति चाहते हैं । उस क्रान्ति की पूर्ति कहां से होगी । उस क्रान्ति की पूर्ति होनी है इस छोटे से हमारे डिपार्टमेंट से, कम्युनिटी डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट से ।

गांधी जी ने कहा था कि अगर कलकत्ते में, बम्बई में, दिल्ली में तरक्की होती रही तो यह देश की तरक्की नहीं । इस देश की तरक्की करने के लिये लाखों गांवों को हमें आगे बढ़ाना है । जब मैं कहता हूं कि ठीक सड़क हम ने तैयार की है और हम ठीक दिशा में जा रहे हैं तो उस के माने यह हैं कि जो योजना हम ने बनाई है कम्यूनिटी को डेवेलप करने के लिये और पंचायत राज की स्थापना के लिये, वह योजना दुरुस्त है, हम निश्चित रूप से सही दिशा में जा रहे हैं । हां यह ठीक है कि हमारे कदमों में ताकत होनी चाहिये ।

हमारे कुछ मित्रों ने इस मिनिस्ट्री पर, जवान मिनिस्ट्री पर खुश हो कर उसे महारानी या पटरानी बनाने की बात कही । मुझे इस में कोई ऐतराज नहीं है कि यह पटरानी बने । मेरे एक दोस्त ने कुछ रेशमी डोरे डाले इस मंत्रिमंडल की तरफ, मेरे बुजुर्ग दोस्त दादा चक्रवर्ती ने । मुझे कोई रश्क नहीं । जरूरी है कि यह मिनिस्ट्री जो है वह एक ताकतवर मिनिस्ट्री हो, मजबूत मिनिस्ट्री हो । यदि हम महसूस करते हैं कि डिफेन्स का कार्य महत्वपूर्ण है इस देश में, अगर हम महसूस करते हैं कि फारेन अफेअर्स

का कार्य महत्वपूर्ण है इस देश में, अगर हम महसूस करते हैं कि फाइनेंस अफेयर्स का कार्य महत्वपुर्ण है इस देश में, अगर हम महसूस करते हैं कि फाइनेन्स का काम महत्व-पूर्ण है इस देश में, तो उस स्तर से किसी तरह से कम महत्वपूर्ण इस मिनिस्ट्री का काम नहीं है। उस का ताल्लुक इस देश की 75 प्रतिशत अवाम को उठाने से, उस की शिक्षा का इन्तजाम करने से, उन के स्वास्थ्य का इन्तजाम करने से, और उन के अन्न का इन्तजाम करने से है। कौन देता है इस देश के शहरों को अन्न। गांवों से तैयार हो कर अन्न आता है। लेकिन आज फूड मिनिस्ट्री से नीचे यह मंत्रालय रह रहा है। अजीब बात है। बेटा बाप का बाप बने। यह जो मंत्रालय है इसके अन्तर्गत इरिगेशन डिपार्टमेंट आना चाहिये, फूड डिपार्टमेंट आना चाहिये, और ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट इस के अन्तर्गत आये जिस का तीन चौथाई काम इस से सम्बन्धित होता है। कारण यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कर रहे हैं इस देश में, लेकिन जितना काम होना चाहिये उतना हम लोग नहीं कर पाये हैं। पंचायत राज को आप पूरा अधिकार दीजिये। कोई शर्म न कीजिये, कोई डर न कीजिये, कोई झिझक न कीजिये। अगर इस पार्लियामेंट में ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी एक गांव के किसान का बेटा आ कर देश के भविष्य का निर्माण कर सकता है तो उस का साथी रहमत क्यों नहीं गांव पंचायत में बैठ कर या जिला पंचायत में बैठ कर उस काम को कर सकता है। अगर मैं ईमानदार हो सकता हूं यहां रह कर तो वह भी वहां रह कर ईमानदार हो सकता है। अगर मैं गलती करने की इजाजत पा सकता हूं यहां रह कर तो उस भाई को वहां रहते हुए क्यों यह अधिकार न दिया जाये।

यह ठीक है कि हम अपने देश को ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन खतरा वहां नहीं है। खतरा तो इस बात में है कि उन की बात को हम यहां बैठ कर तै करें। गांव का आदमी जानता है कि उसके लिए क्या आवश्यक है, सड़क या रोटी या उसे दुधारू गाय की आवश्यकता है अपने बच्चों के गालों पर लाली लाने के लिए। हम शहरों से आए हुए लोग, हम देश के प्रतिनिधि हो सकते हैं, यह तै करते हैं कि गांव वालों को यह चाहिए वह चाहिए। मैं कहता हूं कि गांव के आदमी को अपने लिए आवश्यक चीजों का चुनाव करने के लिए छोड़ दिजिए। वह जिला परिषद में बैठ कर, गांव पंचायत में बैठ कर, ब्लाक परिषद में बैठ कर अपने लिए जरूरी योजनाएं बनावें। उन्हें आप अधिकार दीजिए कि वे अपना काम स्वयं कर सकें। और इसके लिए उन को अधिक सहायता दीजिए। मैं चाहता हूं कि हम गांवों के विकास के लिए अधिक राशि दें, वहां पर हम उद्योग स्थापित करें। आज हम शहरों को चमन बना रहे हैं, उन को चमका रहे हैं। मझे यह देख कर शर्म लगती है कि हम केवल शहरों को चमका रहे हैं, शहरों के चन्द आदमियों की सुख सुविधा के लिए सारे देश की शक्ति को जुटा रहे हैं। इस प्रकार हम सारे देश का रक्त चूस कर शहरों को बना रहे हैं और इस प्रकार गांवों का शोषण हो रहा है। गांवों के लिए बहुत कम काम हो रहा है। मैं जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो नहीं देखता कि कोई नाला बना है या खेती को बढ़ाने के लिए कुछ काम किया गया है।

मुझे विश्वास है कि जो रेखाएं योजनाओं की इस देश में प्रस्तुत हो रही हैं वे इस विभाग को ताकत देंगी और इस देश को आगे बढ़ाएंगी।

Mr. Chairman: May I enquire of the hon. Minister how much time he will take for the reply?

Shri Gauri Shankar Kakkar: Half an hour is sufficient for him.

Mr. Chairman: Let him say that.

The Minister of Community Development and Co-operation (Shri S. K. Dey): I would like to have one hour.

श्री पाराशर (शिवपुरी) : टाइम बढ़ा दिया जाए ।

Mr. Chairman: No extension of time. I think, 45 minutes will be all right.

Shri S. K. Dey: It will be too little.

Mr. Chairman: I think, I will call the hon. Minister at 4.45 so that hon. Members will get some more time. All right?

Shri S. K. Dey: Yes, Sir.

Mr. Chairman: Shri Kakkar. Please try to conclude within eight minutes.

Shri Gauri Shankar Kakkar: It will be 12 minutes, not more than that, with your co-operation.

Mr. Chairman: Not a second more than eight minutes.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : चेयरमैन साहब, सब से पहले तो मेरा यह निवेदन है कि जब सामुदायिक विकास योजना और सहकारिता का बजट सदन में आता है तो मैं देखता हूं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का मस्तिष्क इस ओर साफ नहीं है कि आया इस विभाग को खाद्य मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाय, या इस मंत्रालय के अन्तर्गत खाद्य मंत्रालय हो अथवा इस के अन्तर्गत इर्रीगेशन और पावर का मंत्रालय हो । तो मेरा सब से पहले यह निवेदन है कि कोआरडिनेशन न होने के कारण सब चीजें दिन ब दिन, यहां से ले कर जिला स्तर तक बिगड़ती जा रही है और संभलती नहीं हैं ।

जहां तक कि सहकारिता का सम्बन्ध है, सब से पहले मेरा यह निवेदन है कि इस में तो सन्देह नहीं कि जो संकल्प हम ने लिया समाजवादी आर्थिक व्यवस्था देश में लाने के लिए, उस के लिए एक मात्र सुदृढ़ सहकारिता हो सकता है । परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि वह लक्ष्य सहकारिता का जो हमारे सामने है और जिस को ले कर हम ने तमाम देश में इस काम को चलाया है उस में हम को कामयाबी नहीं मिली ।

सहकारिता आन्दोलन से मेरा सम्बन्ध काफी दिनों से है, और उसके बारे में कुछ बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । इस विभाग में बहुत सी कमेटियां बनीं और मैं अपने मित्र डे साहब को इसके लिए तो बधाई अवश्य दूंगा कि जहां तक कमीशन्स और कमेटियों के निर्माण का सम्बन्ध है, वह इस मामले में सबसे आगे हैं, इसमें सन्देह नहीं, और कमेटियों की रिपोर्टें भी अधिकतर आती हैं, परन्तु आज भी क्या नक्शा सहकारिता का हमारे देश में होना चाहिए, क्रेडिट साइड में अथवा और जचह पर, इसपर सहकारिता मन्त्रालय का मस्तिष्क साफ नहीं है

रूरल क्रेडिट सर्वे जब सन 1951 और 52 में हुआ तो सबसे ज्यादा अगर उस की किसी ने नुक्ताचीनी की तो स्व० प्रधानमन्त्री नेहरू जी ने की, और जब यहां पर अखिल भारतीय सहकारिता सम्मेलन हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा कि यह चीज तो मेरी समझ में नहीं आती कि एक सहकार समिति अगर एक गांव के आगे हो एक को दूसरे की जानकारी न हो, एक को दूसरे से सम्पर्क न हो, तो वह सहकारिता किस तरह से चलेगी । इस तरह पर जो क्षेत्रीय सहकारी समितियां बनीं उनमें दस दस बीस बीस गांव ले लिए गए और उस ओर उन्नति नहीं हो रही है ।

इस बारे में मझे यह कहना है कि न मालूम क्यों सहकारिता आन्दोलन ऐसा बदनाम हो रहा है कि जब भी सहकारिता का नाम आता है तो प्रथम ही यह कह दिया जाता है कि Something fishy or fraud in the co-operative sector.

इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि हमने इस आन्दोलन को जनता का आन्दोलन नहीं बनाया और इतने वर्ष व्यतीत होने पर भी हम अभी सरकारी तौर पर इस आन्दोलन को चलाना चाहते हैं । गो कि हमारा यह ध्येय रहा है कि यह जनता का आन्दोलन हो और इसका गैरसरकारी करण किया जाए, परन्तु मुझे खेद है कि जो विभिन्न राज्य यह काम कर रहे हैं उसमें आज भी बीस साल पुराना सहकारिता का कानून चालू है । क्या मन्त्री महोदय को इसका ज्ञान है । क्या उनको यह सुन कर दुःख नहीं होगा । कि इस समय भी उत्तर प्रदेश में सैंट्रेल कोआप्रेटिव बैंक का प्रेसीडेंट कलक्टर होता है, इस समय भी रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार इस बात के हैं कि जो चाहे जो बाई ला में संशोधन करा दे और किसी भी सोसाइटी पर उसको एनफोर्स कर दें, ठूंस दें, इस वक्त नामिनेशन करने का अधिकार मन्त्री जी ने पोलिटिकल बेसिस पर अपने हाथ में ले रखा है । श्रीमन, जो तीन डाइरेक्टर नामिनेट होते हैं, उनके द्वारा पोलिटिकल बेसिस पर जहां माइनारिटी होती है बोर्ड में वहां मैजारिटी कर देते हैं और जहां मैजारिटी होती है वहां माइनारिटी कर देते हैं । कैसा यह जन आन्दोलन है, कैसा यह जनता का आन्दोलन है ? मुझे तो इसमें बड़ा सन्देह है । आज भी आप देखें कि सहकारिता का बस्ता फील्ड सुपरवाइजर आज से बीस साल पहले की तरह बगल में दबाकर चलता है । आज वही एक अंकुश है । फील्ड सुपरवाइजर, कोआपरेटिव इंसपेक्टर और असिस्टंट रजिस्ट्रार का शासन प्राय कोआपरेटिव सोसाइटीज के संचालन में चलता है ।

तो, जैसा मैंने निवेदन किया, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इतना रुपया सहकारिता में लगाते हैं, परन्तु उसका फायदा जन समुदाय को नहीं प्राप्त होता । मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि आज इस रिपोर्ट में एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा गया है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य होते हैं उनको सूद में कोई रियायत दी गयी है । मैंने सारी रिपोर्ट देख ली, इसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है । अभी तक तो 9 परसेंट दस परसेंट सूद प्राय: सभी राज्यों में लिया जाता था, मगर अब जो इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो गयी है और डेढ़ या दो परसेंट बढ़ा है, तो अब इस कारण कोआपरेटिव सोसाइटी के एक सदस्य पर सूद 12 परसेंट के करीब हो जाएगा । पहले हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस बात का निर्णय किया था कि हम 6 प्रतिशत से अधिक सूद सोसाइटी के सदस्य कल्टीवेटर पर नहीं होने देंगे । परन्तु होता यह है कि ढाई परसेंट पर अपेक्स बैंक को रिजर्व बैंक से एकोमोडेशन मिलता है, और अपेक्स बैंक फिर सेंट्रल बैंक को दो परसेंट ज्यादा लेकर साढ़े चार परसेंट में देता है, और सेंट्रल बैंक कोआपरेटिव सोसाइटीज को दो परसेंट और लेकर देती हैं और अन्त में जब वह सदस्य के पास पहुंचता है, तो वह 9 परसेंट से लेकर 12 परसट तक हो जाता है ।

एक बात और है, आपने कमेटीज तो बहुत बनायीं, लेकिन एक कमेटी नहीं बनायी जो अल्पकालीन लोन, मीडियम टर्म लोन और लांग टर्म लोन के बारे में, जो कोआपरेटिव के लिए दिया जाता है, उस पर विचार करती । इस लोन का लक्ष्य खेती होता है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वह पैसा खेती पर व्यय होता है । उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हमारा फील्ड सुपरवाइजर मिडिल मैन तक ही पहुंचता है और जो असली कल्टीवेटर है उस तक नहीं पहुंचता । इस प्रकार इस सहकारिता विभाग द्वारा वीकर सैक्टर को प्रोत्साहन नहीं मिलता ।

जहां तक कम्युनिटी डेवेलपमेंट का सम्बन्ध है, मैं यह एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आर्टिकल 40, कांस्टीटयूशन ऐक्ट के अन्तर्गत जो पंचायतों का निर्माण हुआ उसमें यह उद्देश्य था कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट होगी । इस दिशा में आपको कहां तक सफलता मिली है ? इसके कई कारण हैं, एक तो इनडाइरेक्ट इलेक्शन की प्रथा है, और दूसरे

[श्री गौरीशंकर कक्कड़]

पंचायतों के पास अपना कोश न होना है। आज वहां भी, अर्थात पंचायत में पंचायत इंसपेक्टर शासन करता है और सभापति को नाम लेने के लिए भी कोई अधिकार नहीं है।

वास्तव में पंचायत गांव के शासन की यूनिट है।

16 hrs.

अन्त में मुझे सिर्फ यह कहना है कि अगर वाक़ई इस मन्त्रालय का यही परफौरमेंस है तो फिर इस बात को गम्भीरता से सोचना होगा कि इसके द्वारा 75 प्रतिशत देशवासियों को क्या लाभ मिल रहा है? चूंकि 75 प्रतिशत: देशवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसलिये इस मन्त्रालय के खर्च की मांगें मंजूर नहीं करनी चाहिएं।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): Mr. Chairman, Sir, I am happy that I have been given a chance to speak on the Demands for Grants relating to the Ministry of Community Development and Cooperation.

Sir, I come from a State where the democratic decentralisation, the panchayati raj, has been introduced and it being Andhra really stands as 'A'. I have been hearing several comments and criticisms about the performance of this Ministry as being made on the floor of this House. But I can say one thing that whatever may be the shortcomings or shortfalls of this Ministry, at least it has created a consciousness in rural India and the down-trodden masses have been shaken up from the deep slumber and they have woken up to their responsibilities and have undertaken to play a major role in the nation building activities of this country. More often in our recent times there has been a criticism about the working of programmes of this Ministry because of a countrywide shortage of agricultural products and mounting rise in prices. The present state of the economy may be due to the combined effect of many factors. One thing is quite certain that agricultural production has not kept pace with the growth of population. One reason may be the national calamities like famine, floods and pestilence. But in this state of affairs, the main purpose of ours should have been to relieve the economy from undue vulnerable phenomena by our planning and improved technology. So, instead of condemning the entire programme as undesirable and useless, we must try to pinpoint shortcomings and suggest remedial measures to avoid any future pitfalls. Four out of every five persons in the country live in rural areas. They contribute about a rupee to every two rupees towards the national income. Due to neglect in the past, there is a large back-log of complex problems and these could be tackled only by a realistic approach to planning the community development projects in our country. So far there has not been any rapid development in this connection and it could not have a fair deal due to limited resources and some other handicaps.

In this connection, I would refer to the statistics given by the Ministry in 'Kurukshetra Annual' 1964 about the Government outlays and people's participation under community development projects. During the First Plan, the Government outlay has been Rs. 45·98 crores and people's participation has been Rs. 25:13 crores. In the Second Plan, it has been Rs. 187:12 crores and people's particiuation has been Rs. 77:13 crores. In the Third Plan, there has been an increase of Rs. 52:08 crores in 1961-62 to Rs. 53·97 crores in 1962-63 and it is Rs. 52:14 crores in 1963-64. In absolute terms, the people's participation and the Government outlay have increased. But when you see the block-wise allocation, it has been very miserable and meagre. Government outlays have increase in absolute terms but there has been a shortfall

because of the block-wise allocation and we could see that from Rs. 54·3 crores in the First Plan, it has come down to Rs. 19·6 crores in the Third Plan. In spite of the general increase, the outlay under these two heads did not account for more than 5 per cent of the respective total Plan outlays. This show the scant regard paid to our rural development programmes in our national Plans. Not only the sources provided were insufficient but utilisation was also unsatisfactory due to the lack of preparatory work, administrative bottle-necks and the consequent slow execution. The result is that the actual flow of benefits to the rural areas is very limited. So, even today, we find a huge contrast between urban and rural areas. This can be reduced by a more bold and imaginative planning in rural areas. The augmentation of resources and the toning up of the machinery for their utilisation are the essential prerequisites for the successful implementation of this policy.

I will now come to the selective development measures. With scanty resources, we embark upon a multi-sided development of the community, that is, economic, social and cultural and under each head there are various other activities that are being undertaken. If you want to undertake all these activities in all possible ways to serve the rural India, it is not possible and we will be only fiddling with the problems. We have been rousing great expectations amongst the people but we will not be able to fulfil them. So, in each region, according to the necessities of the area, priorities have to be fixed within the broad framework of the multi-sided development that has been envisaged by this Ministry. For example, in an area where there is drinking water scarcity, prioity should be given to drinking water supply rather than education. In certain areas where you have not even one acre of land under irrigation, and if there is an option for irrigation to other social activities, the first prefeence should be given for irrigation purposes in that area. Even in the cooperative field, you must find first what is the response of the people there. There is no point in going on introducing all the programmes that have been envisaged and not being able to implement them because of the scanty resources that have been placed at the disposal of the Ministry.

About the rural works programme also, there has been a persistent effort by the stronger sections of the community to take advantage of their big positions in various institutions thereby depriving weaker sections of the community to develop. Unless you cry halt to these anti-social activities in the name of decentralisation and democratic functions, it is not possible to implement the schemes that we have contemplated, to reach the weaker sections of the population and to see that the democratic socialism is being adopted in every walk of life.

Regarding the activities that are being undertaken, I would only like to point out to the Ministry that there should be a techno-economic survey before Government contemplate to introduce any measures. Otherwise, we shall not be able to know the various needs of the people and we shall only be adopting the general pattern of things which may not be suitable to all areas. So, the Ministry should undertake a techno-economic survey, having the village as a single unit. Then only we shall be able to know and assess the needs of the people.

Coming to the recommendations of the Santhanam Committee on panchayati raj elections, my hon. friend Shrimati Vimla Devi had spoken about the malpractices that had been adopted by people for getting elected as sarpanches or panches of panchayats or zilla parishads. I commend the recommendations of the Sanathanam Committee for acceptance The members of that committee are

[Shri P. Venkatasubbaiah]

men with great experience and they have also had the privilege of being members of this committee, and have enquired into all aspects of the system of elections to panchayati raj institutions. In this connection, I would only like to submit one thing, namely that the present system of elections to panchayat samitis or to the posts of sarpanches is capable to some extent of rehabilitating the vested interests and foudal elements which were waning or declining because of the introduction of swaraj and other factors.

Mr. Chairman: I think that we can deal with those things in great detail when we discuss the Sanathanam Committee's report. The hon. Member should conclude now.

Shri P. Venkatasubbaiah: I would like to say a few words about the co-operative movement in this country, and then I shall conclude.

Mr. Chairman: I am sorry. There is no time left now.

Shri P. Venkatasubbaiah: Regarding the co-operative movement, time and again, on the floor of this House and also at the meetings of the various consultative committees, I have been pointing out that there should be a systematic organisation of co-operatives, and I have also drawn attention to the need for viability of the co-operative institutions and for the establishment of marketing societies for processing industries and so on. I have been pointing out these things time and again, and I hope that the Ministry will take care to see that the co-operative movement is established on sound lines so that both co-operative institutions and panchayati raj institutions will function well and for the benefit of the people at large.

Shri Rejeshwar Patel (Hajipur): My hon. friend Shri Ram Sewak Yadav had said that the Ministry of Community Development had not justified its existence and that it should go, because the provision in the Constitution in article 40 that the State shall endow the village panchayats with powers to function as a unit of self-government had not been realised in practice.

16.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

While it is a fact that the panchayats are nowhere near any kind of government yet in any part of the country. I wonder if all the blame for this could be laid at the doors of this Ministry. As the provision itself the State shall proceed to do these things; that means that it is enjoined upon the States and not upon this Ministry at the Centre. After the recommendations of the Balwantrai Mehta Committee that panchayats should be reorganised as units of self-government, this Ministry took certain steps and pleaded with the State Governments, as a result of which certain enactments have been made in the different States. Though we have no reason to feel satisfied with the provisions of these enactments, yet, so far as this Ministry is concerned, I feel that it has done its duty by drawing the attention of the State Governments to these matters. The Ministry is aware, more than anyone else, of how difficult has been its task to prevail upon the State Governments to do the right thing. To the unwillingness of the State Governments to treat panchayats as units of self-government, the Ministry's attention was drawn by a body like the All India Panchayat Parishad. It realised the necessity of clarifying certain points. The concept of panchayati raj should be clearly defined and a kind of fresh directive should be given to the states so that the panchayats could be made the vehicle of progress in the rural areas,

to which many Members have already referred.

So a seminar was organised with a view to discuss various points of view regarding the concept of panchayati raj. Perhaps hon. Members may be aware that the seminar held at Udaipur was attended by almost every State Government's representative including Ministers and Chief Ministers. The Ministry of Community Development also participated in the seminar. They came to certain conclusions. The Ministry also was of opinion that if the panchayats are at all to serve any purpose, the village panchayat must be given full authority to do whatever it can. It is not just as if we have to transfer certain powers to the villages or to the samiti or the zila parishad, but if we really want that rural India should participate in the development of this country, if we want that people should develop initiative and help themselves, it is very necessary that they must do all that they can. Whatever is not possible for a village panchayat to do considering its size and jurisdiction might form part of the subject matter of a samiti, likewise the zila parishad and upwards.

It was also felt that in order to implement this, it might be necessary to effect certain amendments to the Constitution. The seminar expected the All India Panchayat Parishad as well as the Ministry to take suitable steps to get those amendments effected. The Ministry got seized of the whole thing. A council was appointed, to which reference is made in the report, under the chairmanship of Shri Balwantrai Mehta. This consultation Council agreed with the findings of the seminar and directed the committee appointed by the Council to go into the matter. They have also submitted an interim report. The members urged that as such an amendment to the Constitution would be a very complicated matter what should be done is that the Ministers concerned from States should meet in conference and they should accept the recommendations of the seminar and the National Development Council should get it implemented through a convention. I hope the hon. Minister will take the necessary steps soon and there will be some such conference held and necessary authorities will will be given hereafter to the panchayat samiti. Other measures which will safeguard the integrity and promote the all round proper growth of panchayat samities and village panchayats and make them function effectively will follow. I would like to give only one warning to the Minister. As it is, it is already late. 15 years back the Constitution was passed. We had decided then that the States shall take steps to create effective and self-governing village units. Unfortunately to this day, we are nowhere near it. It is very unfortunate indeed that nobody seems to take seriously this matter though it is of paramount importance. Now we have started feeling that the country is not making the necessary progress it could, agriculture is not making sufficient progress and unemployment is rising. Unfortunately, twenty per cent of the people of this country, the urban community, seem to have decided to take upon itself the burden of carrying also the 80 per cent of the rural people as if they are not able to help themselves. They want to do it under the special plea that the people of this country, particularly the villagers are not clever enough to take care of themselves.

I would like to draw the attention of the Minister to some of the earlier efforts made during the British period. It is not as if we pass some resolution and have some enactments; everything will follow automatically. It is really a painful thing to note that even what the Britishers conceded before Independence is not being conceded now. Several years back, in 1882 Lord Rippon placed a Resolution in which he pleaded:

> "It is chiefly desirable as an instrument of political and popular education."

[Shri Rajeshwar Patel]

The reference is to the local bodies. He goes on to say:

"But at starting there will doubtless be many failures, calculated to discourage exaggerated hopes, and even in some cases to cast apparent discredit upon the practice of self-government itself. If, however, the officers of Government only set themselves as the Governor-General in Council believes they will, to foster sedulously the small beginnings of independent political life, then it may be hoped that the period of failures will be short, and that real and substantial progress will very soon become manifest....It is not uncommonly asserted that the people of this country are themselves entirely indifferent to the principle of self-Government; that they take but little interest in public matters; that they prefer to have such affairs managed for them by Government officers. The Governor-General in Council does not attach much value to this theory....and the Governor General in Council has no hesitation in stating his conviction, that the only reasonable plan open to the Government is to induce the people themselves to undertake, as far as may be, the management of their own affairs . . ."

He goes on to say:

"If it be said that the experiments hitherto made in this direction has not been encouraging the Governor General in Council must avow his belief that the principle has not as yet been, in any general or satisfactory fashion, fully and fairly tried."

The point is that without giving a fair trial and giving a fair amount of powers to the people we are condemning them.

During the last seventeen years, we did not take the people into confidence. We did not trust them. As the hon. Member preceding me said it is all right for any of us to become the Prime Minister of India or the Finance Minister of India coming from the village, and handle all the moneys that this House votes. But when he becomes the President or the Sarpanch of the village panchayat, he at once becomes incompetent to handle any work. It is a logic which the country has to accept, because those in power are not willing to part with their power. In fact, on the one hand we say the people are sovereign and yet we, on the other hand, deny it to them. As early as 1962, when I was speaking on this subject, I had tried to impress upon the Minister and the Government then that if, as our records show, we have not been able to do anything by the people in the villages—they have not felt the sensation of Independence as perhaps some of us in the cities might have—and if we cannot do it, as has been proved during the last 17 years, what prevents us, at least in the name of justice, in the name of fairplay, from leaving them to their own fate. We should at least leave them to their own fate; and withdraw all the obstacles which we have placed in their way. We neither do anything for them nor do we allow them to help themselves. It is a very very pathetic situation which the people, particularly, the rural people of India, find themselves in.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Rajeshwar Patel: There are still three minutes for the Minister to come up. I shall take that time, Sir.

Hon. Members have been finding fault with the working of the panchayats in various parts of the country. It is a fact that the panchayats are not functioning well. There are

all kinds of charges such as corruption during elections and so on. These are facts: I do not deny them. But the point is, whether those panchayats, those samitis, are really any responsible bodies in the sense in which you want them to grow. They are handmaids of some politicians. They are expected to do certain things; they are under the thumb of some officers. There is no proper growth or development of those institutions as government. Little wonder that they have not been functioning in the way we would like them to do. It is only when you give them full powers and proper authority that they will feel their responsibilities; then alone will they feel their responsibilities. If we do not give them the responsibility and if we blame them for their failure, I am afraid the way in which we are proceeding in this movement of panchayat raj, the panchayat raj system or bodies, will be condemned before it is being given a fair trial.

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I wish to make it clear at the very outset that I am not opposed to the present Minister of Community Development and Co-operation being promoted to the Cabinet rank. In fact, if he can do anything useful somewhere else, he should be given Cabinet rank or even any higher rank. Why I oppose the continuance of this Ministry is, I feel it has been created as a result of some kind of confused thinking. It has three main functions to perform. One is the panchayat raj, a very useful function, which comes under the perview of local self-government. The second is agricultural extension which is the work of the Agriculture Ministry, and the third is rural credit or co-operative credit, and it is purely a commercial function. The combination of three different functions or three departments under one Ministry is rather curious.

Time does not permit me to go into the details, but I would like to suggest that these three departments should be transferred to their respective spheres, and the money which is being wasted—hundreds of crores of rupees which are being wasted in this Ministry—should be saved and about half a million youngmen working in this Ministry should be utilised elsewhere. We are faced with the defence of our country and every man who is not performing a useful function and every penny which is not properly utilised should be utilised for the defence of the country.

I will say a few words about the agricultural credit or co-operative credit. I do not know who thought of introducing the short-term, medium term and long term credit. It has been a legacy, but it is very awkward at present. The way in which the short-term credit, particularly, is working, is very unsatisfactory. We should have one kind of credit. We should assess the value of the assets of an agriculturist and establish a permanent sort of credit in a bank. Let him borrow to that extent and pay when he likes. This is being done in most of the advanced countries these days. That is the only proper way. At present they give short-term credit, medium-term credit and other kinds of credit in the co-operative department leading to a good deal of confusion. As I said, the only proper way of giving agricultural credit is to value the assets of an agriculturist and to have a standing credit in the bank for him to draw as much money as he likes, up to that limit and pay back whenever he can. It should be done purely on commercial lines and not the way we are doing at present.

I am very sorry I have to speak for the abolition of this Ministry, but I say it with the greatest sense of responsibility. I feel that we are wasting enormous amount of money over this separate Ministry and we will be doing a very useful thing if we transfer these departments to the different Ministries.

[Shri Krishnapal Singh]

The main reason is that the village level worker is a Jack of many trades, but master of none. If this function of agricultural extension is transferred to the Agricultural Ministry, we will have their representative, who will know his job. At present the village level worker is not able to perform a useful function, because he does not know his own subject; he has no training in it. He has just been given a few months' lessons and he is supposed to go about the villages and in some cases to preach to people who know their jobs better than he does. The representative of the Agriculture Ministry would certainly know his job. He would be properly qualified, having come from an agricultural college or agricultural school and he will be able to impress the agriculturist about the improved methods of cultivation and other ways of improving agriculture. That is why I would like to emphasise that the present Ministry should be abolished and these three functions which are entrusted to it should be transferred to the other Ministries in their proper spheres.

Shri S. K. Dey: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Community Development Ministry was established for the first time, according to the late Prime Minister, in any country of the world in India in 1956. It is my great privilege to have had the opportunity of presenting the budget of the Ministry for the ninth time on the floor of the House.

The year we have left behind, I must confess, has been a very hard and difficult one, on more than one account. Almost the whole country has been going through difficulties in many ways and this has been reflected equally on the working of this Ministry. Anything that happens here, whether it is shortage of food, increase in population, civil disturbances, flood, drought, almost everything finds an indirect reflection ultimately on the working of this Ministry. I am very happy that we can act as the whipping boy of many people who have complaints against this.

An Hon. Member: We have been whipping you every year.

Shri S. K. Dey: I have not been whipped here at all and I am grateful to the House because in every year that has passed there has been a progressively better and fuller understanding of the problems before this Ministry, the implications of its work and also the thankless nature of its task.

Now, Sir, I would say that the past year we have devoted very largely to the maintenance of what had been already established and to the strengthening and consolidation of the framework as well as the inner content of the institutions that were built up. We also spent the year in making some very vital studies undertaken by the very best people we could pick up and who were free for making these studies for us, on almost all the emerging problems both on the subject of Panchayati Raj, Sahakari Samaj and also Community Development.

As you know, Sir, the whole country today is covered by the National Extension Service and also the Community Development Programme. Panchayati Raj is under implementation in twelve States. Shri Sree Narayan Das was mentioning about speeding up the implementation of the Panchayati Raj programme in Bihar. I am sorry we had many difficulties in fulfilling the promise which I had offered once to this House on the basis of assurances which I had received earlier from the Bihar Government. But I suppose the difficulties were unavoidable even on the part of the State Government. But I am happy to say that I have received only this morning....

An Hon. Member: What were those difficulties?

Shri S. K. Dey: I need not go into them now, because then I cannot answer many other points that have been raised. I have received this morning a telegram from the Chief Minister, in reply to a telegram which I had sent him last week end, in which he assures me that while he has already implemented Panchayati Raj in two districts of Bihar, he is proposing to implement the same in two other districts in the month of May. And, what will prove even more pleasing to this House is that he proposes to implement Panchayati Raj for the State as a whole in the shortest period of time. He is making up a schedule of operation and he would let me know very shortly. As I had mentioned earlier in this House, that Panchayati Raj was already under implementation or was getting to be under implementation in the State of Madhya Pradesh, I have received assurances from the Chief Minister that before the onset of monsoons, Panchayati Raj in all the three tiers will be actually on the ground.

Now, coming to the coverage of co-operation, as this House is aware, six years ago the Department of Co-operation was created for the first time. Co-operation used to be known mostly as a method for giving loan to cultivators and some people in the urban areas. There was very little marketing or processing. Of course, some amount of work in the field of sugar co-operatives, cotton co-operatives, ginning and something in the field of oil processing had already started in the two advanced States of Gujarat and Maharashtra. But, in the other States, very little was happening in these fields. I am very happy to report to this House that we have succeeded at last in getting the States at least to accept that co-operation is not merely a method of giving a loan at a subsidised rate of interest to the farmers or others, but co-operation is really a way of life and it is a vital instrument for the establishment of economic democracy, as a vital force between the public sector on the one hand and the private sector on the other, and the States are in the process of implementing this programme.

Now, I would like to state here that both the community development movement and panchayati raj and also co-operation, in a way, can be treated as a pipeline for the flow of assistance and vitality from the Government to the people, of economic assistance to the people from the Reserve Bank, from other institutions of Government, and also a pipeline which, in the reverse traffic, will bring back from the people down below who are organised impulses which the masses are working under, the difficulties which they are grappling with, so that the Government at the top can, in the light of those impulses and experiences, formulate the policies as can subserve the common good of the community. Therefore, I would like to plead that no one should treat the Community Development Department or the Co-operative Department as something which is self-contained, like the Ministry of Railways, or the Ministry of Iron and Steel, or the Ministry of Petroleum which, given the resources and the technical man-power, which we secure from either within the country or abroad, can deal with the problem faced by it completely, virtually independent of the rest of the Government. This Ministry, by the very nature of its work, is completely dependent—it has to be; it cannot escape it—on the resources that will be put into the pipeline by the various nation-building agencies of Government serving the rural areas. The fact that this organisation has already awakened the people to the need for asserting themselves for improvement, for working for improving themselves, for fulfilling their economic, political and social interests, will be evident from what we know of the difficulties that have already arisen in

[Shri S. K. Dey]

the matter of input, technical assistance, in fact almost everything connected with agriculture, connected with public health, connected with industries. And wherever you go in the rural areas today you find that there is a cry for more money, more credit for minor irrigation, more fertilizers, more insecticides, more implements, more cement, more steel, more technical assistance, higher level technical guidance and demonstrations. It has been proving extremely difficult to keep pace with the growth of demand and knowledge on the part of the people. My hon. friend, the Minister of Food and Agriculture, has been very bravely struggling for all these months to put his finger on the strategic spots in the field of agriculture and agricultural production and trying to provide for the maximum input, both in terms of materials, of money, of manpower and other resources, at least for the Fourth Five Year Plan and doing the very best that he can within the limits of the Third Five Year Plan.

Sir, we cannot get any better people today, either in the Community Development programme, or in the co-operative system. Theoretically perhaps it can be accepted that we can have much better personnel. But there is a demand for personnel practically from all sectors of Government and also from the private sectors of industry—from almost all walks of life. Therefore, the shortage of manpower and the diluted quality of manpower that we are gradually beginning to utilise will have to be shared between all the agencies of Government and all the other agencies outside. Of course, now that we have set up the skeleton structure and manned them with people, good, bad or indifferent as they may be, with the passage of time, the quality of personnel is bound to improve because our capacity for training and educating people is also growing alongside and we are trying to set up a large number of training centres for basic education in technical subjects and for training in attitudes and methods of extension. We are also trying to set up a large number of institutions, both for institutional training and for peripatetic training of non-official functionaries and the people. This programme will be accelerated both in the field of co-operation and in the field of community development as the months pass and the years roll by.

We are now, Mr. Deputy-Speaker, on the eve of the Fourth Five Year Plan. If we can secure for the rural sector what is its due, it will make for a vital difference in the Fourth Five Year Plan as to what even this limited, inadequate machinery of Government, supported by an inadequate institution of people, can do. Therefore, the Prime Minister agreed to our suggestion and got the Planning Commission to remit it to the sub-committees which were created by the National Development Council to make a special study of the rural sector with a view to ensuring that, in the competing stresses that are bound to develop, the rural sector will be assured of its own share of all the amenities, resources which the Fourth Five Year Plan on paper will prescribe. This is a matter which is being considered by the sub-committees of the National Development Council with which the Ministry is very intimately associated.

The question of weaker sections has been agitated time and again on the floor of this House and it is being agitated all over the country. I can only say, Sir, that I have found this the toughest nut to crack, with all the resources that I could command. It is very simple to get hold of a strong and healthy person, give him some assistance and let him develop his own strength under his own steam; but, a person who is anaemic, you may give him the best of nourishment—in the first place, there is no certainty that the nourishment will ultimately reach him at all and, if it

does, there is no guarantee that he will be able to assimilate it in his system and will be able to transform it into fresh blood so that he can move faster and stronger.

Shri Sonavane: How long will this helplessness continue?

Shrimati Vimla Devi: Anaemia is not the disease of the poor.

Shri S. K. Dey: Again, the same question has been remitted at the instance of our Ministry and the Ministry of Social Security to the sub-committee of the National Development Council and the Planning Commission is grappling with this question. Even while we are formulating the Fourth Five Year Plan we have taken quite a number of measures to see what we can do with the existing resources to help the weaker sections, for instance, the co-operative farms. Even though Shrimati Vimla Devi at least appeared to be critical of the working of joint co-operative farming, I am very happy to say that the joint co-operative farming programme is catching up slowly.

16.50 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shrimati Vimla Devi: I was not criticising the programme. I was criticising that weaker sections are not able to take advantage because of rich people who are taking advantage of it. You are supporting them and not the weaker sections.

Mr. Speaker: Sometime ago even women were considered to be a weaker section but now they are not.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): It is only you who could treat us equal.

Mr. Speaker: The strength is demonstrated from all directions.

Shri S. K. Dey: The joint cooperative farming programme is a programme meant for the small holders of land. That is the precise term of reference. If at any place in India any hon. Member of this House or anyone from outside the House can point out to us that out of the Centrally sponsored schemes a programme is dominated by the landlords or the bigger people, I would be most grateful because it can be corrected. It would be against the terms of reference of the programme.

I mentioned last year that we expected to establish another thousand cooperative farming units during the past year. I am happy to report that we have had 1300 cooperative farms established and this programme is now receiving the very careful study of a highly eminent team of experts headed by Prof. Gadgil of the Gokhale Institute of Politics, Poona. We have yet to receive their report. But from what I could gather from Prof. Gadgil, in spite of many failings in many places, the cooperative farming programme has begun to strike roots. We have also taken steps to see that the joint cooperative farming programme does not remain the exclusive responsibility of the Cooperative Department because ultimately the success or the failure of the joint cooperative farming programme will be determined by its success or failure in increasing the output and so we come intimately to the question of securing technical assistance from the Agriculture Department, the Community Development Organisation, the Animal Husbandry Organisation and all others in the State. Therefore, we have taken action to see that hereafter—in fact, this action was taken about three months ago—the joint cooperative farming programme is accepted as a programme of the block organisation as a whole for every State. Where we have a significant number of cooperative farming units, we have prescribed that there should be an agricultural officer appointed at the State level and also at the District level to give special

[Shri S. K. Dey]

assistance to these cooperative farming units.

The labour cooperatives are also expanding. Last year we expected that it would have executed works to the tune of about Rs. 9 crores and in the next year, we have a programme of expanding the labour cooperatives and we hope that we shall be able to get works executed to the extent of about Rs. 12 crores.

We are also trying to see that there is special earmarking of funds of the various Ministries, for instance, for dairy, poultry, fisheries, forestry, etc. and that the funds given to the Agriculture Ministry and other Ministries, say, the Ministry of Industry, the Cottage and Village Industries Commission are specially earmarked for utilisation by the weaker sections of the community. And this programme is expanding. In fact, the Cottage and Village Industries programme has already been accepted and it is to be implemented at the rate of four units in each block. Almost all the States have accepted this and in a number of States this has already been implemented. The Cottage and Village Industries programmes are primarily intended for the weaker sections of the community. As I mentioned, this programme has been remitted to the special committee of the National Development Council who are fully seized of it and the Planning Commission are grappling with it and we are very closely associated with it and so also the Ministry of Housing to provide housing facilities to the landless people and the house-less people in the rural areas, in particular during the Fourth Five Year Plan, if not during the current Plan. So also is the case with the Department of Social Security. All the Ministries are working together to see that a significant impact begins to be made on the problem of the weaker sections in the Fourth Plan.

Shrimati Vimla Devi: Too many cooks spoil the broth.

Mr. Speaker: Strength is growing into aggressiveness now.

Shri S. K. Dey: The National Development Council Sub-committee is also grappling with the problem of how the panchayati Raj and sahakari samaj institutions throughout the country can be mobilised during the Fourth Plan for production. Letters have been issued by the Planning Commission asking the State Governments to make certain studies and submit their findings for the next meeting of the sub-committee which is scheduled to be held some time in the month of July, so that according to these findings, decisions can be taken on how best to strengthen panchayati raj and sahakari samaj institutions to subserve the cause of agriculture as also that of rural industries.

Some time ago, the Ministry had appointed six working groups. I had reported this matter to this House. These working groups have now submitted their report. These working groups were on fisheries, animal husbandry, dairying, housing, transport, industries, railways, and posts and telegraphs; and these reports and the recommendations made therein are now being integrated with the plans of the different Ministries, for the Fourth Plan. After this has been done, we hope to have an integrated picture of the entire co-operative movement so that we can find out whether it has a balanced growth as a co-operative approach in all sectors of the economy. The matter will be placed before the Planning Commission and also, if need be, it will be discussed in Parliament in one form or the other.

For rural man-power utilisation, as the House is aware, at the beginning of the Third Five Year Plan, a programme was drawn up by the Planning Commission called the rural works programme. A considerable amount of money had been tentatively earmarked for this purpose. Unfortunately, we could not do very much

because of many difficulties that arose, but since last year, the programme has again been catching up, and it is the desire of the Planning Commission and the National Development Council that we try to do the utmost for utilising rural man-power, under-employed and unemployed, who can be made the fullest use of, at least in the Fourth Plan, if we have not been able to do so during the Third Plan.

I have received the assurance of the Prime Minister, as he has been mentioning quite frequently both within the House and also outside that he would give his unstinted support, subject to our administrative capacity to utilise money, to making the provisions necessary for a large-scale rural man-power utilisation programme in the Fourth Plan period.

Some question was raised about panchayati raj, and it was pointed out that there had been difficulty in providing adequate finances to the panchayati raj institutions. This is also a question which is being tackled by the sub-committee of the National Development Council, and we have no doubt that we shall be able to arrive at a definite decision by which panchayati raj institutions will not be suffering for want of funds at least in the Fourth Plan.

We made during last year a number of studies. I had mentioned about them earlier. There is the Dantwala Committee which is expected to submit its report on marketing. Then, there is the Ramniwas Mirdha Committee on the subject of spurious co-operatives and vested interests in co-operatives. On Panchayati Raj finances, the Santhanam Committee has already reported. My hon. friend Shri P. R. Chakraverti made a special mention of this question and wanted to find out what we had done on the subject of providing adequate finances to panchayati raj institutions. I may tell this House that every effort is being made to secure matching assistance to panchayati raj for whatever additional resources they can develop during the Fourth Plan. Also, we are planning to remit the question of providing special financial assistance or earmarking special financial assistance for the panchayati raj sector, to the next Finance Commission. All these questions will be tackled by the sub-committee of the National Development Council and after they have taken a decision, it will be put into effect.

17 hrs.

On the subject of panchayati raj elections, Shrimati Vimla Devi was very eager that these elections should be uniform, there should not be any partiality, they should be free from political influences and so on. The same views were shared by Shri S. N. Das and several other friends. As the House is aware, here again we did not know enough ourselves as to what was good at least at the present stage of development of panchayati raj in the country and the present stage of development of our democratic process at various levels. Therefore, we remitted this subject for special study to no less an eminent person than Shri Santhanam supported by many other eminent members. That Committee has submitted its report which has been laid on the Table. I shall be most happy to have it discussed in the House, if Members so desire. In fact, I would definitely value the views they have to offer on the report. But for obvious reasons, we cannot discuss it during the budget discussion.

In regard to panchayati raj audit and accounts, this again was a subject agitated last year and because of that we appointed a special committee with the assistance of the Auditor General. It has already submitted its report. It has already been supplied to the Parliament Library. If so desired, we shall be most happy to discuss this report with Members either in consultative committee or, if need be, in the House itself.

Shrimati Vimla Devi: In the House.

Shri S. K. Dey: There have been a number of study teams. There was the Sadiq Ali team which studied panchayati raj in various States with a view to strengthening panchayati raj in Rajasthan. It submitted its reports. As a result of the findings of the team on the working of panchayati raj in various other States, considerable improvement has already been incorporated in the amended legislation on panchayati raj in Rajasthan; further improvements are already on the way.

Similarly a study was made in Gujarat. That has just now been completed. I have no doubt that Gujarat will benefit equally. Similarly, we persuaded representatives of State Governments, *e.g.* Andhra Pradesh, UP and some other States, to go round different parts of the country with a view to pooling all the experiences of various States in panchayati raj under implementation in the respective States.

The House may be aware that there is an amended and very radical draft legislation before the Mysore Legislative Assembly. Even that was the result of a special study made of the working of panchayati raj in Maharashtra, Gujarat, Andhra and Rajasthan by representatives of the Mysore Government.

Last year when I replied to the debate on the demands of our Ministry, I mentioned that we were thinking of establishing a consultative council because of the very great importance that was being attached to panchayati raj by Members of Parliament, to assist the Ministry of questions relating to this subject. I am very happy to report that we have already a consultative committee in action. It has met twice and it is representative, if I may say so, of all shades of political and social opinion in the country as far as we could possibly make it.

That Council appointed a special study team headed by Shri Balwantrai Mehta again—he was the author of the original panchayati raj proposal—to look into the working of panchayati raj and the manner in which the financial recommendations made by the Santhanam Committee concerning panchayati raj could be implemented. Its report has been received. It was placed before the Council at its last meeting about a fortnight ago. I shall be very happy to discuss the recommendations of this team with Members either in consultative committee or in other ways.

Shri Gauri Shankar Kakkar complained that the co-operative law in UP. even today is 20 years old. I am very unhappy and sorry that it is so. But I am very glad to inform him and the House that almost every state has enacted new legislation on co-operation, according to the recommendations made by this Ministry on the basis of the discussions that took place in the conference of State Ministers on Co-operation. U.P. also wanted to enact new legislation but as the Minister of Co-operation mentioned to me, everytime a Minister of co-operation took up an enactment and drafted legislation, the Ministry fell and the Minister had to change and a new Minister had to come. Fortunately, now he has succeeded in placing a draft legislation before the legislature and he hopes that this new legislation will come into force.

An Hon. Member: It is pending for the last eight years.

Shri S. K. Dey: I know it; I am sorry; I share the anxiety of the hon. Members. No one is more unhappy about it—that any State should be working with co-operative laws which are completely out of date....

Shrimati Yashoda Reddy: Because the Ministry fell.

Shri S. K. Dey: May I proceed, Madam? As for the question of de-officialisation of the movement, here again, as the House is aware, as a result of very great support given to this very question of de-officialisation of the movement by the late Prime

Minister, we succeeded in keeping all the Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries, and, if I may say so with all humility, Speakers and Deputy-Speakers of the legislative assemblies away from the helm of the co-operative movement. It is only in U.P. and, to some extent, in Bihar that Government servants still continue to be in charge of certain co-operative institutions. But the State Government was virtually helpless in removing them, because the previous legislation according to which the co-operative movement works, prescribes that the collector or the sub divisional officer has to be the chairman of the bank or the marketing society and other institutions. I have no doubt that not long from now, this situation will completely change. Now, Sir, both the community development and panchayati raj movement and also the sahakari samaj movement are going through a transition—from an officially sponsored programme to a people's programme and, if I may say so in all humility, it is a very big jump, much bigger than I can describe here. This can be achieved if only there is genuine growth of non-official leadership willing to martyr themselves in the service of the people whom they claim to serve and not act as mahants as many do. Therefore, it will be a slow process but I am very happy to say that the process has started and it cannot be reversed. Indeed the Ministry itself set an example by passing over whatever responsibilities it could pass over to the non-official institutions. For instance, we were running training programmes ourselves. We transferred, in one stroke, the entire responsibility and the resources for the entire training programme in co-operation to the National Cooperative Union. I am very happy to say that the National Cooperative Union has, as a result of this special responsibility given to them, grown in stature much beyond my earlier expectations. We are also insisting that the same thing happens at the State level and the same thing happens in all other fields of co-operation. There are such developments coming up in fishery, in dairying, in consumers' business, in marketing, in banking and in almost all the fields of economic activities which are being handled under co-operation. Accordingly, national federations also are growing alongside, and the Ministry is trying to do everything it possibly can to assist all these organisations to grow in stature by shouldering increasing responsilities. It was our late Prime Minister who first mentioned the community development programme—he gave very high importance to it—because he thought that the community development programme was the dynamo behind the five year plans: this was his expression. And indeed, because of it, he established the community development administration, to start with, in the year 1952 as part of the Planning Commission, and yet autonomous enjoying its own autonomy. Later, the organisation had to grow a little bigger because it began to take up responsibilities which could not be discharged from within the Planning Commission. Objections were already being raised by the Estimates Committee and others. A separate Ministry was created.I am happy to say that after having done the initial part of the work, of establishing the national extension service all over the country, establishing panchayati raj as institutions of political democracy practically all over the country and establishing the institution of Sahakari Samaj in practically all fields, the Ministry and its programmes are again becoming more intimate with the work of the Planning Commission. Therefore, in the years to come, this Ministry is expected to discharge the role of a counterweight,—I am using the word of the Deputy Chairman of the Planning Commission—for the implementation of many of the priorities established and accepted by the Planning Commission and provided for in the Plan.

The Planning Commission and the National Development Council expect that the Ministry would begin to do some practical planning pro-

(Shri S. K. Dey)

gramme on behalf of the Planning Commission in districts and blocks and villages. Therefore, we are taking up one district in each State as a model district for planning purposes to gather experience on behalf of the Planning Commission in the fourth Five Year Plan, and adequate finances are being provided and several programmes are being drawn up with a view to making a co-ordinated attack on all the problems in that district and discovering in that process, what the genuine difficulties are—administrative, technical, financial or otherwise.

Shri Warior (Trichur): Which is that fortunate district?

Shri S. K. Dey: I cannot say. Four to five districts have so far been chosen, but every State will have a district. We have not yet started in all the States. In the year which has been left behind I would say that the most significant achievement has been in the field of consumer co-operatives. I would say what has happened has exceeded even my own expectations. At the beginning of the year, in January, 1964, we had a total business of only Rs. 2 crores. The business in the month of January this year is already Rs. 9.1 crores. As the hon. Member, Shri P. R. Chakraverti, mentioned, a store with which he is connected at Dhanbad is doing a business of Rs. 25 lakhs per month, and he expects that it would continue to grow.

Here is a people's movement, genuinely coming up in response to the demands from the masses of the people, and the Ministry is trying to do all that it possibly can to assist them, with assistance from the Government, from the Reserve Bank, from the State Bank of India and secure supplies from the Food Department and from various industries, both in the public sector and the private sector, and also secure supplies which are imported and for which special import licences are offered or which are confiscated by the customs department to be distributed through the consumer stores similarly in the field of marketing. As our report also indicates, in the year 1962-63, I think we did a foodgrains business of about Rs. 28 crores. In 1963-64 we did only about Rs. 40 crores. Last year, because of the need for creating a continuing link between the producer and the consumer and the need for establishing not only primary co-operative societies and consumer societies, but marketing societies and processing societies, we tried to give the highest emphasis possible—according to the capacity of absorption of the cooperative movement—to the development of cooperative marketing. Last year we have done Rs. 225 crores of business of marketing, of which about Rs. 40 crores represents foodgrains. This year ending 30th June 1965 we expect to be able to achieve about Rs. 80 to Rs. 85 crores of foodgrains procurement for the marketing societies and we should have a corresponding increase in the other sectors of marketing. By the end of the third plan, we expect to achieve at least Rs. 300 crores of marketing and I have every reason to believe that we shall exceed that. By the end of the Fourth Plan, we hope to achieve a target of Rs. 750 crores. That cannot be achieved unless we reach substantially more than Rs. 300 crores by the end of the Third Plan.

In the field of processing, our co-operative sugar factories are the pride of India and can be put before the world as an outstanding example of cooperative activities on the part of primary growers. This is proving to be an industry which is much more efficient—technically and administratively, catering to the well-being of all the constituents, both workers and growers—than even a public sector undertaking would care to do. Now cooperative sugar factories are combining, particularly in Maharashtra, to build up by-products industries. A group of 15 pressmen representing various papers, had gone to Maharashtra sometime back and I met them on their return. I did not know some of them personally. But the way they described what they had seen was really heart-warming and I could hardly sleep that night out

of a spontaneous sense of joy over what had been achieved.

In the field of rice-milling, without which it is not possible to do proper marketing, we have started giving special assistance for providing more rice mills in the cooperative sector. The National Cooperation Developlopment Corporation went out of its way to provide, outside the State plan ceiling, substantial, unlimited funds as far as the State Governments could utilise for establishing rice mills. We were prepared to finance upto 500 rice mills. There are five big-sized rice mills already under implementation and we expect there will be 250 to 300 smaller rice mills also newly established under this special programme.

I have already mentioned about the weaker section and I would not deal with it again. But I shall mention one thing which deserves mention. Outstanding work both in the field of panchayati raj and cooperation has been done by the State of Maharashtra. It is something to be seen to be believed, the type of new leadership springing from the grassroots for manning the institution at the district level.

Shrimati Vimla Devi: That is because of direct election.

Shri S. K. Dey: I do not come from Maharashtra, but I am very proud of it.

Mr. Speaker: She says it is because there is direct election.

Shri S. K. Dey: That is a point which they will have to reconsider in the light of the recommendations made. (*Interruptions*).

I have also no doubt and I am prepared to make a prediction that if there is any State in India which becomes the pioneer in the socialistic pattern of society, it will be Maharashtra. I know other States are struggling to attain the same objective, but no State has made that progress which Maharashtra has made. Why should I not make a mention of an outstanding piece of work by a State of which we as Indians can legitimately be proud?

Shrimati Vimla Devi: Sir, do not think that I am aggressive....

Mr. Speaker: Why should she start saying that unless she was going to be aggressive? Why should I presume that. But I have to give one warning. Gentlemen would welcome if their ladies become strong, but if they begin to be aggressive then we shall have to offer resistance.

Shrimati Vimla Devi: We want to be strong but not aggressive. At this stage, Sir, I want to know from the Minister what is their attitude towards this point that it agitation everybody's mind in every State. It has been mentioned repeatedly in the speeches made here. We have asked for direct election. I want to know what is the attitude of the Ministry towards this.

Shri S. K. Dey: I have already mentioned that we could not take a positive view on this subject. Therefore, we remitted the question to an expert committee headed by a very eminent person. They have made their recommendations. Those recommendations can be discussed in this House so that we can arrive at a consensus of thinking here. Then this will also be discussed with the State Governments. I do not wish to anticipate the reactions of hon. Members here. (*Interruption*).

Shri Sheo Narain (Bansi): What are you doing about the withdrawal of jeeps?

Shri S. K. Dey: Sir, the question of jeeps has come up again. I thought that we had practically disposed of this question. When we discussed this subject on the floor of this House

[Shri S. K. Dey]

there was consensus of opinion that the jeeps must be maintained in the blocks but their abuse must be reduced if not eliminated. Many steps have been taken. There was only one question that remained on which we were to take action, namely, the withdrawal of the jeeps just before the elections in order to avoid political abuse of the jeeps during election time. (*Interruptions*). Sir, I never interrupted anyone and I expect the same as a matter of reciprocity.

Shri Hari Vishnu Kamath: These are helpful interruptions.

Mr. Speaker: Order, order. Let us hear the Minister.

Shri S. K. Dey: Sir, so far as withdrawal of jeeps is concerned, the Ministry has accepted the recommendations made by a very large number of Members of this House whose opinion we consulted, that the jeeps must be withdrawn at the time of elections. Therefore, we have already written to the State Governments—I have written personally to the State Ministers—that from the date of the nomination of a candidate for the general elections the jeeps must be withdrawn from use in the blocks and placed at the disposal of the Collector only for election purposes till the elections are over (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. "Duties" he meant. There is nothing to get excited about it.

Shri S. K. Dey: Mr. Speaker, I have said that this question has been thoroughly discussed on the floor of this House and there has been a consensus of opinion arrived at. Therefore, the Ministry is complying with the mandate of this House.

Mr. Speaker: Now he must alight from the jeep and go to the next.

Shri S. K. Dey: Now I straight go to what has come to be known as the famous Shankar Report which has agitated a large number of Members of this House. I would like to say something on that because there has been a definite demand made that I should allay anxieties. Shri Chakraverti, Shri Sonavane, Shri Jyotishi, Shri Samnani and many other friends wanted a categorical assurance that the Shankar Report will not be implemented and there will be no merger of the Ministry. The Shankar Report, as the House is aware, arose out of the appointment of Shri Shankar for studying the working of the Food and Agriculture Ministry and the Ministry of Community Development and Co-operation with a view to make recommendations if any, for avoiding duplication and overlapping of work between the two Ministries and for securing better co-ordination. Shri Shankar was pleased to recommend that the activities of the Ministry of Community Development and Co-operation should be dispersed to the various Ministries and what remains should be merged as an integral part of the Ministry of Food and Agriculture. The Government of India appointed a very high-level team to study this recommendation and take a decision thereon. It appointed a sub-committee of the Cabinet, headed by the Home Minister, the other members being the Finance Minister, the Deputy Chairman of the Planning Commission, the Minister of Food and Agriculture, the Minister of Community Development and Co-operation, Shri Tarlok Singh, a member of the Planning Commission and Dr. V. K. R. V. Rao, member, Planning Commission in charge of agriculture and community development.

The Sub-Committee has made the recommendation to the Prime Minister that the autonomy of the Ministry should remain, that the Agricultural Production Board, which is already there in the Ministry of Food and Agriculture, should be made more effective so as to bring about co-ordination and that it should be supplied with such additional secretarial assistance, if any, for serving this purpose. Secondly, it has been recommended that there should be a sub-committee of the Agricultural Production Board,

headed by the Food and Agriculture Minister and consisting of the Deputy Governor of the Reserve Bank, the Minister of State in the Ministry of Finance, a member of the Planning Commission and the Minister of Community Development and Co-operation, to bring about co-ordination in matters of co-operative policies. This recommendation of the sub-committee has been approved by the Prime Minister.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Then, what was the need to appoint the Shankar Committee?

Shri S. K. Dey: I do not want to go into that question.

I am very sorry, therefore, that it is not possible for the Government to oblige Shri Krishnapal Singh by abolishing the Ministry, even though this Ministry is doing a lot of work totally opposed to the institutions which he represents.

Sir, I mentioned to you at the beginning of my reply that we have had a very difficult year and we have been subjected to considerable stresses and strains.

Shri Krishnapal Singh: The hon. Minister is representing a more comfortable institution now.

Shri S. K. Dey: Sir, in the district of Bhiar, Aurangabad Division, Maharashtra, I saw a number of years ago a well in a desert, virtually a desert, irrigating 500 acres of land with absolutely blue, sparkling water, when there is not a drop of water anywhere nearby. This well was sunk and water was brought up from underground by an engineer known as Salamat Khan, in the days of Jehangir. Alongside of that well is a cemetery of the same engineer, Salamat Khan. I enquired why it was there and I discovered, to my horror, that in the days of Jehangir when this great man discovered water and brought it up to irrigate that virtual desert, he was accused of having been extravagant, and out of sheer disappointment he committed suicide.

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): I hope, you will not do that.

Shri S. K. Dey: I would like to tell you, Mr. Speaker.... (*Interruption*).

Shrimati Yashoda Reddy: The hon. Minister may rest assured that he will not meet the same fate.... (*Interruption*).

Mr. Speaker: How concerned Members feel about the Minister? He must assure them that he is not going to commit suicide.

Shri S. K. Dey: I am giving the answer. I would like to assure hon. Members and my friends that there would be no Salamat Khan committing suicide in the Ministry of Community Development and Co-operation.

Shrimati Yashoda Reddy: You have already survived Shankar.

Shri S. K. Dey: There may be may many Salamat Khans who will produce irrigational facilities which will continue for many years to come and I may assure you that after many decades you will find that this House, which is the custodian of the democracy of this country, is based on the strength derived from the grassroots which are the Panchayati Raj institutions which we are building up.

Sir, I would just like to say a few more words and then I will close.

Mr. Speaker, Sir, I come to the end of this first chapter at the beginning of the new financial year. The Ministry and the programme have suffered a calamity during the year left just behind. The late Sir V. T. Krishnamachari as the Chairman of the Grow More Food Committee and in his capacity as the Deputy Chairman of the Planning Commission recommended the concept of what we call National Extension Service. He is no more. The programme lost in him a pillar of granite.

We lost another stalwart, Vaikunthbhai Mehta, than whom no more loyal, no more steadfast crusader for co-operation has been seen by India. Co-operation suffered an irreparable

[Shri S. K. Dey]

loss in the sudden disappearance from the scene of this great friend of the co-operative movement who was also a living definition of a gentleman.

Sir, Pandit Jawaharlal Nehru, as the Prime Minister of India and the Chairman of the Central committee supervising this programme, was the father of the concept of community development and the concept of the three pillars of democracy—political, economic and social—which constituted the mandate to be worked by this Ministry. He passed away leaving us all in darkness and the programme virtually orphaned for a time.

Happily, Mr. Speaker. the Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri, has given the programme his unstinted blessings. He has put his finger at some of the vital points which alone can make the programme what it was designed to be, namely, a dominant orientation towards production and the mass mobilisation of the unemployed and the under-employed now atrophying in their mind and muscles. Happily, there is fuller understanding of the programme in Parliament. Happily, the press and the public have a much better understanding of the organic nature of the programme and the patience with whch it has to be nurtured.

It is highly gratifying that while there are encomiums where these are called for, these are not unaccompanied by highly constructive criticism which must form an inevitable component in the process if the programme is to retain the vitality and dynamism that it must.

As has been universally recognised, while there will be gaps continually arising which will need to be covered in the implementation of the programme, neither the programme nor the personnel can ever be disbanded if democracy is to remain the sheet anchor of our policy of growth as a people. The only expendable and dispensable, if I may say so, element in the picture is the Minister. I find it therefore a matter of great satisfaction that 13 years of labour by millions in the country has laid the foundation of this programme and organisaton of the people which cannot be shaken. Mr. Speaker, I am at the command and service of this House for the fresh mandate in the coming year.. (*Interruption*).

Shrimati Vimla Devi: Sleep well tonight.

Mr. Speaker: When he is overjoyed, he does not enjoy the sleep.

That is what he says.

May I put all the cut motions together?

Some Hon. Members: Yes.

Mr. Speaker: All right. Now I put all the cut motions together to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to *complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1966, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 8, 9 and 116 relating to the Ministry of Community Development and Co-operation."

The motion was adopted